लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शनिवार,
१७ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक सभा

शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके बारे में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये ।"

लगभग छः मास पहिले मैं ने इस सभा में वैदेशिक मामलों पर भाषण दिया था । मेरा ख्याल है कि वह अनुदानों की मांगों के बारे में था । उस समय मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की ओर ध्यान दिलाया था और कहा था कि भविष्य बहुत ही अन्धकारमय है । स्थिति बिगड़ गई थी और विश्व व्यापी युद्ध के विपत्ति का यह युद्ध कराने वाले किसी कारण के बनने का बड़ा खतरा था । और साधारणतया एक भय का वातावरण था । चारों ओर बन्दूकें भरी हुई थीं और लोग उनके चलाने को तैयार खड़े थे । यह कहने में मुझे खुशी है कि अब स्थिति में इन पिछले छः मासों में बहुत सुधार हो गया है । बन्दूकें अब भी भरी हैं परन्तु उंगलियां घोड़ों पर नहीं हैं । मैं आज के संसार का बहुत आशामय चित्र खींचना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें अनेकों अन्धकारमय और खतरें की बातें हैं । तो भी, मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक है कि चारों ओर वातावरण में सुधार हुआ है और पहिली बार संसार के लोगों में शान्ति की भावना, यह भावना उत्पन्न हुई है कि युद्ध अनिवार्य नहीं है या नहीं होगा बल्कि वास्तव में इससे बचा जा सकता है । मैं समझता हूं कि संसार में लोगों के मस्तिष्क में जो सब से बड़ी बात अब उठी है वह यह है यदि मैं यह कह सकूं—कि युद्ध करना निरर्थक है, तथा कि युद्ध से—कम से कम आधुनिक प्रकार के युद्ध से किसी बड़ी समस्या का हल नहीं होता और इसलिये सारी समस्याओं पर चाहे कितनी ही कठिन और जटिल हों, शान्तिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये । उन्हें बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करनी चाहिये । यह कहना मामूली सी बात महसूस हो सकती है और इतने पर भी मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अधिक से

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

अधिक लोगों ने ऐसा ही सोचा तथा कहा है। में भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने सदैव ही ऐसी ही बात कही है। परन्तु, कई बड़े और शक्तिशाली देश, जो अपने सैन्य बल पर अधिक विश्वास करते हैं, आज कुछ और बात कहते हैं। मेरा ख्याल है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है. क्योंकि हो सकता है कि इससे संसार में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण व्यापक हो जाये। मैं फिर एक बार यह कहना चातहा हूं कि मैं अत्यधिक आशावादी बनना नहीं चाहता क्योंकि चारो ओर खतरे के स्थान अभी हैं और अब भी अनेकों ऐसे लोग है जिनका विश्वास—शायद उन्होंने ऐसा कहा है—वर्तमान समस्याओं को युद्ध जैसे तरीक़ों से हल करने में है। परन्तु सारे देशों में लोगों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या शान्तिपूर्ण ढंगों की ओर देखती है और उसने उन लोगों से मुख मोड़ लिया है जो युद्ध की बात सोचते और करते हैं।

छः मास पूर्व जब मैं ने इस सभा में भाषण दिया था उसके बाद शीघ्र ही बांडुंग सम्मेलन हुआ। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह केवल एशिया के इतिहास में ही नहीं बल्कि संसार के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। मेरा ख्याल है कि इसके फल-स्वरूप अनेकों बातें हुई हैं। बांडुंग सम्मेलन में एकत्रित हुये ३० राष्ट्रों ने शान्तिपूर्ण ढंगों के पक्ष में अभिलेख बनाया जिस पर सब के हस्ताक्षर तथा स्वीकृति थी। यह अभिलेख, निश्चय ही, उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध था। यह विचार करते हुये कि बांडुंग में जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनकी दृष्टि और नीतियों में महान अन्तर था, मैं समझता हूं कि वह एक बहुत उल्लेखनीय सफलता की बात थी। फिर भी बुनियादी बातों के बारे में वे एक सामान्य आधार पर आ सके। मतभेद होते हुये भी, यह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सामान्य आधार खोजने के लिये लोगों के प्रयास का एक महत्वपूर्ण उदारहण है।

उसके बाद, बहुत सी बातें हुईं। परन्तु लगभग उस समय उससे कुछ पहिले और कुछ बाद में, आस्ट्रिया शान्ति सन्धि हुई जिससे उन अनेकों समस्याओं में से एक विपत्तिजनक सवाल दूर हो गया है जिनका सामना योरोप का साधारणतया रहता है। रूस और यूगोस्वालिया ने एक दीर्घ-कालीन झगड़े को समाप्त कर दिया। निः शस्त्रीकरण के सवाल के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। उस समय रूस ने चांसलर एडेनौर को आमंत्रण भेजा, जो अब कार्यान्वित हो चुका है, और अन्य अनेकों बातें हुईं। इन सब से भी बात बड़ी यह हुई कि जेनेवा में चार बड़े देशों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने कोई संकल्प आदि स्वीकार नहीं किया। कोई निश्चित कार्य किये बिना भी इसने संसार के सारे मामलों में एक महान अन्तर पैदा कर दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि वहां उपस्थित चारों विख्यात प्रतिनिधियो को इसका श्रेय प्राप्त है, फिर भी मैं इस बारे में अमरीका के प्रेज़िडेण्ट और रूस के प्रधान मंत्री का विशेषरूप से उल्लेख करना चाहता हूं। इन देशों के बीच जो भारी मतभेद था उसमें कुछ कमी होने पर संसार में कुछ आश्चर्य और सन्तोष का प्रदर्शन किया गया।

उसके बाद हाल ही में, दो या तीन घटनायें हुई हैं,। एक तो अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों में प्रयोग के विषय पर जेनेवा में सम्मेलन हुआ। उसने संसार के विचारों को इन शान्तिपूर्ण प्रयोगों की ओर

मोड़ दिया है क्योंकि जन साधारण ने अणु-शक्ति को केवल एक विध्वंसक और विपत्ति की वस्तु ही समझ रखा था। अब, यह मालूम होता है कि यह मानव की उन्नति के लिये भी प्रयोग में लाई जा सकती है और इस प्रकार संसार के सामने यह सवाल और भी स्पष्ट रूप से निर्णय के लिये उपस्थित हो गया है कि वे युद्ध और असीम विनाश की ओर जायेगा या शान्ति, और—यदि असीम नहीं तो मानव की महान—उन्नति का मार्ग अपनायेगा।

पिछले दिनों चांसलर एडेनौर मास्को गये थे और परिणामस्वरूप एक प्रकार का समझौता हुआ। समझौते से बड़ी बातें तय नहीं हुई है। हमें यह आशा भी नहीं करनी चाहिये कि सारी समस्यायें एकदम हल हो जायेंगी। जर्मनी की समस्या के हल में अभी बहुत विलम्ब है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि इस का सारे सम्बन्धित पक्षों के लिये सन्तोषजनक हल कब होगा। परन्तु स्मरणीय बात यह है कि वह समस्या सम्भाव्य झगड़े की परिस्थितियों से निकल कर विचार विमर्श किये जाने की स्थिति में आ गई है। स्वयं यही एक बहुत बड़ा लाभ है। अतः, रूस और चांसलर एडेनौर के बीच यह समझौता अधिक अच्छा न होने पर भी, तनाव को कम करने और समस्याओं को शान्तिपूर्ण हल की दिशा में एक लाभप्रद पग है।

फिर, पिछले कुछ सप्ताहों से जेनेवा में अमरीका और जनवादी चीन सरकार में राजदूत अपेक्षतः एक साधारण मामले पर अर्थात्, अपने अपने नागरिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति दिये जाने के विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व यह घोषित किया गया था कि इस मामले में एक समझौता हो गया है। मैं कह चुका हूं कि इससे समस्या का बहुत सीमा तक हल नहीं हुआ है। अमरीका और चीन को प्रभावित करने वाले बड़े प्रश्न शेष हैं। दूर-पूर्वी देशों की समस्या यथापूर्व है। कोरिया के भविष्य का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। फारमोसा या ताईवान, या क्यूनाम तथा मत्सू के छोटे छोटे द्वीप, जिनके बारे में बहुत समय से यह मत रहा है कि द्वीप चाहे अन्य किन्हीं मामलों का फैसला हो जाये, जनवादी चीन में मिलने चाहियें—वह समस्या अभी शेष है। तो भी सभा को यह याद रखना चाहिये कि इन सब बातों के होते हुये भी समुद्री स्थिति में एक प्रकार का परिवर्तन हो गया है। अब हमने काफ़ी समय से चीन सागरों में किसी बड़े झगड़े के बारे में नहीं सुना है। चाहे कोई सरकारी समझौता हुआ है या नहीं—और कोई हुआ भी नहीं है—सच बात यह है कि लोग समस्याओं का फैसला फौजी कार्यवाही से करने के विचार से दूर भागते हैं, और शान्तिपूर्ण फैसले की अधिक उम्मीदें रखते हैं।

ये सारे परिवर्तन हुये हैं, जो यह बताते हैं—लोगों में युद्ध या, यदि आप चाहें तो, युद्ध के भय के प्रति घृणा, और समस्याओं को शान्तिपूर्वक हल करने की इच्छा का पैदा होना। मेरा ख्याल है कि यह सच है कि लोगों के विचारों में इस परिवर्तन का कारण कम से कम कुछ तो यह है कि वे नये नारिकीय अस्त्रों अणु बम और उद्जन बम और उसके उत्पादों की आश्चर्यजनक विनाशक शक्ति को महसूस करते हैं। यह एक बड़ी बात है। तो भी, मेरा ख्याल है, यह केवल वही बात नहीं है, अपितु, यदि मैं सम्मान पूर्वक कह सकूं तो, बुद्धि और सद्भावना की ओर लोगों का वापस आना, युद्ध और शीत युद्ध के लम्बे वर्गों की प्रतिक्रिया है और लोगों का उनसे परेशान होना है। क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उन्हें उनसे कुछ प्राप्त

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं हुआ है । इससे कोई समस्या हल नहीं हुई है, इसने केवल उन्हें महान परिश्रम, उत्तेजना, क्रोध, और घृणा की ही स्थिति में रखा है । अतः इस स्थिति से उनका इस दिशा में मुड़ना है कि "अच्छा, हमें इन समस्याओं को किसी और ढंग से हल करने का प्रयत्न करना चाहिये, चाहे उनमें कुछ समय लगे ।"

इस सारी परिस्थिति में भारत का क्या स्थान है ? यह कहना अत्युक्ति होगा कि भारत ने विश्व की नीति में कोई बड़ा परिवर्तन किया है । हमें अपने कार्य का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना चाहिये । परन्तु यह सच है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर भारत के प्रयत्नों से कुछ परिवर्तन हुये हैं और उन परिवर्तनों के कुछ परिणाम भी निकले हैं ।

पिछले कई सालों में ,भारत से कोरिया, हिन्द चीन और अन्य स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व उठाने को कहा गया है । और अब, जैसा कि सभा को विदित है, यह प्रस्ताव है कि भारत को अमरीका में चीन के नागरिकों के सम्बन्ध में कुछ उत्तरदायित्व लेना चाहिये । मेरा ख्याल है कि अनुचित अत्युक्ति के बिना यह कहा जा सकता है कि भारत ने कठिनाई के समय में महत्वपूर्ण कार्य किया है । प्रायः यह पर्याप्त रूप से सार्वजनकि कार्यवाही न थी—और न ही हम इसे सार्वजनकि कार्यवाही या प्रोपैगैन्डा का विषय बनाना चाहते थे । और न अब ऐसा चाहते हैं । यह सम्बद्ध पक्षों तक मित्रतापूर्ण पहुंच की साधारण कार्यवाही थी । इससे कभी कभी दूसरों को एक दूसरे के समीप लाने में सहायता मिली है । हमें कभी भी मध्यस्थ बनने की इच्छा हुई है और न ही कभी हमने मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है । हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये और न ही इस रूप में कार्य करने की हमारी कोई इच्छा है । प्रायः 'मध्यस्थ' शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिये जाते हैं । अतः मैं इसे पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं । बड़े देशों के बीच मध्यस्थता का कोई प्रश्न नहीं है । हमने जिस बात का सुझाव दिया है और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया है वह यह है कि वे देश एक दूसरे के आमने सामने आयें । आपस में बात करें और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करें । यह हमारा या दूसरों का काम नहीं है कि बीच में पड़ें और उन्हें यह सलाह दें कि वे क्या करें । परन्तु कभी हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुई हैं ।

इस नई परिस्थिति में भारत का योग 'पंच शील' के दो शब्दों में या यूं कहिये कि इसमें निहित विचारों में बयान किया जा सकता है । सभा इस बात पर ध्यान देगी कि जब से इस शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचारों का —इन विचारों में कोई नई बात नहीं है, परन्तु फिर भी यह एक प्राचीन विचार का एक नये प्रसंग में प्रयोग है—उल्लेख और प्रयोग पहली बार किया गया था, वे केवल संसार में फैले ही नहीं हैं, उन्होंने अधिक से अधिक देशों को प्रभावित ही नहीं किया है, बल्कि उनमें उत्तरोत्तर गूढ़ता बढ़ती गई है । उनके अर्थ भी अधिक से अधिक गूढ़ होते गये हैं । संसार के मामलों में इसे विशिष्ट अर्थ और महत्व दिया जाने लगा है ।

मैं समझता हूं कि हम शान्तिपूर्वक निबटारे के विचार को फैलाने में योग देने के लिये कुछ श्रेय ले सकते हैं । हम इसके लिये भी कुछ श्रेय ले सकते हैं कि हमने हस्तक्षेप न करने और प्रत्येक देश के, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप किये बिना, अपना

भाग्य स्वयं गढ़ने के अधिकार को मान्यता देने के विचार को फैलाने में भी योग दिया है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है। फिर, इस में कोई नई बात नहीं है। कोई भी महान सत्य नये विचार नहीं हो सकते। परन्तु सच यह है कि उन पर ज़ोर देने की आवश्यकता थी। इसका कारण यह है कि पछले समय में बड़े देशों की दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने, उन पर दबाव डालने और यह चाहने की प्रवृत्ति रही है कि दूसरे देश उनका साथ दें। मैं समझता हूं यह बड़प्न और छोटेपन का स्वाभाविक परिणाम है। यह हाल में ही पैदा नहीं हुआ है बल्कि इतिहास इससे भरपूर है।

किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने पर, वह हस्तक्षेप चाहे राजनीति में हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था में और चाहे विचारों आदि में, ज़ोर देना वर्तमान स्थिति पर विचार करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस बात का बहुत कम महत्व है कि अत्र तत्र इस सिद्धान्त का पूर्णरूपेण पालन न किया जाय। आप एक विधि बनाते हैं, और लोगों का यह कहना ठीक नहीं है कि किसी ने उन से उस विधि का पालन और अपराध को कराया। विधि वह है जो धीरे धीरे देश की सारी जनता के जीवन को प्रभावित करती है, हालांकि कुछ लोग एसे भी होते हैं जो उसका पालन नहीं करते हैं। मैं यह कहने की ज़रूरत नहीं समझता कि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं धीरे धीरे करने लगेंगे।

अतः महत्व इस बुनियादी विचार का है। और फिर, इस विचार का मतलब क्या है इसका मतलब है कि उन्नति के तरीक़े अलग अलग हो सकते हैं और सम्भव है कि जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं उनके सम्बन्ध में अलग अलग दृष्टिकोण हों। परन्तु यह भी सम्भव है कि साधारणतया वे एक ही हों। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो, सच किसी एक देश तक या किसी विशेष देश को जनता तक सीमित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा सोचने के बहुत से पहलू निकलते हैं कि वह इसके बारे में सब बातों को जानता है। प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वे अपने प्रति सच्चे हैं तो, अपना रास्ता जांच और ग़लती तथा दुःख और अनुभव का सामना करते हुये स्वयं ढूंढना पड़ता है। केवल तब ही वे आगे बढ़ सकते हैं। यदि वे केवल दूसरों की नक़ल करते हैं या नक़ल करने की कोशिश करते हैं, तो सम्भवतः परिणाम यह होगा कि वे लोग आगे न बढ़ सकें। चाहे नक़ल बहुत अच्छी ही हो, फिर भी यह उन पर लादी हुई एक वस्तु है, या एसी वस्तु है जो उन्होंने मस्तिष्क को उस साधारण उन्नति के बिना पाई है जो उसे उनके शरीर का एक सक्रिय अंग बनाती है।

हमने पिछले लगभग तीस सालों में एक महान नेता, महात्मा गांधी, के प्रभाव इस देश का विकास किया है। इस बात को एक ओर रखते हुए कि उन्होंने क्या किया या क्या न किया यह देश का एक जैवी-विकास था। यह एक ऐसी बात थी जो भारतीय भावना और विचार-धारा के अनुकूल थी। परन्तु इतने पर भी यह आधुनिक संसार से अलग न थी। यह ऐसी बात थी जो आधुनिक संसार के अनुकूल थी या जिसने अनुकूल बनने की कोशिश की। इस में सन्देह नहीं कि अनुकूलता का यह क्रम चलता रहेगा। परन्तु यह कुछ ऐसी चीज़ है जो भारतीय विचार-धारा और भावना से पैदा होती है। इस पर बाहर से सीखी हुई अनेकों बातों का प्रभाव है। क्योंकि यदि हम पिछले सैकड़ों सालों की भांति अलग अलग रहते हैं तो हम पिछड़ जायेंगे। यदि हम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर दूसरे लोग छा जाते हैं, तो हमारा अपना कोई आधार नहीं रह जाता । अतः पंचशील का यह विचार, इसके अनकों रूपों के अतिरिक्त, यह अति महत्वपूर्ण सचाई निर्धारित करता है कि अन्त में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी । मैं फौजी रक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस दिमाग़ी, नैतिक और भावनात्मक कोशिश और उस प्रयत्न की बात कर रहा हूं जिससे दूसरों के विचारों को ग्रहण कर, और दूसरों के अनुभव से सीखने की शक्ति आती है और उस प्रयत्न का वर्जन कर रहा हूं जो स्वयं किया जाय । उन अन्य देशों को चाहिए कि बिना किसी हस्ताक्षेप या बिना अपने विचार लादने के एक दूसरे के इस कार्य को सहानुभूति और मित्रता की भावना से देखें ।

अतः भारत ने यह थोड़ा सा काम किया है । पिछले कुछ सालों में भारत की जो साधारण नीति बनाई गई है, और जिस पर चलने की हम ने पूरी पूरी कोशिश की है, उसे अन्य देशों में उत्तरोत्तर मान्यता मिली है । यह संभव है कि उसे सारे देशों ने न माना हो, और वास्तव में नहीं माना है । कुछ इसके कुछ भागों को नहीं मानते या सारी नीति को ही नहीं मानते । परन्तु धीरे धीरे, भारत की नीति की निष्पक्षता में विश्वास हो गया है अर्थात्, यह एक शुद्ध भावना की नीति थी जो एक निश्चित विचार-धारा पर आधारित है और इसमें किसी भी देश के लिए बुरी भावना नहीं है । यह अनिवार्य रूप से सद्भावना और देशों के साथ मित्रता की भावना पर बनी थी । मेरा ख्याल है कि इस तथ्य को उत्तरोत्तर मान्यता मिली है ।

सभा जानती है कि थोड़े से समय पहले मैंने कुछ देशों का काफी लम्बा दौरा किया था, विशेषकर रूस और योगोस्लाविया का । इसके अतिरिक्त, मैं जैकोस्लोवाकिया, पोलैंड आस्ट्रेलिया, रोम, इंगलैंड और मिस्र भी गया था । और अचानक जब कि मैं लौट रहा था, मैंने पश्चिमी जर्मनी का एक छोटा भाग, उसेलडार्फ, थोड़े से समय में देखा । जहां कहीं मैं गया, मेरा अत्यधिक असाधारण हार्दिक या ऐसा स्वागत किया गया जिससे स्वाभावतः मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा । परन्तु मैंने महसुस किया, जैसा कि निःसंदेह सभा महसुस करती है कि उस स्वागत का कोई वैयक्तिक महत्व नहीं था । यह भारत की मूल नीति को सराहना कर और शान्ति के पक्ष में प्रदर्शन था । यह असाधारण बात है कि जिस देश में भी मैं गया, उसी देश के लोग शान्ति के इस विचार की ओर कितने झुके हुए थे और वे केवल बुद्धिपूर्वक ही नहीं बल्कि भावनापूर्वक झुके हुए थे । और वे देश, सभा को याद होगा कि एक प्रकार के नहीं हैं । वे विभिन्न प्रकार के देश हैं तथा उनकी पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न है तो भी यह एक सामान्य बात थी । अतः मैं ने उस स्वागत को अपने देश और उस नीति का सम्मान माना जिस पर हम चल रहे हैं ।

शीघ्र ही आगामी कुछ महीनों में हमारे यहां दूसरे देशों के अनेकों सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और नेता आयेंगे । पिछले दिनों मिस्र के उप-प्रधान मंत्री हमारे यहां आये थे । उनका हमने हार्दिक स्वागत किया । क्योंकि मिस्र से हमारे अत्यधिक मित्रता के सम्बन्ध हैं । दो दिनों में लाओस के युवराज और प्रधान मंत्री दिल्ली आ रहे हैं । और आगामी कुछ महीनों में रूस के प्रधान मंत्री हमारे यहां आयेंगे । मुझे उम्मीद है कि उनके साथ उनके कुछ मुख्य साथी भी आयेंगे । इसके अतिरिक्त आगामी जाड़े में हमारे यहां आने वाले हमारे मुख्य अतिथियों में

एथोपिया के सम्राट, साउदी अरब के सुलतान, ईरान के शाह, इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति, कनाडा, इटली और आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और जर्मनी के वाइस चांसलर हैं इन सुप्रसिद्ध महानुभावों का, जो विभिन्न विचारो का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम समान भाव व व्यक्ति से स्वागत करेंगे। मुझे आशा है कि भारत का हृदय बहुत उदार है और वह इनमें से प्रत्येक महानुभाव के लिए मित्रता की भावना रखता है।

मैं ने अभी एक नई ज़िम्मेदारी के बारे में कुछ कहा था जो शायद हमें उठानी होगी। यह नई ज़िम्मेदारी जनेवा में अमरीका और जनवादी चीन गणराज्य के राजदूतों के बीच हुए समझौते के बारे में है। अभी यह मामला पूरी तरह तय नहीं हुआ है परन्तु मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों में यह तय हो जायेगा। इस मामले में, चीन की जनवादी सरकार ने भारत का नाम अमरीका में उनका प्रतिनिधित्व करने या उनकी ओर से यह काम करने के लिए ठीक उसी प्रकार दिया था और जैसे, मेरा ख्याल है, अमरीका इंगलिस्तान का नाम चीन में उनके नागरिकों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए दिया था। भारत के नाम का चीन की सरकार का प्रस्ताव अमरीका ने स्वीकार किया और इस तरह हम से दोनों पक्षों ने यह काम करने के लिए कहा। इन परिस्थितियों में हमें यह मानना पड़ा और हमने चीन की जनवादी सरकार और अमरीका से कह दिया है कि यदि यह ज़िम्मेदारी हमें उठानी ही है तो हम इसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें दूसरी विस्तृत बातें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं क्योंकि यह मामला अभी तक पूरी तरह तय नहीं हुआ है।

मैं ने विश्व परिस्थिति की अनेकों सुखद घटनाओं का वर्णन किया परन्तु, अनेकों अंधकारमय स्थान भी हैं। अमरीका के उत्तर, मोरक्को और अलजीरियां में हाल में ही कुछ भयानक घटनायें हुई हैं। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि भारत में जिसने भी उनके बारे में सुना है उसे उनसे बड़ा स्वभाविक दुःख हुआ है। इसके बारे में मैं अधिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि हल कोई ढूंढ निकालने की कोशिश हो रही है और मैं सच्चे दिल से आशा करता हूं कि वे कोशिशें सफल होंगी, परन्तु में यह कहूंगा कि उत्तरी अफरीका के देशों में जो हो रहा है उससे केवल समूचे एशिया और अफरीका के लोगों पर ही गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है—में आशा करता हूं कि अन्य देशों में भी पड़ा है। इसका कारण यह है कि यह सिर्फ किसी विधि और संविधान का मामला नहीं है बल्कि यह है कि आज़ादी के लिये लड़ने वाले लाखों व्यक्तियों के साथ क्या होता है। खैर, जो भी दुःखान्त घटना हो गई सो हो गई और अब हम केवल यह आशा कर सकते है कि यह इस दुःख का अन्त है, और इन देशों के लिये शीघ्र ही आज़ादी का कोई रास्ता ढूंढ निकाला जायेगा।

अफरीका महाद्वीप के दूसरे किनारे पर दक्षिण अफरीका संघ है जो आज संसार में प्रत्येक उस बात का एक निर्लज्ज समर्थक है जिससे में समझता हूं कि केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को ही नहीं बल्कि हर जगह सभ्य मानव जाति को घृणा करनी चाहिये। वे समझते है कि वे आजकल जातिवाद और मालिक जाति के, एक ऐसी बात जिसके लिय संयुक्त राष्ट्र संघ का षणाधो पत्र मना करता है, और उस बात के, जिसके विरुद्ध पिछला विश्व युद्ध लड़ा गया था, प्रबल समर्थक हैं—और इस बारे में कोई छिपाव नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। कोई यहां एक सरकार द्वारा एक ऐसी नीति का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अनुसरण करने का एक ऐसा असाधारण उदारहण है जिससे मैं समझता हूं कि संसार में प्रत्येक विचारवान और प्रत्येक सभ्य व्यक्ति को निन्दा करनी चाहिये ।

मध्य अफरीका में बड़ा झगड़ा व आन्दोलन हो रहा है क्योंकि वर्तमान युग की एक विशेष बात अफरीका की यह जागृति है । इस देश में हम सब को उससे अत्यधिक सहानुभूति है । अफरीका का इतिहास किसी भी अन्य देश या अन्य महाद्वीप की अपेक्षा अधिक विपत्ति व दुःख का इतिहास है । यह इतिहास केवल वर्तमान काल का ही नहीं है बल्कि उस समय से सैकड़ों वर्षों का है जब कि ग़लाम व्यापार द्वारा वहां के अनेकों लोग पश्चिमी देशों को ले जाये गये थे । मैं सच्चे दिल से आशा करता हूं कि अफरीका के लोगों को आज़ादी मिलेगी ।

गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया अफरीका में उज्वल स्थानों में से हैं और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही हम इन देशों का पूर्ण स्वतन्त्र देशों के रूपों में स्वागत करेंगे ।

हिन्द चीन में तीन अन्तर्राष्ट्रीय आयोग काम कर रहे हैं और उन तीनों के सभापति भारतीय हैं । दिन प्रति दिन हमारे सामने नई समस्यायें—कठिन समस्यायें—आई हैं और अब भी उनका हमें निरन्तर सामना है । परन्तु मुझे आयोगों को, और विशेषकर इन आयोगों के सभापतियों को, उनकी उस बुद्धिमत्ता और योग्यता के लिये अवश्य बधाई देनी चाहिये जो उन्होंने इन समस्याओं को हल करने में दिखाई है ।

अब मैं देश के निकट की उन समस्याओं को लेता हूं जो शायद संसार के इन मामलों की अपेक्षा हमारा अधिक ध्यान अपनी ओर खींचे हुये हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि यह ठीक है कि हमें अपने देश के मामलों के बारे में भी संसार की स्थिति का ध्यान रख कर उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । अन्यथा हम उन पर उचित दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकेंगे और उनके बारे में ठीक निर्णय करने में असमर्थ रहेंगे । अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि हम संसार के मामलों को सदैव अपने सामने रखें । प्रायः यह कहा जाता है कि विदेश नीति अन्तर्देशीय नीति का विकसित रूप है, या कभी विदेश नीति अन्तर्देशीय नीति पर थोड़ा सा प्रभाव डालती है । वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं । उचित नीति वह है जिसमें दोनों परस्पर सम्बद्ध हों और दोनों एक दूसरे की साहयक सिद्ध हों । इसी प्रकार, संसार में हम जिस नीति पर भी चलते हैं उस का साधारणतया अन्तर्देशीय नीति से संगत होना आवश्यक है । मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक बात में इसका संगत होना आवश्यक है, परन्तु कुछ क्षेत्रों में ये परस्पर संगत हो सकती हैं । परन्तु इस मामले में भी उसी उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है । अन्यथा दोनों नीतियां असफल हो जाती हैं । इसी प्रकार कोई भी अन्तर्देशीय नीति जिस पर हम चलते हैं उन उदार नीतियों में अवश्य संगत होनी चाहियें । परन्तु यह अन्तर्देशीय या विदेश नीति का इतना प्रश्न नहीं है जितना कि यह मूल दृष्टिकोण का, जीवन तथा उसकी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर मूल, दिमाग़ी, मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण का प्रश्न है ।

आज कल उन समस्याओं में, जिनका प्रभाव विशेष रूप से हम पर भारत में पड़ता है, गोआ की समस्या, पाकिस्तान और श्री लंका सम्बन्धी समस्यायें हैं । पाकिस्तान के बारे में मैं इसके सिवाये और अधिक कुछ कहना नहीं चाहता कि समस्यायें चाहे कितने

ही जटिल हों, परन्तु हमने सदैव ही उनका शान्तिपूर्वक हल खोजने की कोशिश की है और आगे भी ऐसी ही कोशिश करेंगे । श्री लंका के बारे में मैं इस सभा में बता चुका हूं कि वहां की स्थिति अच्छी नहीं है । वास्तव में, यह बहुत ही असन्तोषजनक है । परन्तु अब भी हमें आशा है कि हम कोई ऐसा हल निकाल सकेंगे जो भारत, श्री लंका और हम सब से अधिक सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये लगभग नौ लाख भारतीय उद्भव के लोगों के लिये सम्मानपूर्ण होगा ।

अब मैं गोआ के प्रश्न पर आता हूं । इस सम्बन्ध में एक भावना है और इसे भारत में तथा विदेशों में समाचारपत्रों ने भी प्रकाशित किया है कि गोआ के मामले में हमारी सरकार की नीति में एक उल्लेखनीय या अचानक परिवर्तन आ गया है । कुछ लोगों का विशेषकर कुछ विदेशी पर्यवेक्षकों का, यह ख्याल है कि हमने यह परिवर्तन देशों के मत या उन की प्रतिक्रिया के कारण किया है । स्वभावतः, केवल इस मामले में नहीं अपितु प्रत्येक अन्य मामले में हमें विदेशी प्रक्रियाओं के जानने में अभिरुचि रहती है । हम पूरी तरह से जागरूक रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि संसार क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है । हम संसार से अलग नहीं हैं । हम अपने आपको घेरे में बन्द करना नहीं चाहते ।

परन्तु मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने जो भी फैसले किये हैं वे हमारे उस नीति पर चलने के बारे में पूर्णतः अन्तर्देशीय फैसले हैं जिन्हें हम ठीक समझते हैं । हमने जो फैसले किये हैं उनके करने में विदेशों में हुई घटनाओं अथवा वहां कही गई बातों का तनिक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

दूसरी बात मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि नीति में कोई विपरीत अन्तर नहीं आया है । हमने निरन्तर एक ही नीति का अनुसरण किया है और विशेषकर पिछले एक वर्ष से कुछ अधिक समय से, जब से कुछ घटनायें होनी आरम्भ हुई हैं । यह ठीक है कि कभी-कभी भिन्न-भिन्न बातों पर ज़ोर दिया गया है । यह सच है कि कभी इस नीति को लागू करने में कुछ ढील बर्ती गई.. (हंसी) । हंसी का सुनना अच्छा लगता है लेकिन अगर इस के कोई मायने न हो तो यह मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : ठीक इसी तरह से जिस तरह इस नीति के कोई मायने नहीं हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं श्री कामत के समान बेकार शब्दों का प्रयोग करने में असमर्थ हूं । इसके लिये कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है ।

गोआ के बारे में हमारी नीति की बुनियादी बातें क्या हैं ? पहिले, शान्तिपूर्ण उपाय हों—इस बारे में हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये । यह प्रत्यक्ष है कि जब तक हमें अपनी नीतियों और व्यवहार की पूरी बुनियादों को नहीं धोते तब तक यह अनिवार्य है । अतः जो भी आदमी यह सोचता है कि गोआ के बारे में किये जाने वाले उपाय शान्तिपूर्ण न हों बल्कि और प्रकार के हों, उसको आज़ादी है कि वह वैसी राय रखे परन्तु मेरे लिये उसके साथ चर्चा करने की या बहस करने की कोई बात नहीं है । इसका कारण यह है कि हमारा अशान्तिपूर्ण ढंगों में तनिक भी विश्वास नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : पटना के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विपक्ष की माननीय महिला सदस्य कहती हैं : पटना के बारे में मेरा क्या कहना है ? मैं उनसे

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पूर्णतः समहत हूं। मैं समझता हूं कि पटना में बहुत से लोगों ने जिन में विद्यार्थी भी हैं और निश्चय ही पुलिस भी है, शान्तिपूर्ण ढंग से काम नहीं लिया। मेरे विचार से समय आ पहुंचा है कि जब इस देश के लोग और सारे दल यह फैसला करें कि कार्यवाही के अशान्तिपूर्ण और अनुशासनहीन ढंगों को अपनाना न ही वांछनीय है और न हीं यह हमारे देश के हित में है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पुलिस के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: अगर पुलिस ग़लती पर है, तो पुलिस को सज़ा मिलनी चाहिये। पुलिस की ग़लत कार्यवाहियों का कोई भी समर्थन नहीं करता। पुलिस या किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी की ग़लत कार्यवाही का कोई समर्थक नहीं हैं। परन्तु यदि मैं यह कहूं कि हम केवल इसी बात पर नहीं सोचते रहे हैं कि गोआ में क्या हुआ बल्कि हमने इस पर भी सोचा है कि बाद में बम्बई नगर और दूसरी जगहों में क्या हुआ ? वहां अनुसशासन भंग किया गया अशान्तिपूर्ण तरीक़े अपनाये गये। मैं इसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन ये घटनायें यह बताती हैं कि देश में एक ऐसा वातावरण बन गया है जो सत्याग्रह आदि के किसी शान्तिपूर्ण कार्य के लिये ज़रूरी शान्तिपूर्ण वातावरण के एक दम प्रतिकूल था। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा विचार है कि फौजी कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही ज़रूरी और मुनासिब है, तो ठीक है, ऐसे तरीक़े भी मौजूद है। परन्तु यदि इसके विपरीत किसी व्यक्ति का विचार यह हो कि शान्तिपूर्ण तरीक़ों का अपनाना अत्यावश्यक है तो वह उन्हें अपनाने की कोशिश करता है। परन्तु दोनों को आपस में मिलाना दो नीतियों की बीच में पड़ना और कहीं के भी न रहना है।

इस सभा में सम्भवतः ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें भारत के लगभग पिछले ३५ वर्षों के इतिहास का अनुभव है। जब भारत में एक महात्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था, उस समय जब कभी हम शान्तिपूर्ण ढंगों से तनिक डिगे तो आन्दोलन पूर्णतः रोक दिया गया। क्योंकि हमारे नेता ने यह महसूस किया कि हमें अपने सिद्धान्त और नीति पर अडिग रहना चाहिये। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अनुशासन भंग करने, जोश या क्रोध में आकर अगर आप चाहें तो उसे उचित क्रोध कह सकते हैं—लोगों के उस नीति से मुख मोड़ लेने से कुछ भी प्राप्त न होगा। यह चाहे जो था, परन्तु कोई भी किसी भी समय छोटा या बड़ा आन्दोलन जारी नहीं रख सकता अगर वह अपनी नीति को स्पष्ट रूप से नहीं समझता है और अगर उस नीति में किसी अन्य नीति को मिलाये बिना उस पर नहीं चलता है।

इस मामले में 'सत्याग्रह' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं सत्याग्रह का प्रवर्त्तक नहीं हूं और न ही मैं अपने आप को यह कहने का अधिकारी समझता हूं कि यह क्या है। लेकिन, फिर भी हम में से कुछ लोगों ने कम से कम ३५ सालों तक एक ऐसे ढंग से काम किया है। जहां 'सत्याग्रह' हमेशा ही मौजूद था। अतः हमने जांच और ग़लतियां करके इसके बारे में कुछ सीखा है। सत्याग्रह करना सरकार का काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सरकार यह कर सकती है वह सत्याग्रह के बीच में रुकावट न डाले, सत्याग्रह को बन्द न करे, क्योंकि यह उसकी विधि या साधारण नीति के विरुद्ध नहीं है। यह और लोगों का कार्य है कि वे सत्याग्रह

करें, अगर वह देश की विधि या साधारण नीति के विरुद्ध नहीं है। अतः, हम सरकार के रूप में सत्याग्रह पर बहस नहीं करते। हम किसी और रूप में या कुछ अन्य लोग इस पर विचार कर सकते हैं।

अब मैं सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले सवा साल म, अर्थात् जब सत्याग्रह आदि की बात होनी आरम्भ हुई, नीति क्या थी ? इसमें सन्देह नहीं कि हमेशा ही और बार बार शान्तिपूर्ण ढंगों पर ज़ोर दिया गया था। दूसरे, इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि लोग सामूहिक रूप से गोआ में न घुसें। तीसरी बात यह है कि यह कार्य विशेष रूप से गोआनियों को करना चाहिये। यह, लगभग एक साल पहिले कहा गया था और बार बार कहा गया था। बाद में धीरे धीरे यह हुआ कि कुछ ग़ैर-गोआन भारतीयों ने वहां जाने वाले दलों में भाग लिया। दल छोटे छोटे थे और उनमें भारतीय कम थे। यह ठीक है यह बात होने देने के लिये हमारें ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। इसमें कोई महत्वपूर्ण सिद्धान्त सम्मिलित न था। यह पूछा जा सकता है, "आपने भारतीयों को सत्याग्रह करने का अधिकार क्यों दिया" ? मैं यह नहीं कहता कि भारतीयों को सत्याग्रह करने का अधिकार नहीं है। इस वक्त मैं सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीयों को गोआ की आज़ादी के लिये काम करने का पूरा हक़ है। मैं प्रतिबन्ध क्यों लगाऊं ? परन्तु यह बात मेरी नीति के रास्ते में बाधा उपस्थित कर सकती है। और इसलिये मैं इसे रोक सकता हूं, हालांकि विभागी तौर पर, मैं यह हक़ छीनना नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि हमारा ख्याल था कि कहे जाने वाले सत्याग्रह में बहुत से भारतीयों को भाग लेने के परिणाम अच्छे न होंगे, इसलिये हमने इसका विरोध किया। अगर एक या दो भारतीय जाते है तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है, परन्तु इसमें संदेह था इसलिए बाद हमें यह बात पूरी तरह स्पष्ट करनी पड़ी। धीरे धीरे अगस्त के आरम्भ में, या इससे भी पहिले—१८ जुलाई को—भारतीयों की संख्या कुछ बढ़ गई। मैं इस सभा को निःसंकोच होकर बताना चाहता हूं कि अगस्त के आरम्भ में, अर्थात, १५ अगस्त से एक सप्ताह या कुछ दिन पहिले हम कुछ शक में पड़ गये थे, कि हम गोआ के मामले में क्या कार्यवाही करें, क्योंकि हमने देखा कि ऐसी घटनायें हो रही हैं जो हमारी बनाई हुई नीति के अनुकूल नहीं हैं। इस सारे समय में, यहां तक कि जुलाई के अन्त में भी, हमारी नीति यह थी कि लोग बड़ी संख्या में गोआ न जायें और उसमें अधिक भाग गोआनियों का हो न कि भारतीयों का। हालांकि व्यक्तिगत रूप में भारतीयों के गोआ जाने या न जाने में कोई ठोस अन्तर न था। हमें इन घटनाओं के बारे में बड़ी चिन्ता थी। हम जानते थे कि हमारे देश के बहुत से इच्छुक पुरुष और स्त्रियां आत्म-त्याग की भावना से और गोआ की आज़ादी में मदद करने की इच्छा से वहां जा रहे हैं। हमारी और नीतियां चाहे जो हों, चाहे उनकी नीतियां हमारी नीतियों से भिन्न हों, मगर जो लोग वहां गये उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों की हम तारीफ न करें, इसकी कोई बात न थी। यही कारण है कि १५ गस्त की सुबह जब मैं 'लाल किले' के चबूतरे से भाषण दे रहा था मैं ने कहा था कि मेरा दिल और दिमाग उन लोगों के ख्यालों से भरा हुआ है जो इस समय गोआ की सीमा पर थे। हमारे लोगों के साथ ख़तरें का मुक़ाबला करने में जो हुआ और जो हो सकता था उस से मेरा दिमाग भरा हुआ था। मैं चाहे सहमत हूं या न हूं मगर मेरे दिल में एक उद्देश्य के लिये ख़तरें का सामना करने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वाले बहादुर लोगों के प्रति अवश्य सहानुभूति है । परन्तु उस समय मुझे इसके नतीजों की अधिक चिन्ता थी । शायद हमें यह उलाहना दिया जा सकता है कि "आप ने १५ अगस्त तक मामलों को इतना आगे क्यों बढ़ने दिया" ? आलोचना का कारण उचित हो सकता है । मैं निःसंकोच भाव से यह कहना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में यह बात साफ न थी कि मामले के इतना आगे बढ़ जाने पर उन लोगों से, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में गोआ में घुसने के लिये इकट्ठे हो गये थे या इकट्ठे हो रहे थे, एक दम ऐसा न करने के लिये कैसे कहा जाये : अतः, गोआ में जो हुआ, १५ अगस्त को हुआ । बाद में, इस स्थिति पर हम सब को बहुत सोचना पड़ा । उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें गोआ के मामले में अपनी बुनियादी नीतियों पर ज़ोर देना चाहिये । हमने यह भी फैसला किया कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें इस नीति के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रहने देना चाहिये । मैं कह चुका हूं कि हमारे खिलाफ़ उचित रूप में यह कहा जा सकता है कि हमें कुछ घटनाओं के बारे में शक़ था । इस लिये हो सकता है कि आम लोग भी हमारी नीति को स्पष्टतः न समझ सके हों । हम पर यह आरोप लगाया जा सकता है और मैं समझता हूं कि सम्भवतः इसमें कुछ औचित्य भी है, हालांकि बुनियादी नीतियं पिछले सवा साल से पूर्णतया स्पष्ट हैं । कुछ भी हो हमने यह महसूस किया कि अब यह जनता के लिये या हमारें लिये या गोआ जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये ठीक नहीं है कि हम अपने दिमाग़ों में ज़रा सा भी शक़ रखें । इसलिये हमने तय किया कि सत्याग्रह यहां तक कि व्यक्तिगत सत्याग्रह भी न करने दिया जाये । वास्तव में यह स्पष्ट है कि १५ अगस्त को इतने बड़े पैमाने पर की गई कोशिश के तुरन्त बाद कुछ व्यक्तियों की कोशिशों पर वापस आने के कोई मायने नहीं हैं । मैं ऐसा किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं, बल्कि नितान्त व्यवहारिकता के आधार पर कह रहा हूं । इससे आन्दोलन का नैतिक और भौतिक महत्व जाता रहता है । माननीय सदस्यों ने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि पुर्तगालियों ने कुछ लोगों को कैसे हिंसा पर तुले 'सत्याग्रही' कहना आरम्भ कर दिया है । मैं उनके बारें में कुछ नहीं जानता । मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे दल हैं, या स्वयं गोआ में कुछ ऐसे छोटे छोटे दल हैं, जिन्होंने एक छोटे से पुल के तोड़ने या कुछ ऐसी ही तोड़फोड़ के काम किये हैं ।

श्री के० के० बसू (डायमंड हार्बर) : क्या पुर्तगालियों द्वारा सत्याग्रहियों के बारे में कही गई बातों की जांच करने का कोई स्वतन्त्र साधन है ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : मैं ने अभी कहा था कि समाचारपत्रों में समाचार छपे हैं । उन समाचारों के सच होने में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि पुर्तगाली कहते हैं कि हिंसा पर तुले हुये सत्याग्राहियों ने यह किया है वह किया है । मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था वह यह है । छोटे या बड़े दलों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कभी भी सत्याग्राही नहीं कहते । उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की है । थोड़े से व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के ये काम, हालांकि यह उससे बिल्कुल भिन्न है, उस अन्य काम में मिलना चाहते हैं । या हालांकि हम कह नहीं सकते—कि यह ठीक है या नहीं, पुर्तगाली लोग इसे मिलाते हैं । अभी मैं व्यावाहरिक पहलू के बारे में कह रहा था । परन्तु आज मैं इस सभा में इस व्यावहिरक पहलू पर ज़ोर

देने की कोशिश न करके इस मामले के बुनियादी सवालों पर ज़ोर देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझ से पूछा जाता है, "इस तरह के सत्याग्रह का विकल्प क्या है ?" इसके उत्तर में मैं भी प्रश्न करने वाले से पूछ सकता हूं "आप जिन तरीक़ों का सुझाव देते हैं, उनसे आप वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं ?" स्पष्ट है कि इस तरह मामलों से एक दम स्वयं कोई हल नहीं निकलता। सभा को विदित है कि हमने अनेकों आर्थिक, वित्तीय और अन्य कार्यवाहियां की हैं। मुझे इसमें कोई शक़ नहीं है उनका काफ़ी असर पड़ता है। आगे हम जो कार्यवाही करेंगे उसके साथ उनका असर और भी बढ़ जाता है। इस मामले को हल करने के यह साधारण उपाय हैं। याद रखिये कि हम ऐसा सोचने में फौजी या पुलिस कार्यवाही का परित्याग कर रहे हैं। हमने उसका ख्याल छोड़ दिया है। फिर हम सोच रहे हैं कि हम और क्या कार्यवाही करें। मेरे दिमाग़ में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि हमने जो भी कार्यवाही की है तथा परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं अन्ततः उससे गोआ को पुर्तगालियों से आज़ादी अवश्य मिलेगी। मैं इसकी कोई तारीख़ मुक़र्रर नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि संसार में कोई भी व्यक्ति संसार की किसी भी समस्या के लिये कोई तारीख़ मुक़र्रर कर सकता है। चाहे ये मामले योरोप के हैं या जर्मनी के या योरोप के अन्य भागों के, सुदूरपूर्व के हैं या हिन्द चीन के, या अफरीका के हैं या किसी अन्य भाग के, मगर उनके बारे में कोई तारीख़ मुक़र्रर नहीं की जा सकती। परन्तु, मुख्य बात यह है कि जिन नीतियों पर चला जाता है वे ठीक हों। मेरा अवश्य ही यह विश्वास है कि अच्छे आचरण का अच्छा फल होना आवश्यक है ठीक उसी प्रकार जैसा कि बुरे आचरण का बुरा फल होता है। इस बारे में मुझे तनिक सन्देह नहीं है। मेरा ख्याल है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करते हुये हम किसी और तरीक़े को नहीं अपना सकते हैं।

गोआ मे बीसवीं शताब्दी में सोलहवीं शताब्दी द्वारा बीसवीं शताब्दी, जागृत एशिया से खत्म होने वाले उपनिवेशवाद के सामना करने का और पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा स्वतन्त्र भारत के किये जाने वाले अपमान की, और पुर्तगाल के इस ढंग से काम करने का चित्र हमारे सामने आता है जो किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिये आधुनिक संसार में इतना अनर्गल और आश्चर्यजनक है कि वह चौंक पड़ता है। यह किसी साधारण तर्क या कार्यवाही का साधारण विरोध नहीं है।

गोआ में जो हो रहा है उसकी विदेशों में क्या प्रतिक्रिया हुई है, यह हमने रुचिपूर्ण देखा है। हो सकता है कि अन्य सदस्यों ने भी देखा हो। गोआ न केवल खत्म होने वाले ऐसे उपनिवेशवाद का प्रतीक है बन गया है जो अब भी बने रहने का प्रयत्न कर रहा है, बल्कि इससे अधिक कुछ हो गया है। यह एक कसौटी बन गया है जिस पर हम अन्य देशों की नीतियों की परख कर सकते हैं। क्या कोई देश गोआ में पुर्तगाली हठधर्मी का सक्रिय समर्थन करता है या उसे सक्रिय प्रोत्साहन देता है ? यदि हां, तो इससे हम जान लेंगे कि संसार के मामलों में उस देश का क्या दृष्टिकोण है। या, कोई ऐसे देश हैं जो इस स्थिति में निष्क्रिय समर्थन करते हैं ? हम जानते हैं कि उनकी दृष्टि क्या है ? या, क्या वे देश यह महसूस करते हैं कि गोआ में पुर्तगाली शासन नहीं रह सकता और न रहना चाहिये, क्योंकि यह सभ्य मानव जाति के लिये चुनौती बन गया है। विशेषकर, वहां पुर्तगाली अधिकारियों के पाशविक और असभ्य व्यवहार के पश्चात्। अतः मैं इस सभा से निवेदन करता हूं कि गोआ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के बारे में जो भी नीति बनाई है वह ठीक नीति है। समय समय पर छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं। परन्तु उस नीति की बुनियादी बातों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये जब तक कि हम अपने देश और विदेश में किये गये काम को, तथा अपनी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को मिटाकर कोई ऐसा रास्ता अपनायें जिसकी हमें कोई इच्छा नहीं है। और मैं कहता हूं कि यह नीति जो संसार की इस बड़ी नीति और हमारी राष्ट्रीय दृष्टि के अनुकूल है ऐसी नीति है जो सफल होगी। यह केवल सैद्धांतिक नीति है, बल्कि व्यावहारिक नीति है। मुझे यक़ीन है कि इस मामले के बारे में केवल सदस्यों के ही दिमागों से नहीं बल्कि अन्य लोगों के भी दिमागों से सारे सन्देह दूर हो जायेंगे। फिर, वे यह भी महसूस करेंगे कि पिछले वर्ष में हम इसी नीति पर चले हैं। यह ठीक है कि हाल में इस नीति के बारे में कुछ भ्रम हो गया था और हमने स्थिति में थोड़ी लापरवाही बरती। इसके लिये आप लोग हम पर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इसका नतीजा क्या हो रहा है, कि यह हमें ग़लत रास्ते पर ले जा रही है, हमने अपने आप को संभाल लिया। और कोई भी सरकार, जो यह महसूस करती है, साहस होते हुये इस बुराई को रोकने से पीछे नहीं हट सकती। मेरा ख्याल है कि हमने, देश ने और सरकार ने, इस मामले में अपने आपको और संसार को साहस दिखाया है। इसके यह मायने नहीं हैं कि गोआ के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने तनिक भी लापरवाही की है। मैं चाहता हूं कि भारत के बाहर लोग इस बात को पूरी तरह समझ लें। हाल के महीनों में जो भी हुआ है उससे यह एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। हो सकता है कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न न हो। क्योंकि यह अनिवार्य है कि गोआ भारत में मिल कर रहेगा, कि पुर्तगाल यह जानता है कि उसे भारत छोड़ना होगा और यह कि तब गोआ को अनिवार्य रूप से भारत संघ के साथ मिलना होगा। परन्तु पहिली बात यह है कि गोआ को आजाद कराया जाये। यदि साधारण क्रम में इस में कुछ समय लगता है, तो कोई विशेष बात नहीं है। अनेकों ऐसे मामले हैं जिनमें वक्त लगता है। सभा जानती है कि चीन और इंडोनेशिया के कुछ थोड़े से क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन हैं, और वह स्थिति अब भी चल रही है। चीन की जनवादी सरकार इस से अत्यधिक भड़क नहीं उठती कि मकाओ पुर्तगाल के अधीन है। मकाओ उन्हें मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। लेकिन वे भड़कते नहीं हैं। उनकी फौजी ताकत कमज़ोर नहीं है। अगर वे इसे लेना चाहें तो यह उनके लिये छोटी सी बात है। लेकिन वे इसे अपनी बड़ी नीतियों की वजह से लेना नहीं चाहते। पुर्तगाल की और भी बस्तियां हैं। इसलिये यह बात कि किसी मामले में कुछ अधिक समय लगता है या नहीं, साधारणतया कोई विशेष बात नहीं है। मगर पिछली घटनाओं ने गोआ के मामले को अधिक महत्वपूर्ण विषय बना दिया है। इनसे हम में और देश में कुछ जोश आ गया है। इस लिये हमें इस मामले पर अपनी सारी बुद्धि और ताकत से काम लेना है और इस से एक प्रश्न को ऐसे ही नहीं रहने देना है। मैं आशा करता हूं कि अन्य देशों के लोग यह महसूस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके बारे में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

इसके स्थान पर कुछ अन्य प्रस्ताव भी हैं । माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री रघुरामैया (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :

> "यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा अनुसरित वैदेशिक नीति का अनुमोदन करती है जिसके फलस्वरूप कई देशों ने पंच शील के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो गया है, जिससे विश्व शांन्ति के कार्य में सहायता मिली है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री रघुरामैया, श्री वी० जी० देशपांडे तथा श्री एन० सी० चटर्जी के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि मैं प्रधान मंत्री की अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने सम्बन्धी कार्य के लिये सराहना करूं परन्तु दुर्भाग्यवश गोआ की दुर्घटनाओं के कारण वृहद् समस्याओं पर ध्यान देना असम्भव सा हो जाता है । परन्तु सरकार की गोआ नीति की आलोचना से पूर्व, मैं अपने अनुपस्थित नेता के शब्दों को दोहराता हूं कि विदेशी नीति किसी दल विशेष की नीति न हो कर राष्ट्र की नीति होनी चाहिये । हमारी सर्वदा यही शिकायत रही है कि जिस प्रकार अन्य लोकतन्त्रों में विरोधी पक्ष पर भी विश्वास किया जाता है उसी प्रकार विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन से पूर्व विरोधी पक्ष की भी सलाह लेनी चाहिये । कहा जाता है कि इस देश में बहुत से दल हैं तथा उसमें से किसी दल विशेष के परामर्श के अभिप्राय से छांटना कठिन है । परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने यह बताया था कि प्रशासक दल के अतिरिक्त तीन दल और हैं जिनको राष्ट्रीय दल कहा जा सकता है । इसलिये मैं नहीं समझ सका कि प्रधान मंत्री विदेश नीति में परिवर्तन के समय विरोधी पक्ष की सलाह क्यों नहीं लेते । मेरे विचार से केवल इसलिये कि विदेश नीति के निर्णय फैले नहीं परन्तु केवल सभा के कुछ व्यक्तियों पर विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

सत्य यह है कि विदेश नीति की पूर्णतया आलोचना हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सभी सूचना केवल समाचार पत्रों से लेते हैं तथा संसद् सदस्य होने के नाते हमको इससे अधिक जानने का अवसर ही नहीं दिया जाता है ।

हमारे प्रति प्रधान मंत्री का इतना रोष होने पर भी हम सर्वदा उनकी विदेश नीति का समर्थन ही करते आये हैं । प्रधान मंत्री ने प्रायः यह कहा कि काश्मीर, गोआ तथा पाकिस्तानी उलझनों का लाभ उठाने का प्रयत्न विरोधी करते हैं । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री तथा उनके दल ने विदेश नीति के द्वारा ख्याति प्राप्त की है । भारत की विदेश नीति का श्रेय केवल कांग्रेस दल के कारण ही नहीं प्रत्युत, जैसा कि प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया कि इस कार्य के लिये उसके पीछे समस्त देश है तथा उस आन्दोलन के आदर्श हैं जिसमें हम सब एक थे । तथा इसीलिये प्रधान मंत्री के साथ हैं ।

गोआ नीति को लीजिये । १५ अगस्त, १९५४ को गोआ, दमन, तथा दीव के निकट बहुत से सत्याग्रही एकत्रित हो गये थे । परन्तु ठीक १५ अगस्त की प्रातः प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि उन को जाने की

[श्री अशोक मेहता]

अनुमति न दी जाये । हमारी पुलिस उन्हें रोकने के लिये खड़ी थी । हम ने भी प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन किया तथा चुपचाप वापस लौट आये तथा देश में संयुक्त मोर्चा स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे ।

परन्तु हमारा लगातार उन का साथ देना हमारी कमज़ोरी समझा गया है । हमारे धैर्य का ग़लत अर्थ लगाया गया है । इसलिये मैं प्रधान मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि हमारे धैर्य, सद्भावना तथा देशभक्ति को इतना गलत न समझें कि वह सहनशक्ति समाप्त न हो जाये ।

हाल में कांग्रेस दल ने नीति में पूर्ण परिवर्तन का फैसला किया है । क्या मैं कह सकता हूं कि २८ अगस्त, तक इस सभा के विख्यात कांग्रेस सदस्य स्वयं सत्याग्रह करने को तैयार थे । परन्तु २ सितम्बर को सारी नीति ही बदल दी गई है । यह एक मूल परिवर्तन है । ऐसा करते हुए प्रधान मंत्री ने हमें अपने विश्वास का पात्र नहीं बनाया है । उन की नीति के फलस्वरूप सज्जन से सज्जन समय के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं । सांसदिक प्रशासन पद्धति में हमें एक दूसरे को विचार विमर्श तथा तर्क से विश्वास दिलाना चाहिये । हो सकता है कि १५ अगस्त की घटनाओं के बाद नीति में विद्यमान कुछ ढील को दूर किया गया हो । परन्तु केवल चार स्थानों पर सत्याग्रहियों की संख्या बहुत अधिक थी । ऐसा क्यों हुआ । इस का उत्तरदायित्व बम्बई के मुख्य मंत्री पर है । उन्होंने परिवहन को एकदम रोक दिया । परिणामतः लोग उन स्थानों की ओर दौड़े जहां पहले सत्याग्रहियों को योजनाबद्ध तरीके से भेजा जाना था । परिवहन के रुकने से सारी योजना में अस्त-व्यस्तता आ गई ।

बम्बई में १५ और १६ अगस्त को जो घटनायें हुई, बम्बई का नागरिक होने के नाते मैं उन पर खेद प्रगट करता हूं । यह बम्बई के मुख्य मंत्री का कठोर रवैया था जिस से लोग जोश में आ गये । बम्बई के मुख्य मंत्री नहीं चाहते थे कि गोआ के बारे में वह नीति अपनाई जाये जिसे प्रधान मंत्री अपनाना चाहते थे । मैं यह नहीं कह रहा कि वह चाहते थे कि लोग उत्तेजित हों, किन्तु उन का रवैया इतना कठोर और अनुत्तरदायी था कि लोगों में उत्तेजना फैल गई । उन्होंने जो स्थिति अपना ली थी, उसे वह बिल्कुल नहीं बदलना चाहते थे और वह प्रधान मंत्री की नीति को पुनरीक्षित कराने के लिये बहुत उत्सुक थे । इसलिये हमें केवल बम्बई के लोगों को दोष नहीं देना चाहिये । शेष भारत में क्या हुआ ? देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए । क्या ये शान्तिपूर्ण नहीं थे । दिल्ली में, कलकत्ता में, छोटे छोटे ग्रामों में सब दुकानें बन्द थीं और सब लोग शोक मना रहे थे ।

हम बताया जाता है कि नीति यह है कि अपने आप को स्वतंत्र कराने का उत्तरदायित्व स्वयं गोआ वालों पर है । मैं आप को बता सकता हूं कि ३००० गोआनियों को कैद किया जा चुका हैं, १५ अगस्त को ९० गोआनियों ने भारत से जाने वाले सत्याग्रहियों का साथ दिया था और १२० गोआनी गोआ के अन्दर कैद किये गये थे । हम जानते हैं कि आज गोआ में १२,००० सशस्त्र सैनिक हैं और इन के पीछे एक तानाशाही शासन है । ये लोग इस तानाशाही शासन के विरुद्ध लड़ते रहे हैं । विश्व के और कई लोग इस तरह गोआनियों की तरह मुकाबला न कर सकते । फिर भी हम सारा उत्तरदायित्व उन पर डालते हैं । हम ने पहले क्यों स्वीकार किया था कि भारतीयों को भाग लेना पड़ा

था ; क्योंकि हम जानते थे कि पुर्तगालियों के मुकाबले में इन की संख्या बहुत कम है, और जब तक भारतीय इस अहिंसात्मक संघर्ष में उन का साथ न देंगे, वे पुर्तगालियों का सामना नहीं कर सकेंगे। किन्तु अब २ सितम्बर से भारतीयों की सहायता वापस ले ली गई है। गोआनी उन के सामने कैसे ठहर सकेंगे ? आज सैंकड़ों की संख्या में वे गोआ की जेलों में बन्द हैं और मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। बहुत से अन्य लोगों के कैद किये जाने की भी संभावना है। इन लोगों का क्या होगा ? आज गोआ के लोग हतोत्साहित हैं ; उन्हें अलग कर दिया गया है। भारत के लोगों की शक्ति से और सहायता से उन्हें वंचित कर दिया गया है। मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस बात के लिये क्या कार्यवाही करेंगे कि वे गोआनी जो इस समय पुर्तगाली जेलों में हैं मौत के मुंह में न जायें ? उन की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा ? हम गोआ वालों से सत्याग्रह करने के लिये कहते हैं, किन्तु उन का साथ नहीं देते। अकेले वे कब तक लड़ सकेंगे ?

प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। यदि ये एक वर्ष पूर्व लगाये जाते, तो पुर्तगाली सरकार को झुकाया जा सकता था। इस एक वर्ष की अवधि में, जब कि हम ने गोआ की समस्या की उपेक्षा की है, पुर्तगाली सरकार ने बहुत तैयारी कर ली है। उस ने, कराची, कोलम्बो और अदन से हवाई और सामुद्रिक यातायात सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं और उसे हर प्रकार की सहायता मिल रही है। अब आर्थिक प्रतिबन्धों से पुर्तगाली सरकार नहीं दबेगी। मैं समझता हूं कि यह पग बहुत देर से उठाया गया है ?।

पिछले कुछ दिनों से प्रधान मंत्री न गोआ सम्बन्धी नीति में एक और संशोधन किया है और अब वह गोआ के बारे में आत्म-निर्णय की बात करते हैं। मैं यह नहीं समझ सका, क्योंकि गोआ वाले जब स्वतंत्रता के लिये लड़ते हैं, तो इस आशा में कि गोआ भारत का अंग बनेगा।

कुछ मास पूर्व राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि फार्मोसा पर चीन का अधिकार है। किन्तु जब गोआ का मामला उठता है तो आत्म-निर्णय का प्रश्न उठाया जाता है ; यह क्यों ?

प्रधान मंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि गोआ के संघर्ष के मामले में भारतीय लोगों का भी उत्तरदायित्व है। मैं उन से पूछता हूं कि हम यह उत्तरदायित्व कैसे पूरा करें ? इस महान् स्वतन्त्रता आन्दोलन में हम किस तरह भाग लें ? क्या हम गोआ वालों को अकेला छोड़ दें और सारा उत्तरदायित्व उन पर डाल दें ?

जब प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि हमें शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सैनिक कार्यवाही करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया। किन्तु क्या इस नीति का अनुसरण केवल एक पक्ष कर सकता है ? पुर्तगाल की क्या नीति है ? क्या उसे शान्तिपूर्ण तरीकों में रुचि, और विश्वास है ? पुर्तगाल ने भारत में अपनी बस्तियों को सैनिक छावनियों में परिवर्तित कर रखा है और वे सिर से पांव तक कीलकांटे से लैस हैं। यदि हम भी अपनी सेना उस आधार पर बनायें, जिस पर कि पुर्तगाल ने गोआ में सैनिक रखे हैं, तो हमारे रक्षा मंत्री को अपनी सेना ७२ लाख व्यक्तियों तक बढ़ानी पड़ेगी।

गोआ हमारे देश का एक अंग है। इस पर एक विरोधी शक्ति ने अधिकार जमा रखा है और इसे एक शक्तिशाली सैनिक

[श्री अशोक मेहता]

अड्डा बना रखा है । क्या यह हमारी सुरक्षा के लिये एक खतरा नहीं हैं । क्या यह हमारी छाती पर एक छुरा नहीं है ? मैं शान्तिपूर्ण नीति का स्वागत करता हूं किन्तु हमें हिंसा का मुक़ाबला अहिंसा से करने दीजिये । प्रधान मंत्री हमें ऐसा नहीं करने देते वह पूछते हैं कि यह कैसे हो सकता है? हो सकता है कि सरकार तैयार नहीं है, परन्तु हमारें युवक और युवतियां तैयार हैं । स्वतंत्रता के आन्दोलन में बहुत से लोग मरते हैं । मुझे इस में सन्देह नहीं कि यदि प्रधान मंत्री कुछ और दिनों या सप्ताहों तक हमें ढील देते तो वह देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अहिंसा उतनी ही प्रभावोत्पादक है, जितनी कि आन्तरिक मामलों में । किन्तु प्रधान मंत्री हमे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते । उन का ख्याल है कि वह इस समस्या को राजनयिक दबाव से हल कर लेंगे । मैं उन से पूछता हूं कि वह क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या वह सालाज़ार को समझा कर अपने पक्ष में कर लेंगे ? क्या वह उन्ह भारत में आने का निमंत्रण देकर उन से बातचीत करेंगे ? राजनयिक दबाव का अर्थ क्या है ? क्या प्रधान मंत्री को आशा है कि ब्रिटेन और अमेरिका हमारी ओर से पुर्तगाल पर दबाव डालेंगे ? क्या आप आशा करते हैं कि अमेरिका जो कि फ्रांकों को अपने साथ मिलाने के लिये निरन्तर कोशिश करता है सालाज़ार को अपना विरोधी बना लेगा ? मैं उनसे पूछता हूं कि क्या ईडन या आइज़नहावर सालाज़ार पर किसी प्रकार का दबाव डालेंगे ।

हमारे प्रधान मंत्री पोप से मिल कर आये हैं । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या पोप गोआ के कैथोलिक राज्य पर कोई दबाव डाल सकेंगे और उस से कहेंगे कि वह ठीक रास्ते पर चले ? हम स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं और हम जानते हैं कि क्या घटनायें हो रही हैं । मैं जानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री चमत्कार पैदा कर सकते हैं । किन्तु पिछले इतिहास के आधार पर हम कह सकते हैं कि सालाज़ार के हृदय में परिवर्तन लाने का चमत्कार राजनयिक दबाव से नहीं किया जा सकता । मैं यह नहीं कहता कि सैनिक कार्यवाही की जाये किन्तु मैं राजनयिक कार्यवाही को बेकार समझता हूं । आर्थिक प्रतिबन्धों से कोई सफलता नहीं होगी क्योंकि आप ने ये बहुत देर से लगाये हैं । केवल एक ही तरीक़ा है और वह यह है कि भारतीय लोगों को दबाव डालने दिया जाय और उन्हें देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने और मरने दिया जाये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं नई नीति की घोषणा के बाद सत्याग्रहियों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया गया है । मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि हमारी अपनी पुलिस ने कुछ सत्याग्रहियों को जो गोआ में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे थे, लात मार कर निकाल दिया है । मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि स्वतन्त्रता सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाये ।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि इस मामले के सम्बन्ध में सदन के विभिन्न राजनैतिक पक्षों का एक सम्मेलन बुलायें और उनके परामर्श के साथ एक सांझी नीति निश्चित करें ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सब पहलुओं पर नहीं बोलना चाहता । मुख्य रूप से मैं गोआ की समस्या की चर्चा करूंगा । इस समस्या के बारे में प्रधान मंत्री के भाषण

से हमें आश्चर्य हुआ है क्योंकि उन का दृष्टि-कोण अब बिल्कुल बदल गया है ।

पंचशील, जनेवा सम्मेलन और अन्य घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में बहुत कमी हुई है और हमारे देश का विश्व स्थिति के बदलने में बड़ा हाथ रहा है । उपनिवेश-वादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वालों का समर्थन करने मे भारत का दर्जा ऊंचा हो गया है । किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि देश में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, जो कि शान्ति के सिद्धान्त के विरुद्ध है । मेरा निर्देश इस मामले की ओर है कि हमारे देश के पत्तनों से युद्ध का सामान भेजा जा रहा है, जो कि अंग्रेज़ मलाया के लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिये प्रयोग करेंगे । इस सामान से सिंगापुर में सीडो का अड्डा भी बनाया जा रहा है । हमारी सरकार इस कार्य को बन्द क्यों नहीं करती । अंग्रेज़ मलाया की तरह कीनिया में भी अपना अत्याचार जारी रख रहे हैं । हमें आशा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल कीनिया के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ की अगली बैठक में उठायेगा । बांडुंग सम्मेलन के बाद एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में शान्ति स्थापना के लिये चीनी लोग के साथ मिल कर काम किया जा सकता है । चीन के प्रधान मंत्री ने इस का उल्लेख किया है । हमारे प्रधान मंत्री को इस मामले में पहल करनी चाहिये ।

अब मैं गोआ के प्रश्न को लेता हूं । सरकार द्वारा सत्याग्रह पर प्रतिबन्ध लगा देना न केवल भारतीय लोगों के साथ विश्वास-घात है बल्कि गोआ के लोगों पर कुठाराघात है । अब सरकार की बुनियादी नीति यह है कि किसी प्रकार की कार्यवाही —पुलिस कार्यवाही, सावजनिक कार्यवाही, व्यक्तिगत कार्यवाही—न की जाये । अब गोआ में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा । यदि कोई कोशिश करेगा, तो उसे भारतीय पुलिस पकड़ लेगी । गोआ को स्वतन्त्र कराने के लिये लोगों की कार्यवाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, इस का अर्थ यह है कि लोगों के इस अधिकार पर भी प्रतिबन्ध है कि वे गोआ की स्वतन्त्रता का समर्थन कर सकें ।

१५ अगस्त से पहले प्रधान मंत्री और कांग्रेस के प्रधान ने गोआ के संघर्ष का नैतिक रूप से समर्थन किया था । उन्होंने यह भी कहा था कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है । अब यह कहना सच नहीं है कि इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अब सत्याग्रहियों को रोका जाता है, उन्हें अहिंसा का प्रयोग नहीं करने दिया जाता । स्वयं प्रधान मंत्री ने १५ अगस्त को सत्या-ग्रहियों की प्रशंसा की थी किन्तु उस दिन की घटनाओं के बाद यह संघर्ष बन्द कर दिया गया है ।

हमारे देश की यह परम्परा रही है कि हम विश्व के अन्य भागों में स्वतन्त्रता संग्रामों का समर्थन करते आये हैं । यदि हम शान्ति की नीति का समर्थन करते हैं, तो इस का अर्थ यह नहीं है कि हम उपनिवेशवाद का समर्थन करने लगें । जब हमारी यह परम्परा है कि हम स्वतन्त्रता के संग्राम का समर्थन करते हैं, तो अब हम क्यों अपने लोगों को एक विदेशी सरकार के विरुद्ध लड़ने से और अहिंसात्मक कार्यवाही करने से रोकते हैं ? आज के समाचारपत्रों में छपा है कि हमारे सत्याग्रहियों को भारतीय पुलिस ने ही धक्के मार कर निकाल दिया है । यह बहुत बुरी बात है । १५ अगस्त से पहले घोषणा की गई थी कि सत्याग्रह तेज कर दिया जायेगा । मैं नहीं जानता कि १५ अगस्त से बाद क्या परिवर्तन हो गये हैं जिनके कारण नीति बदलनी पड़ी है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि बुनियादी नीति शान्ति और अहिंसा की है । क्या १५ या १६ अगस्त को देश में कोई ऐसी चीज़

[श्री ए० के० गोपालन]

हुई है जो इस बुनियादी नीति के विरुद्ध है। सत्याग्रह पहले भी होता रहा है, किन्तु यह पहली बार है कि इसे देश के सब दलों ने मिल कर किया है और यह नितान्त शान्तिपूर्ण रहा है। प्रधान मंत्री कोई एक उदारहण दें जिससे यह पता चले कि यह शान्तिपूर्ण रहीं था या सत्याग्रही हिंसात्मक हो गये थे। उन्होंने कहा है कि बम्बई में कुछ घटनायें हुई हैं। किन्तु वहां यह हुआ था कि गोआ में सत्याग्रहियों को गोली का शिकार बनाये जाने के बाद बम्बई के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो कर पुर्तगालियों की कार्यवाही के प्रति विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। इस प्रदर्शन का अर्थ यह नहीं कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये।

मैं बम्बई की घटना के विस्तार में नहीं लाना चाहता। यह केवल एक ही घटना थी। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। बम्बई की घटना के आधार पर कोई उत्तरदायी सरकार यह नहीं कह सकती कि स्वतन्त्रता आन्दोलन बन्द कर दिया जाये। यदि आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहा है तो कोई कारण नहीं कि इसे बन्द किया जाये और नीति में परिवर्तन किया जाये।

कांग्रेस के प्रधान ने कहा है कि गोआ की स्वतन्त्रता की समस्या राष्ट्रीय महत्व की समस्या है। इस पर सब दल इकट्ठे हो गये हैं और सब भारतीय इकट्ठे हो गये हैं। गोआ विमोचन समिति में सब दलों के प्रतिनिधि हैं। यदि इस के बावजूद नीति बदल दी जाती है तो लोग इसे नहीं समझ सकते।

प्रधान मंत्री के रूस से लौटने पर उनका भाषण सुनने के लिये रामलीला मैदान में लाखों व्यक्ति एकत्रित हुये थे और कुछ ही दिनों बाद सरकार की नीति का प्रतिरोध करने के लिये वे ही लोग उसी स्थान पर एकत्रित हुये। वे लोग ही जो पहले सत्याग्रह के लिये प्रोत्साहित करते थे अब सत्याग्रह के लिये मना करते हैं। अब लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहां तक पुर्तगाल का सम्बन्ध है शान्तिपूर्ण उपायों से कार्य नहीं चल सकता इस कारण पुलिस कार्यवाही को जानी चाहिये।

१६ और १७ अगस्त को देश के प्रत्येक कोने में प्रदर्शन किये गये और यहां तक हुआ कि जनता ने कह दिया कि वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी गोआ को मुक्त कराना चाहती है। वे चाहते थे कि सरकार इस कार्य में उनकी सहायता करे।

अब हमें देखना यह है कि सत्याग्रह को बन्द करने की जो बात अब कही जा रही है, क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी परिवर्तन के कारण कही जा रही है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि किसी साम्राज्यवादी प्रभाव के कारण सत्याग्रह वापस नहीं लिया जा रहा है। किन्तु मैं बताना यह चाहता हूं कि अंग्रेजी और अमरीकी समाचारपत्रों ने इस सत्याग्रह की भरसक निन्दा की है जब कि दूसरी ओर सभी एशियाई देशों तथा संसार के अन्य सभी देशों ने इसका समर्थन किया है। यहां तक कि चीन आदि देशों में बैठकें तथा प्रदर्शन तक किये गये हैं। इन सभी देशों की सरकारों तथा जनता का कथन है कि पुर्तगाल सरकार की यह कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे विचार से इस नीति में अचानक परिवर्तन का कारण यही है कि अंग्रेज इसके विरोधी हैं।

एक दूसरा कारण मुझे देश में जनतन्त्रात्मक शक्ति का भय प्रतीत होता है। १६ और १७ अगस्त को सरकार जनता की एकता का उदारहण देख ही चकी है। आज हमारी

सरकार ने भी इसी भय के कारण इस राष्ट्रीय आन्दोलन को, जिसमें सभी दलों के लोग एकमत हो कर भाग ले रहे हैं, वापस ले लिया है ।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि शान्ति की दृष्टि से उन्हें ऐसा करना पड़ा है, पंच शील के कारण ऐसा करना पड़ा है । आज यह कहना कि भारत सरकार के देश से अभ्याक्रामी साम्राज्यवाद को समाप्त करने से देश में विश्व शान्ति भंग हो जायेगी और शान्ति के मार्ग में बाधा पहुंचेगी, पंच शील के सिद्धान्तों की छेछलेदार करना तथा बांडुग घोषणा को अस्वीकार करना होगा । कहा यह जाता है कि पंचशील का तात्पर्य सह-अस्तित्व है । ठीक है, किन्तु सह-अस्तित्व केवल दो देशों के स्वतन्त्र लोगों के बीच ही हो सकता है, दमनकारी तथा दमन किये जाने वाले लोगों के बीच नहीं हो सकता । पंच शील का अर्थ है सरकारों के बीच बातचीत तथा समस्याओं का शान्तिपूर्ण उपायों से समझौता होना । जैसा कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा है, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से गोआ तथा भारत के लोग एक हैं । हमारे प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि पुर्तगाली भारत में विजय प्राप्त करने के लिये आये थे । आज हमारे देश के एक अंग यानी गोआ में अभी भी विदेशी शासन चल रहा है । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, सह-अस्तित्व दो स्वतन्त्र देशों में हो सकता है, चाहे वहां किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो ।

बाण्डुंग सम्मेलन में जो घोषणा की गई थी वह उपनिवेशवाद के विरुद्ध घोषणा थी । अतः यदि हम शान्ति और सह-अस्तित्व की नीति को जारी रखना चाहते हैं तो हमारे मार्ग में जो रोड़ा है, उसे निकालना होगा । और वह रोड़ा है विदेशी शासन द्वारा दमन, आधिपत्य तथा शोषण करना । ऐसा करना किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को अस्वीकार करना है तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के विरुद्ध है । और इसी से विश्व शान्ति तथा सहकारिता की नीति में अड़चन पड़ती है । जहां तक बांडुंग में की गई घोषणा का सम्बन्ध है, भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री अपनी यह बात भूल नहीं गये होंगे कि गोआ में पुर्तगाली शासन रहने से भारत की राजनीतिक प्रणाली में एक प्रकार का हस्तक्षेप होता है जो पंच शील के सिद्धान्त के विरुद्ध है । अतः आज हमें औपनिवेशिक प्रणाली से युद्ध करना होगा क्योंकि यही उचित उपाय है और ऐसा करना न तो पंच शील के सिद्धान्त के विरुद्ध ही होगा और न बांडुंग सम्मेलन में की गई घोषणा के ही प्रतिकूल होगा ।

हम सभी इस बात से सहमत हैं कि शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत की जानी चाहिये । पिछले आठ वर्षों से हम देख ही रहे हैं कि इस नीति का क्या परिणाम निकला है । गोआ की सरकार से हमारे प्रधान मंत्री ने प्रभुता के सम्बन्ध में बात करने के लिये निवेदन किया किन्तु वह इसके लिये भी तैयार नहीं हुई । इस सम्बन्ध में तो सालाज़ार ने कहा है कि गोआ के सम्बन्ध में बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । शान्तिपूर्ण बातचीत के सम्बन्ध में तो दोनों पक्षों का तैयार होना आवश्यक है अन्यथा हमारी दशा उस अविवाहित पुरुष के समान होगी जो यह कहे कि यद्यपि लड़की तो तैयार नहीं फिर भी मैं ने विवाह तय कर लिया है और वह कल होगा ।

हम कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं किन्तु सरकार हमें यह भी तो आश्वासन नहीं दे रही है कि वह इस सम्बन्ध में बातचीत कर रही है । सालाज़ार की तो बुद्धि और मस्तिष्क दोनों बदल चुके हैं । हमारे यहां

[श्री ए० के० गोपालन]

के न जाने कितने लोगों ने कितने बलिदान किय हैं फिर भी वे कुछ दिन और प्रतीक्षा कर सकते हैं ।

विमोचन तो जनता की सहायता से ही हो सकता है । मैं तो कहता हूं कि जनता के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी, कराइकल तथा माहे को छोड़ा । इतना ही नहीं वियतनाम के लोगों के कारण ही फ्रांसीसियों ने भारत को छोड़ा । अतः जनता के करने पर बहुत कुछ निर्भर करता है । हम जानते हैं कि न तो पुर्तगाली सरकार समझौता करने के लिये तैयार है और न कोई अन्य ही शक्तियां ऐसी हैं जो उसे उसके लिये तैयार करें ।

प्रधान मंत्री का यह कहना ठीक है कि वैदेशिक नीति तथा आन्तरिक नीति में समन्वय होना चाहिये । किन्तु मैं पूछना हूं कि क्या देश में ऐसा हो रहा है ? यदि हो रहा है तो दार्जीलिंग में ऐसा न होता । कहा यह जाता है कि सरकार अहिंसात्मक नहीं है और सरकार अहिंसात्मक नहीं हो सकती । मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु मेरा कथन इतना ही है कि यदि हमारी सरकार की नीति समझौता करने और बातचीत करके कोई उपाय ढूंढ निकालने की होती तो पटना तथा अन्य अनेक स्थानों में गोली चलाने और मार डालने की इतनी घटनायें नहीं होती ।

आठ वर्षों से गोआ का प्रश्न चल रहा है और पुर्तगाली सरकार समझौते के लिये तैयार नहीं हो रही है । ऐसी सरकार के साथ हमारी सरकार की शान्ति की नीति चल रही है । कोई भी व्यक्ति सत्याग्रह नहीं करेगा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप विदेशी शासन के विरुद्ध कोई भी आवाज उठाना नहीं चाहते ।

आज सत्याग्रह पर प्रतिबन्ध लगाना हमारे देश के इतिहास पर एक कलंक होगा । इस प्रकार के संघर्ष का हमने न केवल अपने ही देश में वरन् विदेशों में भी समर्थन किया है । आज हमारी सरकार को चाहिये कि वह बांडुंग सम्मेलन के देशों के प्रधान मंत्रियों की एक बैठक बुलाये । उस से उसे अपने मित्रों और शत्रुओं का पता लग जायेगा । यदि समय आ गया है तो पुर्तगाली सरकार को चुनौती देकर पुलिस कार्यवाही की जानी चाहिये, चाहे ऐसा करना सरकार की नीति के विरुद्ध हो । ऐसा करना पंच शील सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं होगा । गोआ की विमुक्ति के लिये हमें संसार के अन्य राष्ट्रों के सहयोग से ऐसी ही कार्यवाही करनी चाहिये ।

आक्रमण तथा विमोचन में बड़ा अन्तर है । पहले का तात्पर्य है किसी दूसरे के राज्य-क्षेत्र में घुसना जब कि दूसरे का तात्पर्य कुछ और ही है । गोआ हमारे ही देश का एक भाग है इसलिये हम विमोचन-संग्राम में उसका साथ देते हैं । यदि समझौते से काम न चले तो पुलिस कार्यवाही का सहारा अवश्य लेना चाहिये ।आज मेरा कहना यह है कि 'प्रतिबन्ध' हटा दीजिये । यदि प्रतिबन्ध न हटाया गया तो पुर्तगालियों की गोली की बौछारें तथा सरकार के प्रतिबन्ध के बावजूद भी गोआ के विमोचन के लिये लोग आगे बढ़ेंगे ही ।

श्री रघुरामैया : साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन ने विमोचन संग्राम तथा अन्य प्रकार के संग्रामों में अन्तर बताया है । एक समय था जब कि वह बड़े बड़े शान्ति सम्मेलन तथा युद्ध रोकने के उपाय किया करते थे । मेरी समझ में नहीं आता कि अब वह ऐसा किस प्रकार कहने लगे हैं । बड़प्पन की सबसे अच्छी परीक्षा बातें बनाने में नहीं वरन् इस बात में है कि जो कुछ कहा जाये उसे कार्य रूप में परिणत करके दिखाया

आये। आज सम्पूर्ण विश्व की आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं क्योंकि हम विश्व की घटनाओं को सुलझाने में भाग लेते रहे हैं। पिछले महा-युद्ध से एक ओर कोरिया और इण्डोनेशिया में युद्ध तथा दूसरी ओर विश्व की राजधानियों में तनाव हमें परिणामस्वरूप मिले हैं। मैं जिस दल का हूं, उसका आन्दोलन सम्पूर्ण संसार में व्यापक होता जा रहा है और यह विश्वास बनता जा रहा है कि सारी चीजों को एकमात्र, शान्तिपूर्ण उपायों से ही हल करना चाहिये। सह-अस्तित्व जिस पर साम्य-वादी दल के नेता ने जोर दिया है, वह नीति के आधारों में से एक है। सह-अस्तित्व का तात्पर्य यह नहीं कि दमन करने वाला जिस पर दमन किया जा रहा हो उसे और भी दबाता ही चला जाये। इसका हल तो यह है कि उसे मुक्त करने का प्रयत्न किया जाये।

हम जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं, सारा संसार उसकी प्रशंसा कर रहा है। यह नहीं कि हम युद्ध नहीं कर सकते। हम युद्ध कर सकते हैं किन्तु जानते हैं कि उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। क्या रूस वालों के मस्तिष्क से जर्मनी का भय निकल गया है? अतः मेरा कहना है कि हमें युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिये। वैसे तो मेरे मित्र सरकार की साहसपूर्ण नीति का समर्थन करते हैं; परन्तु वे चाहते हैं कि गोआ की नीति में कुछ छूट दी जाये। मैं नहीं कह सकता कि वास्तव में वे यही चाहते हैं या कुछ और। श्री अशोक मेहता सामूहिक सत्याग्रह चाहते हैं जब कि कांग्रेस दल इसके लिये तैयार नहीं है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में चाहे कुछ भी हो। जहां तक मुझे ज्ञात है इस सम्बन्ध में किसी को संशय नहीं होना चाहिये कि भारत सरकार ने सामूहिक आन्दोलन को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। आप शान्तिपूर्ण सत्याग्रह की बात करते हैं जबकि हजारों की संख्या में लोगों पर वहां गोली चलाई जाती है। यहां आकर आप कहते हैं कि निरपराधों को मारा जा रहा है इसलिये आप वहां जाने के लिये कहते हैं। आपके लिये तो यह छोटा युद्ध है। हमारा राष्ट्र एक परिपक्व राष्ट्र है और हम अपनी ख्याति रखना चाहते हैं। गोआ के सम्बन्ध में दो रायें नहीं हैं। यह देश गोआ अथवा अन्य किसी भाग पर विदेशी आधिपत्य सहन नहीं करेगा।

अब प्रश्न यह है कि इसका उपाय क्या है? क्या जिस नीति का हम वर्षों से पालन करते आये हैं तथा अन्य देशों को हमने जिस नीति का उपदेश दिया है, उसे हम एक दम भुला दें। हमें तो यह दिखाना चाहिये कि पंचशील के सिद्धान्तों को किस प्रकार व्याव-हारिक रूप दिया जाये तथा उनके द्वारा किस प्रकार समस्याओं को हल किया जाये। क्या हम जब अपने सामने ऐसी समस्या आये तो उसे अपवाद कह कर टाल दें।

मैं इस सम्बन्ध में भारत स्थित अमरीकी राजदूत के दृष्टिकोण की चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि कुछ समय पूर्व अमरीका में भारत की नीति की आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा था कि यद्यपि भारत को स्वतन्त्र हुये अभी बहुत थोड़ा समय बीता है फिर भी संसार में फैले हुये तनाव को दूर करने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। राजनीतिक प्रणालियों में इतनी विभिन्नता तथा कुछ मूल बातों में असहमति होते हुये भी बांडुंग सम्मेलन में भारत ने पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यह श्रेय बांडुंग सम्मेलन को है और प्रधान मंत्री नेहरू के विशद दृष्टिकोण को है कि सम्मेलन में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व होते हुये भी कोई अपवर्जितता नहीं प्रकट की गई।

यह सब मैं ने इस लिये कहा कि भारत की वैदेशिक नीति की प्रशंसा चारों ओर

[श्री रघुरामैया]

की जा रही है। जब कि हमने सारी समस्याओं को शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने में अगुवाई की है तो फिर भला क्या हम उसे यों ही त्याग दें ? क्या हम हज़ारों निरपराधों को पुर्त-गालियों की गोलियों का शिकार बना दें ? मैं नहीं चाहता कि सामूहिक सत्याग्रह के द्वारा हमारे यहां के लोग निर्दयतापूर्वक भून डाले जायें ? इसीलिये सरकार ने सत्याग्रह को रोक दिया है। विरोधी दल के लोग चाहे कुछ भी कहें किन्तु वास्तविकता यही है। उनका कहना है कि केवल वे ही गोआ विमोचन चाहते हैं।

श्रीमती सचेता कृपालानी (नई दिल्ली): हमने जवाहर लाल जी से निवेदन किया था कि इस आन्दोलन में भाग लेने के लिये वह कांग्रेस के लोगों को हमारी समिति में आ जाने की अनुमति दें।

श्री रघुरामैया : श्री अशोक मेहता का कथन है कि कांग्रेस वाले तो केवल प्रधान मंत्री के वचनों का पालन करना जानते हैं। यह बात पूर्णतः सत्य है और हमें इसका गर्व है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : हम आपका सहयोग चाहते थे। लेकिन आप बीच में ही छोड़ गये।

श्री रघुरामैया : हम छोड़ कर नहीं गये। हम आपको आमन्त्रित करते हैं कि हमने जो प्रतिष्ठा पाई है आप उसके भागी बनें। श्री अशोक मेहता के वैदेशिक नीति निर्माण में भाग लेने के सम्बन्ध में मेरा कथन यह है कि यह तो उन्हीं पर निर्भर करता है और वह इसमें शौक़ से भाग ले सकते हैं, उन्हें रोकता कौन है ? किन्तु ध्यान में रखने की बात यह है कि जो नीति हमने विरासत के रूप में पाई है उसका पालन होना चाहिये। आप चाहते हैं कि हम आपकी नीति का पालन करें जब कि यह चीज़ हमारे सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं।

श्री अशोक मेहता ने कहा था कि यह दल वैदेशिक नीति का शोषण कर रहा है। मैं कब कहता हूं कि आप इसमें भाग न लीजिये, यह तो राष्ट्रीय नीति है। जब वह आपके पक्ष में होती है तब तो आप इसे राष्ट्रीय नीति कहते हैं और जब पक्ष में नहीं होती तो आप इसे कांग्रेस की नीति कहने लगते हैं। ऐसा ठीक नहीं। जो भी काम करना हो पूरी तरह से किया जाना चाहिये। हम अपनी वर्तमान वैदेशिक नीति पर गर्व करते हैं।

गोआ सम्बन्धी वर्तमान नीति पूर्णतः तार्किक है। सामूहिक अन्दोलन से कोई लाभ नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमें पुलिस कार्यवाही करनी पड़े। अतः मैं सरकार की इस नीति का पूर्ण समर्थन करता हूं और एक बार फिर श्री अशोक मेहता तथा प्रजा समाजवादी दल के अन्य सदस्यों को निमंत्रण देता हूं कि वे इस नीति की ख्याति के भागी बनें।

श्री कामत (होशंगाबाद) : ईश्वर बचाये। आप सारी ख्याति अपने ही पास रखिये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं ने मूल प्रस्ताव के स्थान में एक प्रस्ताव रखा है जिस में कहा गया है कि सभा एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद का उन्मूलन करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के प्रयत्नों की सराहना करती है लेकिन गोआ और दूसरी पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति से सहमत है।

इस प्रस्ताव पर प्रजा समाजवादी दल के तीन सदस्यों—श्री गुरुपादस्वामी, श्री कामत और श्री राघवाचारी,— श्री वी०

जी० देशपांडे और साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन के हस्ताक्षर हैं ।

तीन महीने पहले मैं ने लंदन में भारतीय राजदूत श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के सौजन्य से एक प्रेस सम्मेलन में भाषण दिया था । उस समय मैं ने टोरी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से कहा था कि भारत के सभी दलों ने, चाहे वे संसद् में हैं या नहीं, गोआ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के रवैये का समर्थन किया है । गोआ भारत का अंग है और उसी को मिलना चाहिये । उस समय मेरा यही विचार था कि इस प्रश्न पर हमारी नीति राष्ट्रीय नीति है और इस पर विभिन्न दलों में मतभेद नहीं है ।

इन तीन महीनों के बाद मुझे विवश हो कर बड़े खेद के साथ यह प्रस्ताव रखना पड़ रहा है । देश को इस बात का बड़ा दुःख और शर्म है कि सत्ताधारी दल ने इस प्रश्न पर संयुक्त मोर्चा तोड़ दिया है । मई में हम लोग श्रीमती सुचेता कृपालानी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री से मिले थे और उनसे कहा था कि "चूंकि गोआ के प्रश्न पर सरकार और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है इस लिये हम ने सभी दलों की एक समिति बनाई है । परन्तु हम तब तक काम प्रारम्भ नहीं करना चाहते जब तक कि कांग्रेस वाले भी शामिल न हों । हम कांग्रेस सदस्यों से मिले हैं और वे हमारे साथ मिल कर काम करने को तैयार हैं । हम तीन सम्मेलन करना चाहते थे परन्तु हम ने तीसरे संयोजक का स्थान कांग्रेस के लिये खाली रखा । प्रधान मंत्री ने इस समस्या पर विचार करने के लिये दो दिन का समय मांगा । दो दिन के बाद उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को संसद् के सभी दलों के सदस्यों की समिति में शामिल होने की अनुमति दे दी । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस में किसी दल विशेष की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है । समिति ने यह निश्चय किया कि वह बहुमत से कोई निर्णय नहीं करेगी बल्कि जिस बात के पक्ष में सभी का मत हो उसी को माना जायगा । हम ने निर्णय किया कि गोआ के प्रश्न पर जनमत इकट्ठा करने के लिये चार सम्मेलन किये जायें । पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ जिसके सभापति श्री फ्रैंक एन्थनी थे । उस के बाद कलकत्ते के सम्मेलन का सभापतित्व हैदराबाद कांग्रेस के प्रधान श्री रामानन्द तीर्थ ने किया । उन्होंने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया और एकमत से यह निर्णय किया गया कि सत्याग्रह किया जाय । यही एक रास्ता था । प्रधान मंत्री कहते हैं कि शान्तिपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिये । तो फिर सत्याग्रह और बातचीत— यही दो रास्ते हैं । जहां तक बातचीत का सम्बन्ध है, सलाज़ार आप से बात करने के लिये भी तैयार नहीं हैं । श्री वी० जी० देशपांडे पर गोआ की जेल में अत्याचार हुये तो मैं ने सोचा कि सलाज़ार से भेंट करूं । मैं ने योरुप में अपने कुछ मित्रों से इस सम्बन्ध में बातचीत की । उन्होंने कहा कि पुर्तगाली तो यह कहते हैं कि वे श्री नेहरू या उन की सरकार के किसी प्रतिनिधि से अपनी प्रभुता छोड़ने के सम्बन्ध में बात करने के लिये तैयार नहीं है । मैं ने सलाज़ार को एक तार भेजा कि आप बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? परन्तु उसने इन्कार कर दिया । इस के बाद हमारे पास यही रास्ता है कि हम गोआ की आज़ादी के लिये कुर्बानी दें और दुःख झेलें । मैं श्री नेहरू की इस बात से सहमत हूं कि भारत के किसी क्षेत्र पर पुर्तगाल के अधिकार से हमारे आत्मसम्मान को धक्का पहुंचता है और यह भारत माता की बेइज्ज़ती है । मैं ने हाउस आफ़ कामन्स के सदस्यों से बात की और यह देख कर हैरान हुआ कि उन्हें गोआ के सम्बन्ध म बड़ी ग़लतफ़हमियां हैं । वे समझते हैं कि गोआ में कैथोलिक

[श्री एन० सी० चटर्जी]

बसते हैं। मैं ने उन्हें बताया कि वहां ६४ प्रतिशत हिन्दू हैं। मैं ने उन लोगों को वास्तविकता बताई। सरदार पानीकर की पुस्तक का उद्धरण पढ़ कर सुनाया जिस में उन्होंने लिखा है कि डेढ़ सौ साल के समय में अल्बुकर्क के अतिरिक्त और कोई पुर्तगाली राजनीतिज्ञ ही नहीं हुआ है और पुर्तगाल के शासकों में सम्मान या नैतिकता की भावना ही नहीं है।

तो स्थिति यह है। कांग्रेस के प्रधान ने कहा है कि यह राष्ट्रीय समस्या है। मैं कहता हूं कि केवल यही एक आन्दोलन है जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त है। और मजा यह है कि सभी दलों की एकता का पक्ष लेने वालों ने किसी अन्य दल से परामर्श भी नहीं किया। मैं किसी दल की प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं। जब श्री देशपांडे १८ जून को गोआ गये तो उन के हाथ में हिन्दू महासभा का झण्डा नहीं था बल्कि राष्ट्रीय झण्डा था। जितने भी लोग वहां गये वे सभी राष्ट्रीय झण्डा लेकर और भारत माता के नारे लगाते हुये गये। हमें यह याद रखना चाहिये कि संसद् के एक सदस्य —श्री त्रिदिब कुमार चौधरी अभी तक गोआ में जेल में पड़े हैं। वे क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य हैं परन्तु वे अपने दल के नाम में नहीं लड़े बल्कि भारतीय के नाते लड़े हैं।

आज स्थिति क्या है ? यह आप ने एक तरफ़ा कार्यवाही क्यों की हैं ? क्या आप हम लोगों से—सभी दलों की गोआ समिति से परामर्श नहीं कर सकते थे ? एकाएक अपनी नीति बदलने का क्या कारण है ? मुझे हैरानी है कि नेहरू जैसे व्यक्ति का कथन यह है कि नीति बदली नहीं है। १५ अगस्त, १९५४ को गोआ विमोचन समिति ने गोआ में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। सब से पहले गद्दारी श्री मुरारजी देसाई ने की। उन्होंने १०० स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया जो श्री ईश्वरलाल देसाई के नेतृत्व में गोआ जा रहे थे। उन्हें गोआ में घुसने से रोक दिया गया। क्या गोआ से बाहर रहने वाले लोग सत्याग्रह में हिस्सा नहीं ले सकते ?

अप्रैल, १९५५ में गोआ विमोचन समिति की सदस्या श्रीमती सुधा जोशी ने गोआ में गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन का सभापतित्व किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस के बाद यह आन्दोलन फैलने लगा। १८ मई, १९५५ को कांग्रेस ने स्वयंसेवकों का पहला जत्था गोआ भेजने का निर्णय किया। इस जत्थे के नेता सेनापति बापत और श्री गोरे थे। आप ने उन्हें क्यों जाने दिया ? उस दिन से इस देश की सरकार ने निर्णय किया कि गोआ में सत्याग्रह की अनुमति दे दी जाय।

१९ जुलाई को प्रधान मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में घोषणा की कि गोआ पर पुर्तगाल का अधिकार बेहूदगी है और भारत सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। क्या यह प्रोत्साहन नहीं था ? १९ जुलाई तक स्वयंसेवकों के ९ जत्थे गोआ में प्रविष्ट हो चुके थे। गोआ विमोचन समिति ने अनुचित कार्यवाही नहीं की। श्री रघुरामैया का यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि हम प्रधान मंत्री की इच्छा के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सत्याग्रह करना चाहते थे।

२१ जुलाई को लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के पोते, श्री जयन्त तिलक, जो गोआ विमोचन समिति के सचिव हैं, दिल्ली आये। वे पंडित पंत से मिले और उस के बाद सत्याग्रह के लिये रेल सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया। पंडित पन्त और सरकार ने जो कुछ किया उस के लिये हम उन के

आभारी हैं । मैं कह यह रहा हूं कि गोआ विमोचन समिति ने सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री फिरोज गांधी (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व) : इस समय एक प्रमुख सदस्य बोल रहे हैं और न तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री हैं और न वैदेशिक कार्य उपमंत्री ही उपस्थित हैं । मेरा कहना है कि ऐसे अवसर पर कम से कम किसी मंत्री को तो उपस्थित रहना चाहिये ।

सभापति महोदय : बहुधा यह शिकायत की गयी है । अध्यक्ष पीठ पर बैठे व्यक्ति के लिये मंत्रियों को उपस्थित रहने के लिये विवश करना सम्भव नहीं होता । यह ध्यान तो मन्त्रियों को रखना चाहिये कि वे सभा की इच्छाओं का ध्यान रखें ।

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अनुपस्थिति का यह मतलब नहीं कि सरकार इस विषय पर चर्चा का महत्व कम समझती है । परन्तु दोपहर के खाने का समय हो जाने के कारण प्रधान मंत्री चले गये । मैं यहां बैठा हूं और सब बातें सुन रहा हूं । सारी बातें प्रधान मंत्री तक पहुंचा दी जायेंगी ।

सभापति महोदय : कठिनाई यह है कि माननीय सदस्यों को मालूम नहीं कि कौन कौन से मंत्री प्रधान मंत्री के स्थान पर इस समय बैठे काम कर रहे हैं और सब बातें नोट कर रहे हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं बैठा सारी कार्यवाही देख रहा हूं और सभा सचिव बैठे नोट ले रहे हैं ।

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं विस्तारपूर्वक नोट ले रहा हूं और ये सब प्रधान मंत्री को दे दिये जायेंगे ।

श्री जोकिम आल्वा (कनारा) : मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं । वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्राक्कलनों पर चर्चा हुई थी तो सरकारी गैलरी में एक चौकीदार तक नहीं था । रक्षा मंत्रालय के मामलों पर बहस होता है तो सभी सचिव यहां होते हैं । तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय सभा की यह इज्ज़त करता है ।

श्री सादत अली खां : मंत्रालय के अधिकारियों को और काम करने होते है ।

श्री फीरोज गांधी : हम माननीय सभा सचिव की उपस्थिति के लिये उन के आभारी हैं परन्तु वे वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री या वैदेशिक कार्य उपमंत्री को सभा में आने के लिये सन्देश भिजवा दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री सादत अली खां : उपमंत्री कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच जायेंगे ।

सभापति महोदय : यह ठीक है कि सभा सचिव नोट ले रहे हैं परन्तु अच्छा यही है कि इस तरह के मामले पर चर्चा के समय कुछ मंत्री भी सभा में रहें ।

श्री पाटस्कर : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं—सम्भवतः माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया—कि मैं यहां उपस्थित हूं । जैसा कि मैं ने प्रारम्भ में कहा सभा सचिव महोदय भी नोट ले रहे हैं । यदि वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री भी उपस्थित होते तो शायद और बात थी । मैं यह समझता हूं कि किसी ज़िम्मेदार मंत्री को यहां होना चाहिये जो सारी चर्चा को सुने और सम्बद्ध मंत्री को बताये । परन्तु यह समझ में नहीं आता कि कोई विशेष मंत्री ही क्यों उपस्थित हो ? जो भी नोट लियेगे जायें वे सम्बद्ध मंत्री को पहुंचा दिये जायेंगे ।

सभापति महोदय : सामान्यतया मंत्रि-मंडल का कोई सदस्य यहां हो तो ठीक है।

श्री पाटस्कर : परन्तु एक ऐसा मंत्री यहां बैठा तो है।

सभापति महोदय : जब कोई मंत्री यहां हो तो तब कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि मंत्रियों को और काम भी करने होते हैं। परन्तु यह बात स्पश्ट होनी चाहिये कि जो मंत्री उपस्थित नहीं है उसके स्थान में दूसरा कौन सा मंत्री काम कर रहा है।

श्री फिरोज गांधी : विधि-कार्य मंत्री कोई नोट नहीं लिख रहे हैं।

श्री पाटस्कर : वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव बराबर नोट लिख रहे हैं। इस लिये मैं ने दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं समझी।

सभापति महोदय : इसके अलावा माननीय मंत्री सब बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। इस सब के होते हुये भी यह वांछनीय है कि जब कभी ऐसी चर्चा हो तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कोई मंत्री यहां उपस्थित हो।

अब चर्चा जारी की जानी चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी : २१ जून, १९५५ को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, श्री श्रीमन्नारायण, ने एक सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा कांग्रेसियों से गोआ आन्दोलन में भाग लेने की अपील की। परन्तु मैं पूछता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी भारतीय को सत्याग्रह के अधिकार से वंचित कर सकें।

प्रधान मंत्री ने भी १५ अगस्त को लाल किले से भाषण करते हुये सत्याग्रहियों को बधाई दी थी। संसद् ने भी उन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अपित की। प्रधान मंत्री ने पुर्तगाल सरकार की कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। २१ अगस्त को भी सीतापुर में भाषण करते हुये प्रधान मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर २३ अगस्त को, यानी प्रधान मंत्री के भाषण के दो दिन बाद, कुछ संसद् सदस्यों ने गोआ विमोचन समिति को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सत्याग्रह करने की इच्छा प्रकट की।

इन बातों को ध्यान में रखते हुये क्या अब यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने अपनी नीति बदल दी है? आखिर, आपको भय किस चीज़ का है? आपने इस समय इस पर रोक लगा कर सारे आन्दोलन को ही कुचल दिया है। ऐसा करने से पहले आपने अन्य पक्षों से या गोआ विमोचन समिति से विचार-विमर्श नहीं किया। आपके इस क़दम से देश में ही इस आन्दोलन पर कुठाराघात नहीं हुआ है, बल्कि गोआ में भी लोगों की हिम्मत टूट गई है। वे अनुभव करते हैं कि भारत ने उनकी बलि दे दी है।

डा० कृष्ण लाल श्रीधरानी ने १२ सितम्बर, १९५५ के अमृत बाज़ार पत्रिका में पण्डित नेहरू से ज़ोरदार अपील की है और कहा है कि पण्डित नेहरू ने सत्याग्रह के द्वारा ही सत्ता प्राप्त की है और अब उनका सत्याग्रह की अनुमति न देना महात्मा गांधी एवं उनके जीवन सिद्धान्तों के विपरीत है।

अन्तर्राष्ट्रीय सत्याग्रह का अनुभव न होने के बारे में पण्डित नेहरू का कथन सर्वथा तर्कहीन है। भारत को न केवल ऐसा प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिये अपितु इसे प्रोत्साहित भी करना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय सत्याग्रह को अफलातूनी कहना अपने आभार से इनकार करना हैं। महात्मा गांधी ने हिटलर के आक्रमण का पौलैंड द्वारा सामना करने को सत्याग्रह बतलाया था। उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध

काश्मीर में भारतीय सेना की चढ़ाई को और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध बाहर से हिंसात्मक चढ़ाई करने की नेता सुभाष बोस की योजनाओं को आशीर्वाद दिया था। क्या पण्डित नेहरू उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं ? तो फिर उन्हें या कांग्रेस को लोगों को अपने जन्मसिद्ध अधिकार-सत्याग्रह से वंचित करने का क्या अधिकार है ?

गोआनी राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत सरकार से पुलिस कार्यवाही की और सालाज़ार से बातचीत की कोई आशा नहीं है, इसलिये वह सत्याग्रह करने को तैयार है। इस अस्त्र को छीनना उचित नहीं है।

यदि आज सरदार पटेल जीवित होते, तो स्थिति और ही होती। उन्होंने हैदराबाद के मद और अभिमान को चूर किया और वह पुर्तगाल के अत्याचार को भी नष्ट कर देते। परन्तु आज पण्डित नेहरू के साथियों में वह उत्साह और निर्भीकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि यदि हम गोआ पर चढ़ाई कर दें, तो आइजनहावर या ईडन या कोई व्यक्ति अपनी सेनाओं को वहां कार्यवाई करने की आज्ञा देने की गलती करेगा। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत सत्याग्रह को रोकना एवं भारतीयों को अपने इस अधिकार से वंचित करना भारत के आदर और मान को घटाना है।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : इस बात पर हम सब सहमत हैं कि यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसी सत्र में इस सम्बन्ध में इसी दृष्टिकोण से कार्यवाही की जानी चाहिये। इस दृष्टि से किसी भी दल को राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा न करके अपने मान की भावना में बाधक नहीं बनना चाहिये। श्री चटर्जी ने गोआ को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का अंग होने के कारण भारतीयों का वहां जाने का अधिकार स्वीकार किया है और वहां पुर्तगाली सत्ता के अस्तित्व को हमारी स्वतन्त्रता में बाधक माना है। उन्होंने इस अन्याय को यथाशीघ्र दूर करने के लिये उत्सुकता दिखाई है। वास्तव में इस मामले पर ठंडे दिमाग के साथ विचार करने की आवश्यकता है। यदि बेलगाम की घटनायें सच्ची हैं, तो यह खेद की बात है और उन के बारे में उचित ध्यान दिया जायेगा। हम बम्बई की घटनाओं और गोआ की घटनाओं पर ध्यान रखते हुये अपनी भावी नीति को निश्चित नहीं कर सकते।

हमें देखना यह है कि क्या हमारा निर्णय राष्ट्रीय हितों और व्यापक राष्ट्रीय आदर्शों के अनुकूल है या नहीं। इस बारे में सैद्धान्तिक शुद्धि पर अधिक ध्यान न दे कर राष्ट्रीय हितों को सामने रखना चाहिये। जहां तक विरोधी दलों की मंत्रणा न लेने के बारे में आरोप लगाया गया है, प्रधान मंत्री इस बात का उत्तर देंगे। परन्तु आत्म-महत्व को राष्ट्रीय हितों से ऊपर स्थान नहीं मिलना चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह आत्ममहत्व का प्रश्न नहीं है। हम वस्तुस्थिति को जानकर यह समझाना चाहते थे कि सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं।

श्री गाडगील : मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे सुझाव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में इस विषय के इस संकल्प के प्रस्ताव को डा० बी० सी० राय और प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है। परन्तु अब एक फैसला हो चुका है और हमें एक विशेष स्थिति का मुकाबला करना है। पहले यह निर्णय एक दल का था, बाद में सब दलों ने यही निर्णय किया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें राष्ट्र के उच्चतम हितों की दृष्टि से इकट्ठे होने

[श्री गाडगील]

और पारस्परिक भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

यदि पहले सरकार की सत्याग्रह के प्रति सहानुभूति थी, तो इसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि अब यह निर्णय जनता के हित में नहीं है । यदि आपकी इस निर्णय के बारे में शंका है, तो आप को कम से कम निर्णय करने वालों की बुद्धि और भावना तथा श्रद्धा पर सन्देह नहीं करना चाहिये ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मढ़ग—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : किन्तु मैं बुद्धि पर सन्देह करता हूं ।

श्री गाडगील : १५ अगस्त को और उस से पूर्व जितने भी लोगों ने सत्याग्रह किया, उन्होंने अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण सत्याग्रह किया और यह हम सब के लिये गर्व का विषय है । यह कहना सर्वथा निर्मूल है कि १५ अगस्त को की गई कार्यवाइयों के कारण १६ अगस्त को कई स्थानों पर दुखद घटनायें हुई । यदि हमारे प्रधान मंत्री में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है तो हमें ऐसा क्यों मानना चाहिये कि उनमें गोआ समस्या को हल करने की क्षमता नहीं है । शान्तिपूर्ण कार्यवाई फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में सफल हुई है तो हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में यह असफल रहेगी । जब प्रधान मंत्री ने सत्याग्रह को प्रत्येक भारतीय का अधिकार माना है तो इस से भिन्न नीति निर्धारित करने के लिये उनके पास बहुत ज़ोरदार कारण मौजूद होंगे । कई लोगों ने यहां लागू किये गये आर्थिक प्रतिबन्धों को जानने के लिये प्रश्न किये हैं । इन का प्रगट करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी । और कई बार उन कारणों को प्रकाशित न करना ही बेहतर होता है । जिस प्रकार यह मामला धीरे धीरे सब दलों का मामला बन गया था, उस प्रकार अब कांग्रेस के निर्णय के साथ भी सब दलों को सहमत होकर इसे राष्ट्रीय निर्णय बनाना चाहिये ।

हमने सीमान्त को बन्द कर के पुर्तगाल के साथ मैत्री तोड़ ली है । सुरक्षा की दृष्टि से गोआ हमारे लिये अनिवार्य हो गया है ।

डा० सालाजार ने कहा है कि भारत के लिये आर्थिक तथा सुरक्षा की दष्टि से 'गोआ' की ज़रूरत नहीं है । इन सब घटनाओं के कारण भारत सरकार इसके लिये जागरूक होगी कि सुरक्षा की दृष्टि से गोआ समस्या को एक निश्चित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । इस लिये मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपना परामर्श न लिये जाने की परवा न करते हुये भारत सरकार के निर्णय का समर्थन करें ताकि संसार यह जान सके कि गोआ समस्या के बारे में समस्त भारत प्रधान मंत्री के साथ है ।

यदि गोआ विमोचन समिति इस से भिन्न मार्ग अपनायेगी तो निश्चय ही परस्पर फूट होने के कारण स्वार्थी लोग इस का लाभ उठायेंगे । यदि यह निर्णय विरोधी पक्ष के सदस्यों की पसन्द का नहीं है तो भी यह देश के लिये लाभप्रद है । इस लिये सरकार को इस के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये और यदि तब भी यह नीति असफल रहे तब भले ही सरकार को दोष दिया जाये । यह सोचना ग़लत है कि जो लोग जेलों में हैं, उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है । चाहे कोई भी सरकार और प्रधान मंत्री हो, इस समस्या का पूरा हल होगा, जिस प्रकार हम चाहते हैं, और हम किसी भी बात के लिये नहीं झुकेंगे ।। किसी भी बात को भुलाया नहीं जायेगा ।

१५ अगस्त की घटनाओं ने सरकार और जनता को आत्मिक बल दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी आत्महित को छोड़ कर त्याग, देश भक्ति तथा बलिदान की भावना से काम करने वाले लोग भारत में बड़ी संख्या में विद्यमान हैं । यह आत्मिक बल देश की प्रगति के लिये अत्यन्त आवश्यक होता है । इस लिये मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे कुछ समय तक देखें और प्रतीक्षा करें कि इस निर्णय का क्या परिणाम होता है । एक बात निश्चित है कि यह निर्णय भय के कारण नहीं, अपितु सत्याग्रह की अपनी शक्ति की अनुभूति के कारण लिया गया है । श्री अशोक मेहता ने सत्याग्रह को ही एकमात्र उपाय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । ठीक है, परन्तु इस बात का निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिये कि किस स्थान और समय पर सत्याग्रह जारी रखा जाये या बन्द किया जाय । हम सत्याग्रह के लिये उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

यह समस्त सरकार को चुनौती है । अन्य राष्ट्र अपनी समस्याओं को हल करने के लिये भारत की सहायता लेते हैं । अब देखने का अवसर मिला है कि वे कहां तक उपनिवेशवाद के विरोधी और प्रजातन्त्र के पक्षपाती है । इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा । यह सब राष्ट्रों के हित की बात है कि वे गोआ समस्या को हल करने में भारत की सहायता करें ।

यदि कोई निर्णय किया जायगा तो निस्सन्देह शान्ति और व्यवस्था भंग होगी तथा राजनीतिक उथल पुथल की सम्भावना है । इसलिये शान्तिपूर्वक विचार करके सरकार को उचित समय दिया जाये और उसे उचित अवसर पर सत्याग्रह जारी करने का अधिकार सौंप दिया जाना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—पूर्व-उत्तर) : मैं ने प्रायः इस सदन में भारत सरकार की विदेशी नीति की आलोचना की है, परन्तु इस अवसर पर तो मैं अपने देश की सरकार की नीति के बारे में लज्जा अनुभव करता हूं । मैं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रधान मंत्री द्वारा किये गये बड़े कामों की पूरी पूरी सराहना करता हूं । परन्तु गोआ की समस्या के बारे में १५ अगस्त के पश्चात् प्रधान मंत्री के वर्णन में जो परिवर्तन हो गया है, उस से मैं लज्जा का अनुभव करता हूं ।

प्रधान मंत्री ने १५ अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुये सत्याग्रहियों को मुबारिकबाद और आशीर्वाद दिया था । परन्तु आज वह कहते हैं कि वह सदा सामूहिक सत्याग्रह का विरोध करते रहे है । वह जनता के नेता होने के नाते १५ अगस्त को सामूहिक सत्याग्रह को मुबारिकबाद देकर १७ अगस्त को उससे बिल्कुल विपरीत वक्तव्य देने के लिये इस सभा में आते हैं । उनके ये शब्द "कुछ सत्याग्रही वापिस आ गये" कितने घृणास्पद शब्द हैं । मुझे उनसे इस प्रकार के शब्दों की कभी भी आशा नहीं थी । मुझे प्रधान मंत्री की समझबूझ पर बड़ी श्रद्धा है, परन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी वाणी में यह परिवर्तन कैसे आ गया ? श्री चटर्जी ने इन बस्तियों पर पुर्तगाली सरकार की सत्ता को इस देश की राजनैतिक प्रणाली पर आक्रमण का नाम दिया है । भारत के एक राजदूत ने ९ सितम्बर को बम्बई में भाषण देते हुये कहा था कि गोआ भारत की राजनैतिक प्रणाली का अंग नहीं है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति सम्बन्धी समस्या है । यह नवीन भाषा और नवीन शब्द मेरी समझ में नहीं आते । एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था कि गोआ भारत का अंग है और पुर्तगाली राज्य एक आक्रमण

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

के रूप में है। परन्तु अब वह कहने लग गये हैं कि गोआ भौगोलिक दृष्टि से भारत का अंग है परन्तु राजनैतिक दृष्टि से नहीं। यदि वह ऐसा समझते हैं तो फिर पुर्तगाली सरकार से इतने अधिक विरोध करने का क्या लाभ था ? गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने अनेक बार गोआ सम्बन्धी ऐसी बातें इस सभा में कहीं थी, जिन पर हमने तालियां बजाई थीं। क्योंकि हम उनको पसन्द करते थे। मैं प्रधान मंत्री से इस बात की स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उन्होंने १५ अगस्त के पश्चात् यह कहने का क्यों निश्चय किया है कि देश के लोग ग़लत राह पर चल रहे थे और अब उन्हें अपने विचार बदल देने चाहियें। मैं यह समझता हूं कि इस कथन के पीछे विदेश का, ब्रिटेन का प्रभाव काम कर रहा है। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ बसों द्वारा ब्रिटिश गुरखाओं को कलकत्ता से मलाया भेजा गया था। उधर दूसरी ओर बम्बई के मुख्य मंत्री श्री मुरारजी देसाई गोआ जाने वाले सत्याग्रहियों के लिये सरकारी बसों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते। दूसरी सभा में जब एक सदस्य ने प्रधान मंत्री से यह बात पूछी तो वे चुप हो गये। मुझे स्मरण है कि जब सर स्टैफर्ड क्रिप्स यहां थे तो एक प्रेस सम्मेलन में एक महिला सदस्य ने प्रश्न पूछा था "कि क्या ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच ऐसा कोई समझौता है कि भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों में आपत्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाने की अवस्था में भारतीय सरकार इन पुर्तगाली बस्तियों पर कब्जा कर सकती है ?"

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सन्धियों और प्रबन्धों को स्वीकार किया हुआ है,। मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच कोई ऐसी सन्धि हुई है जिससे हम बाध्य हैं ? मेरा कहना है कि हम ने केवल सोलहवीं शताब्दी की किसी सन्धि के बारे में ही बाध्य नहीं हैं, अपितु किसी ऐसी सन्धि द्वारा बाध्य नहीं हैं जिस से पुर्तगाली क्षेत्र का अतिक्रमण होता हो। यदि ब्रिटिश काल में इन पुर्तगाली क्षेत्रों को आपत काल में अपने नियंत्रण में किया जा सकता था तो निश्चय ही हम भी ऐसा करने में तत्पर हैं। जो कुछ हुआ है, उससे शान्ति की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रधान मंत्री ने सत्याग्रहियों को वीरता के लिये श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा साथ ही सत्याग्रहियों को 'नवागन्तुक' कह कर विरोधी दल की हंसी उड़ाई है। कुछ भी हो, हमने सत्याग्रह को अपने देश के परम्परा-गत हथियार मान कर इस समय अपनाया है। फिर, कोई व्यक्ति एक ऐसा उदाहरण नहीं बता सकता जिस में किसी सत्याग्रही के कदाचार की शिकायत की जा सके। इसपर भी भारत सरकार ने उन से कठोरता का सलूक किया है। ठीक है कि रोष में आ कर लोगों ने कुछेक ऐसी बात की हैं जो हमें नहीं करनी चाहिये थीं। परन्तु लोगों को कई बार अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नियमों का पता नहीं होता। क्या आप केवल इस शिष्टाचार पर ही अड़े रहेंगे जब कि लोगों के मन में इस दुःखद घटना से रोष भरा हुआ हो ?

प्रधान मंत्री ने विदेशों से आने वाले महान् पुरुषों का वर्णन किया है। इसमें कनाडा का भी वर्णन है। अठारह मास पूर्व कनाडा के प्रधान मंत्री यहां आये थे तथा उन्होंने यहां 'नाटो' (उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संस्था) के एक खण्ड का निर्वचन किया था जिसका उन्होंने स्वदेश लौटते ही खण्डन

कर दिया । कौन कह सकता है कि 'नाटो' के सदस्य देशों के क्या इरादे हैं ? हम प्रधान मंत्री पर विश्वास करने को तैयार हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीति में हमने कई बातों का समर्थन किया है । किन्तु उनकी बात तब समझ में आ सकती थी जब वह साथ ही एक ठोस वक्तव्य भी देते कि वह अमुक निश्चित कार्यवाही करेंगे । हम इस बारे में उनसे निश्चित आश्वासन चाहते हैं । हम आर्थिक प्रतिबन्धों के विस्तारों को जानना चाहते हैं । हम यह चाहते हैं कि सरकार पुर्तगाली सरकार को एक निश्चित तिथि तक वहां से चले जाने के लिये कहे । वह सरकार विचार विमर्श तक के लिये तैयार नहीं है । पुर्तगाली सरकार ने अनेक व्यक्तियों को मार डाला है और नाना प्रकार के अत्याचार किये हैं । ऐसी स्थिति में सरकार को उनके असभ्य व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिये ।

हम अपनी सरकार या प्रधान मंत्री की ईमानदारी पर सन्देह नहीं करते हैं । व्यक्ति की यथार्थता की परख उसकी भावनाओं से नहीं प्रत्युत उसके कार्यों के ठोस परिणाम से होती है । गोआ के सत्याग्रह को आधे में ही समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार मानो आन्दोलन के साथ विश्वासघात किया गया । गोआ वासी, जो कि भारतवासी ही हैं, निराश कर दिये गये, क्योंकि सरकार ने उन्हें किसी निश्चित कार्यक्रम तथा साधन का सुझाव नहीं दिया । यह स्थिति निःसन्देह लज्जास्पद है । जिससे गोआवासियों का पतन ही होगा । हम लोग भावावेश में ही नहीं चिल्ला रहे हैं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विश्व राजनीति को ध्यान में रख कर यह बातें कर रहे हैं इसीलिये हम यह चाहते हैं कि सरकार गोआ के सम्बन्ध में हमें निश्चित आश्वासन दे, कुछ कार्यवाही करे, जिससे कि जनता को सन्तोष तथा आश्वासन मिले ।

श्री अलगू राय शास्त्री : महोदय, आज जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह प्रश्न ऐसा है जिस पर बोलने के लिये बड़ा उत्तरदायित्व होना चाहिये । इस विषय में बड़ी संयत भाषा में और बड़े विवेक के साथ कुछ कहने की आवश्यकता है । अब तक जितने भाषण हुये हैं, वे सब अंगरेजी भाषा में हुये हैं । इस देश की जनता हिन्दी जानती है । उस को इस बात का ज्ञान हो कि हमारी नीति क्या है और उस नीति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कारण मैं हिन्दी में बोल रहा हूं और मेरा विश्वास है कि मेरी इन थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुना जायगा ।

जब मैं ने इन मित्रों को यहां पर अभी बोलते सुना और उनके उत्साह और जोश को देखा, तो मुझे किरातार्जुन का वह सम्वाद स्मरण हो आया, जब कि द्रौपदी भीम और अन्य पाण्डव युधिष्ठिर को ललकार रहे थे और कह रहे थे कि "आप इस कायरता में क्यों पड़े हुये हैं ? दुश्शासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया है और उस के केश बिखरे हुये हैं, क्या आप ने यह नहीं देखा है ? जुए में हार कर हम लोग यहां पर बंधे हुये बैठे रहे, क्या आप ने यह नहीं देखा ? क्या आप को ज्ञात नहीं है कि हम लोग बारह वर्ष तक बनवास और एक वर्ष अज्ञात-वास में रहे हैं ? कब आप को क्रोध आयेगा ? आप कब उठेंगे और शस्त्र धारण करेंगे ? कब आप युद्ध की पुकार लगायेंगे ?" इस तरह की मार्मिक भाषा में जब भीम और द्रौपदी चीत्कार मचा रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने केवल इतना ही कहा,

"ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत
नाहम् कर्मफलाकांक्षी"

[श्री अलगू राय शास्त्री]

आप इस बात को जानते ही होंगे कि युधिष्ठिर का नाम युधिष्ठिर इस लिये हुआ कि वह युद्ध में स्थिर रहने वाले थे और छोटी मोटी बातों से विचलित होने वाले नहीं थे—वह तिनके के समान नहीं थे कि जरा सी हवा चली और उस के साथ उड़ गया ।

उसी तरह आज चटर्जी साहब भी ललकार रहे थे—युद्ध और पुलिस एक्शन की बातें कर रहे थे । और मुकर्जी साहब की भाषण-कला का तो मैं आज कायल हो गया हूं—इतने जोश से, इतने उत्साह से, इतने उत्तेजित ढंग से और इस प्रकार के नृत्य के साथ उन्होंने अपना कथन सुनाया है । मुझे खेद है कि हमारे गाडगील साहब ने उनके प्रगल्भ भाषण को नहीं सुना और उनका झींकना नहीं देखा । मुकर्जी साहब ने भी वह समझा कि मै हिन्दी में बोलूंगा और भला हिन्दी का भाषण भी कोई भाषण हुआ करता है, और इसलिये वह भी अपनी पुस्तकें उठा कर चलते बने । मैं तो उनके भाषण को सुन कर हैरान था कि वह कह क्या रहे हैं । कैसी-कैसी विचित्र बातें उन्होंने कहीं । उन्होंने कहा कि "हम बड़े एशेम्ड हैं" । लेकिन किस बात पर ? एशेम्ड (लज्जित) तो उन्हें होना ही चाहिये । उनके सारे कारनामे ही ऐसे रहे हैं । आप भारतीय इतिहास को देखिये । उनके दल ने ऐसे ऐसे कार्य किये हैं कि अगर आज वह लज्जित हैं, तो इसमें आश्चर्य और आपत्ति की क्या बात है ? वह बतायें कि उनके दल ने भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन में कौन सा कार्य किया ? क्या योग दिया ? जिस समय इस विशाल देश ने—अविभाजित देश ने, जिस भाग में इस समय पाकिस्तान बना हुआ है, उस समय वह भी भारत में सम्मिलित था—अपनी स्वतन्त्रता का प्रश्न उठाया और उसके लिये एक महान आन्दोलन प्रारम्भ किया और बम्बई में कांग्रेस के नेतृत्व में आवाज लगाई कि "अंग्रेजों, भारत छोड़ो", उस समय इन लोगों ने कहा कि "नहीं, यहीं रह जाओ।" आज ये लोग जरा अपने पुराने कारनामों को तो याद करें । आज वह कहते हैं कि गोआ के प्रश्न पर भारत का सारा प्रैस्टीज टिका हुआ है और भारत की सारी जनता ध्वस्त हो रही है, उस में निराशा उत्पन्न हो गई है, उसका जीवन नष्ट हो गया है और चारों ओर अन्धकार छा गया है वह मानते हैं कि राष्ट्र नेता जवाहरलाल जी जनता के नेता हैं । जरा देखिये कि जनता के सम्पर्क में राष्ट्र नेता जवाहरलाल जी हैं—और आप नहीं हैं, तब जनता क्या कहती है और क्या चाहती है, इस का ज्ञान जवाहरलाल जी को नहीं है और आप को है और इस समय जनता में फ्रेस्ट्रेशन (निराशा) आ गयी है, निराशा आ गई है, इसके मापदण्ड वह नहीं हैं आप हैं । कितनी हास्यास्पद बात है ? इसको कहते हैं "नानी के आगे ननियारे का बखान" जवाहरलाल जी को पता नहीं है कि जनता के मन में क्या है और आप को इस बात का पता है । यह कितनी विचित्र बात है ? मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह नाचने से और इस प्रकार के प्रगल्भ भाषण देने से जनता के हृदय का, जनता की इच्छाओं का, माप नहीं किया जा सकता है । कांग्रेस दल ने अपना फैसला कर के सरकार के ज़िम्मे जो काम सौंपा है, उस का महत्व जनता के सामने आ गया है : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न इतना आसान नहीं है । दस पांच आदमियों को रंगरूट बना कर इस प्रकार सत्याग्रह नहीं चलाया जा सकता है । जब हम लोग सत्याग्रह करते थे, जब कांग्रेस सत्याग्रह करती थी, तो उस की वर्किंग कमेटी पहले पकड़ी जाती थी,

गांधी जी पहले पकड़े जाते थे और तब जनता की बारी आती थी, तब वालिंटियर्ज की बारी आती थी । किन्तु जरा ध्यान दीजिये कि आज क्या हो रहा है ? नेता लोग यहां बैठे हुये हैं, प्रोफेसर लोग भाषण देते हैं और सत्याग्रह जारी है—नेता लोग बाहर हैं और सत्याग्रह चल रहा है । यह तो नई किस्म का सत्याग्रह मैं ने देखा है । भोजपुरी में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं । उस में एक कहावत है "आनक लरिका पाई ताकीरा के बियरी में हाथ] नवाई"—अगर दूसरे का बच्चा मिल जाय, तो हम देखें कि सांप किस तरह काटता है और किस तरह उससे खेला जाता है । नये नये अभिनय किये जा रहे हैं, नये नये अनुभव हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओले तो दूसरे के सिर पर पड़ रहे हैं ।

मैं तो आज अपने इन मित्र—मुकर्जी साहब—की बात सुन कर बड़ा हरान हुआ । यह तो कभी बड़ी शान्ति के उपदेश करते थे, शान्ति की राय देते थे । आप जरा पिछली बातों को याद कीजिये । जब कोरिया का प्रश्न उपस्थित हुआ था, तब राष्ट्र-नेता जवाहरलाल जी ने संसार को चेतावनी दी और दक्षिण कोरिया को बताया कि ३८वीं अक्षांश रेखा के आगे मत जाओ। उस समय उन्होंने एक राजनीतिक भविष्यवक्ता की ही बात की थी । ससार ने आगे चल कर अनुभव किया कि वह बात सही थी । इसके बाद उन्होंने इण्डो चाईना में शान्ति-स्थापना की चेष्टा की और सारे संसार ने उनकी सराहना की । उस समय मुकर्जी साहब ने भी अपने हृदय के उद्गार प्रकट किये और प्रधान मंत्री की शान्ति-नीति की पूरी-पूरी प्रशंसा की । आज मुकर्जी साहब दूसरी ही बात कह रहे हैं । सत्याग्रह किया जाय लोग कष्ठ उठायें, सुभद्राबाई और दूसरे लोग गोलियां खायें और प्रयत्न करें लेकिन उसके बाद क्या हो ? मुकर्जी साहब कहते हैं कि वह आप जाने, क्योंकि गवर्नमेंट में आप हैं ।

मैं इस बात का जिक्र कर के अपना महत्व नहीं बढ़ाना चाहता था । पिछले दिनों मैं रूस गया । वहां के राष्ट्र-नेता जो कि उस राष्ट्र का शिरोमणि है, से मुलाकात का मुझ मौका हुआ । उन्होंने कहा कि "हम आप के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार करते है, इस लिये प्यार नहीं करते हैं कि वह हमारे मित्र है, इस लिये करते हैं कि वह मानव मात्र के मित्र हैं । हम जवाहरलाल को प्यार करते है इसलिये कि वह विश्व में शान्ति चाहते है और यह दूसरी बात है कि वह विश्व में शान्ति स्थापित करने में सफल हों या न हों, लेकिन कम से कम विश्व-युद्ध को टालने के लिये जो उन्होंने प्रयत्न किया है, उसके लिये हम उन को प्यार करते हैं । हम उन को इस लिये प्यार करते हैं कि हम शान्ति को मानवता के विकास का एक साधन समझते हैं ।" रूस की तानाशाही, प्रजातन्त्रीय तानाशाही, श्रमिकवर्ग की तानाशाही का हैड जवाहरलाल जी और उनकी नीति के विषय में यह अनुभव करता है, परन्तु हमारे मुकर्जी साहब ने न जाने कौन सी किताब कम्यूनिज्य की पढ़ी है, जो इस तरह की बातें कह रहे हैं । आज विश्व-शान्ति का सारा श्रेय जवाहरलाल जी के सिर पर रखा जा रहा है । उन्हीं के प्रयत्नों से आज कोरिया की जनता युद्ध से त्राण पा रही है और इन्डो-चाइना में शान्ति स्थापित हुई है—अगर वह कायम न रह सके, तो दूसरी बात है । एक महापुरुष आज इस प्रयत्न में लगा हुआ है कि संसार से युद्ध का खतरा दूर हो और शान्ति स्थापित हो, उस को उस के घर में परेशानी में डालने के लिये लोग लगे हुये हैं और फिर देश-भक्ति और न जाने काहे काहे का दम भरते हैं ।

[श्री अलगू राय शास्त्री]

इस के बाद में उन को और क्या कहूं ? यह कहते हैं कि पहले यह बयान दिया गया था और फिर यह बयान दिया गया । अगर वह सत्याग्रह से गुज़र गये होते, तो सत्याग्रह के टेकनीक को थोड़ा बहुत जानते । उन को शायद ज्ञात नहीं कि चौरीचौरी के हत्याकांड के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को बन्द कर दिया था और हम लोग उस समय कहते थे कि यह कायरता है और महात्मा गांधी ने कहा था कि उनसे हिमालयन मिसकलकुलेशन (गलती) हुआ । मैं जवाहरलाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कह दिया कि हमारा दिमाग़ साफ़ नहीं था और उन्होंने हिमालयन मिसकलकुलेशन जैसा वर्ड ही प्रयुक्त किया है । मैं कई बार कह चुका हूं कि महात्मा गांधी की आत्मा जवाहरलाल जी में अवतरित हो चुकी है । वह सब समस्याओं को उसी दृष्टि से देखने लगे हैं, इस लिये उनके मुख से वही वाक्य निकलते हैं । कोई मनुष्य परमात्मा नहीं है, आम्नीसेंट नहीं है कि वह हर सचाई को देख ले ।

मैं क्या कहूं ? ये सब भाई चले गये हैं । इन को लेनिन का टकनीक आफ़ रेवोल्यूशन पढ़ना चाहिये कि "वन स्टैप फार्वर्ड एंड टू स्टैप्स बैकवर्ड" । एक क़दम आगे बढ़ते हैं और दो क़दम पीछे हटते हैं । नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है—आगे भी बढ़ती है, इधर उधर भी जाती है और पीछे भी घूमती है । वह परनाले की तरह नहीं है कि तीन गज़ जा कर सूख जाये । वह कभी आगे बढ़ती है और कभी पीछे हटती है, लेकिन उसकी अगति बराबर होती रहती है और वह ध्येय तक जा पहुंचती है । अगर जवाहरलाल जी की गवर्नमेंट भी गोआ को आज़ाद नहीं करा सकती है, तो ऐसे ऐसे तीस मारखां तो बहुत से आये हैं और गये हैं । केवल ज़बानी जमाखर्च से और लम्बी चौड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा । काम चलेगा वीरता से । मैं देशपांडे जी को बतलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति शिवाजी की राजनीति थी । लाला लाजपत राय ने कहा था कि वे महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े कायल थे । वह राजनीति शिवाजी के जीवन काल में मिलती है । शिवाजी ने दाढ़ी बढ़ाई, जांनिमाज़ रखा, वे निमाज़ पढ़ते थे और फिर अफ़ज़ल खां से लड़े भी । अब कोई कहे कि वे तो मुसलमान हो गये थे, उन्होंने तो धर्म छोड़ दिया था तो यह कहां तक ठीक होगा ।

एक माननीय सदस्य : आपको यह कहां से मालूम हुआ ।

श्री अलगू राय शास्त्री : आप मेडीवल इण्डिया का इतिहास पढ़िये तो उसमें आपको यह मिलेगा । उन्हें अफ़ज़ल खां को हटाना था, उन्होंने तरह तरह के यत्न करके उस ध्येय को पूरा किया । जो लोग केवल सीधे रास्ते चलते हैं उनका यह हाल होता है कि अगर बीच में ताड़ का पेड़ भी आ जायगा तो वे उस पर चढ़ेंगे और उतरेंगे । ऐसे लोग क्रान्ति नहीं कर सकते । ऐसे लोग राजनीति नहीं चला सकते । राजनीति चलाने के लिये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मौक़ा महल देखना पड़ता है और आने वाले परिणामों को देखना पड़ता है, आज हमें यह देखना होगा कि अगर यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा तो उसका क्या परिणाम होगा । कुछ लोग भरती हो चलते जायेंगे, बाक़ी लोग गवर्नमेंट चलायेंगे । वहां जाने पर कुछ लोग मारे जायेंगे । जनता कहेगी कि कृष्णा के बाल खींचे जा रहे हैं, उसके वस्त्र उतारे जा रहे हैं । तुम बन्दूक चलाओ । तो यदि यह सत्याग्रह चलता रहा तो हम एक प्रकार से लड़ाई को आव्हान देंगे । परन्तु

हमारी यह नीति नहीं । हम चाहते हैं कि राष्ट्रों के बीच की समस्यायें शान्ति से सुलझायी जायें । हमें देखना चाहिये कि कौन देश किसका है और कौन देश किसका नहीं है । वास्तव में सारा विश्व मानवता का है, और जो हम एक एक देश को अलग लिये बैठे हैं इसी लिये लड़ाई होती है । तो हमको शान्ति से चीज़ों को हल करना होगा । हमको हर प्रश्न को शान्ति से डिबेट करके, शान्ति से बातचीत कर के देखना होगा, और यह देखना होगा कि अगर हम इस समय सत्याग्रह को इसी रूप में चलने दें तो इसका क्या परिणाम होगा । हमने पहले उस चीज़ को चलने दिया लेकिन उसके बारे में हमारा कुछ मिसकैलकुलेशन था । हम नहीं जानते थे कि उसके यह परिणाम होंगे । परिणामों को देख कर आदमी अपनी नीति को बदलता है । किन्तु हमने उस प्रश्न को छोड़ तो नहीं दिया है । जवाहरलाल जी ने यह तो नहीं कह दिया है कि गोआ पुर्तगाल का है, और सालाजार का है । वह तो अब भी कहते हैं कि गोआ भारत का है, लेकिन सोचना यह है कि भारत का झण्डा वहां पर किस प्रकार लगाया जाय । क्या सारा प्रश्न इसके प्रासेस का है ।

ठीक होगा कि हम अपने सत्याग्रहियों को वहां जाने दें और वे जा कर वहां पर हमारा झंडा लगायें ? यदि ऐसा हमने होने दिया तो याद रखिये कि हमारें आसपास भी दूसरें देश हैं । वे बिला फौज के और बिला अस्त्र शस्त्र के हमारें देश में प्रवेश करें तो क्या हम उन की आरती उतारेंगे और उनको यहां अपना झंडा लगाने देंगे ? कौन इस तरह सें झंडा लगाने देगा । टिड्डी तो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आती लेकिन लोग उसके बच्चों तक को गाड़ देते हैं । तो यदि हमने सत्याग्रह जारी रहने दिया तो एक अजीब चीज़ हो जायगी और हम अपने ही बनाये हुए घेरें में घिर जायेंगे । गोआ का प्रश्न हल होगा तो वह राष्ट्र के स्तर पर हल होगा । वह भारतीय राष्ट्र और पुर्तगाल राष्ट्र के आपसी वार्तालाप से होगा । आज संसार में शान्ति का वातावरण बन गया है और राष्ट्र अपने झगड़ों को शान्ति से हल करना चाहते हैं । आज चीन इतना बड़ा राज्य है । उसके पास कुछ छोटे-छोटे टापू पड़े हैं, जिन पर वह चाहे तो आसानी से बलपूर्वक क़ब्ज़ा कर सकता है । लेकिन वह ऐसा नहीं करता । इसका कारण यही है कि आज संसार में एक शान्ति का वातावरण पैदा हो गया है, और इसके पैदा होने में हमारे नेता पंडित जवाहरलाल जी के नेतृत्व और प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ है । यह उन्हीं के प्रयत्नों का फल है कि आज राष्ट्र प्रेम से बैठ कर अपने मामलों को हल करने के लिये तैयार हैं । आज उन देशों के जो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध थे तरह तरह के बयान निकल रहे हैं । आज आइजनहावर का बयान निकलता है कि अमरीका के अस्त्र-शस्त्र बनाने के कारखानों को रूसी लोग देख सकते हैं और रूस की ओर से बयान निकलता है कि उनके कारखानों को अमरीकी देख सकते हैं । कुछ ऐसा परिवर्तन आज संसार में हो गया है कि जो लड़ने वाले देश थे वे आपस में प्रेम की बातें करने लगे हैं । यदि आज इस गोआ के प्रश्न को ले कर हम उस शान्ति के वातावरण को विषाक्त बना दें तो जो राजनीतिक बद्धिमत्ता का स्थान हमारे राष्ट्र नेता को संसार में प्राप्त हुआ है उसको हम समाप्त कर देंगे और उनके हाथों को बांध देंगे । हमारा यह प्रयत्न वैसा ही होगा जैसा कि भीम आदि का युधिष्ठिर को उकसाने का प्रयत्न था । उस समय भी श्रीकृष्ण को बीच में पड़ना पड़ा था । हम जानते हैं कि राष्ट्रों के बीच में, यह सब शान्ति के उपाय होते हुये भी, एक ऐसा समय आ सकता

[श्री अलगूराय शास्त्री]

है कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाय, हम इसको असम्भव नहीं मानते। लेकिन वह सब से बड़ा अभिशाप होगा। लेकिन यदि वह आने वाला ही हो तो उसके पहले हमको और बहुत से काम करने होंगे और वे किये जा रहे हैं। भारत की जनता को अपनी सरकार की नीति पर पूरा विश्वास है।

कुछ लोगों ने विद्यार्थियों पर गोली चलाने की घटना को इसके साथ मिला दिया है। इस प्रश्न को उस घटना के साथ मिला देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : राष्ट्र के इतिहास में आज एक अत्यन्त गम्भीर समय पर एक गम्भीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं समझते थे कि हमारे मंत्र माननीय श्री अलगूराय जी इस गम्भीर विषय पर इस स्तर पर चर्चा करेंगे। एक विदेशी शक्ति जिसने आज से चार शताब्दी पूर्व हमारे देश में पदार्पण किया था और हमारे देश के एक भाग पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, उसके विरोध में राष्ट्र के सब दलों ने सम्मिलित हो कर एक महान् आन्दोलन इस देश में शुरू किया था, और हम समझते थे कि यह आन्दोलन भारतवर्ष की सरकार के हाथ मज़बूत कर रहा है। परन्तु इस आन्दोलन के चलते चलते एक समय ऐसा आया कि भारत के एक दल ने कहा कि यह आन्दोलन समाप्त होना चाहिये, भारत की सरकार के नेता ने कहा कि यह आन्दोलन समाप्त होना चाहिये। परन्तु आज भारत की सरकार के नेता ने यहां भाषण करते हुये हम को यह नहीं बतलाया कि यह आन्दोलन क्यों समाप्त होना चाहिये। न उन्होंने हमको यह बतालया है कि सरकार की नीति इस के ख़िलाफ़ है। उन्होंने केवल यह कहा है : "सरकार की नीति अब बदल गई है" मैं ने प्रधान मंत्री का और श्री गाडगिल का अभिभाषण सुना। उसमें उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि उनकी नीति में कुछ असंगतता तो अवश्य थी। उनके भाषणों में ऐसी उद्दण्डता नहीं थी जैसी कि हमारे मित्र श्री अलगूराय जी के भाषण में थी। हमारे प्रधान मंत्री और श्री गाडगिल ने कहा है कि जो आजतक सत्याग्रह चलता था उसका हम समर्थन ज़रूर करते थे लेकिन आज हम चाहते हैं कि आज उसको बन्द कर दिया जाय। पर उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इस निर्णय का क्या कारण हुआ है। क्या उनको किसी बाहर की शक्ति ने आश्वासन दिया है कि वह उनका समझौता करा देगी ? क्या जैसा हमारे मित्र ने अभी कहा, हमारे पंडित जी शिवा जी की नीति के अनुसार बाहर से समझौता दिखाते हुए कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसा कि शिवाजी ने अफ़ज़ल खां के साथ किया था ? मैं ने पंडित जी की एक किताब पढ़ी है "ग्लिम्सेज़ आफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री"। उसमें पंडित जी कहते हैं कि शिवा जी के बारे में मेरे दिल में बड़ी नफ़रत पैदा हुई जब मैं ने पढ़ा कि शिवा जी ने धोखे से अफ़ज़लखां को मारा। लेकिन हमारे अलगूराय जी कहते हैं कि आज हमारे पंडित जी शिवा जी की नीति पर जा रहे हैं। शायद पंडित जी कहेंगे कि "ईश्वर मुझे मेरे मित्रों से बचाये बात यह है कि शिवाजी की नीति पर चलने में तो पंडित जी को लज्जा मालूम होती है। मैं यहां शिवाजी की नीति की बात नहीं लाना चाहता। सवाल यह है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या आज पंडित जी गोआ के सवाल को समझौते से चलाने वाले हैं, या पुलिस ऐक्शन के द्वारा आप इस प्रश्न को चलाना चाहते हैं। पंडित जी ने आज सत्या-

ग्रह को तो बन्द कर दिया है। अभी गाडगील साहब के भाषण से यह मालूम हुआ कि यह किसी को शिकायत नहीं थी कि गोआ का सत्याग्रह हिंसात्मक रूप से चलाया जा रहा था। मुझे याद है कि जब मैं अपने जत्थे के साथ सत्याग्रह करने जा रहा था तो गोवा विमोचन समिति के मंत्री ने हमको एक स्थान पर बुलाया और कहा कि आप लोग सत्याग्रह के लिये तो जा रहे हैं लेकिन अगर आपके हृदय में अहिंसा और शान्ति की भावना न हो तो आप यहां पूना से वापस जा सकते हैं, यदि आपको अन्दर जाना है तो शान्ति से और अहिंसा से काम करना होगा। हमने आज तक सालाजार की ओर से या किसी की ओर से यह शिकायत नहीं सुनी कि सत्याग्रही हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। न यह बात मैंने पंडित जी के अभिभाषण में सुनी। हम आज यही जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमसे सत्याग्रह बन्द करने को कहा है उसका क्या कारण है ? उन्होंने हम से बिना पूछे ही इस आन्दोलन को बन्द करने का आदेश दिया है। हमको इसकी शिकायत नहीं है। हम छोटे आदमी हैं। हमको क्यों नहीं पूछा यह सावल करने वाले हम कौन हैं।

कहा गया कि महात्मा गांधी भी एक दम सत्याग्रह को बन्द कर देते लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी उस सत्याग्रह के संचालक होते थे। परन्तु कांग्रेस पार्टी या पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सत्याग्रह के संचालक नहीं हैं। पूरा देश उसका संचालक था और देश का एक अंग होने के नाते से कांग्रेस उसमें आ सकती है। आप हम को निश्चय करने से पहले बुलाते और हम से सलाह मशविरा करते लेकिन आपने बिना हम लोगों से राय लिये एक बिलकुल नया निश्चिय कर डाला और देश को सलाह दी कि भारतीयों को सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का सत्याग्रह गोआ में बन्द कर देना चाहिये। इस तरह का क़दम उठा कर आपने अपने ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी ली है। हमारे भाइयों को जो बिल्कुल शस्त्र विहीन और निहत्थे गोआ में सत्याग्रह करने के हेतु जाते थे और वहां पर शान्ति और अहिंसा से डा० सालाजार की पुलिस और फौज की गोलियां खाते थे, तो इसमें उनको कोई खुशी नहीं होती थी और वह कोई तमाशे के खातिर वहां पर नहीं जाते थे बल्कि अपना पुनीत कर्तव्य समझ कर वहां पर जाते थे और सत्याग्रह करते थे। हमें तो इस सरकार से जो कि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न है उससे बड़ी आशा थी कि वह हमारे अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल करेगी लेकिन मुझे यह स्वीकार करते हुये बड़ा दुःख होता है कि हमें उसमें निराशा ही पल्ले पड़ी है। हम तो चाहते हैं कि हम सत्याग्रह बन्द करें और हमारी सरकार कोई क़दम उठाये जिसका कि हम समर्थन करे लेकिन हमारे पंडित नेहरू के पास कोई भी ऐसा क़दम उठाने को नहीं है जिसका कि हम समर्थन करें। पाकिस्तान बनने के समय में जब यहां पर झगड़े हो रहे थे तो पंडित जी कहते थे कि आप यहां बग़ावत कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, नहीं तो वहां पाकिस्तान में हिन्दुओं को बचाने के लिये हिन्दुस्तान की फौजें पहुंच जाती और यहां पर आप लोगों ने इस तरह के झगड़े फ़िसाद और अत्याचार करके मेरे हाथों को कमज़ोर किया है, लेकिन मैं पंडित जी से कहना चाहता हूं कि आज तो हमने आपके हाथों को कमज़ोर नहीं किया है और हम लोग तो वहां पर बिल्कुल अहिंसात्मक सत्याग्रह करते रहे और यदि आप हमको सत्याग्रह बन्द करने का आदेश देने के साथ और यह कहने के साथ कि आप चुप बैठिये यह भी आश्वासन देते कि हम गोआ को शान्तिपूर्ण उपायों से मुक्त करेंगे और अगर वैसे मुक्त नहीं होता तो हम अपनी फौजें वहां पर गोआ को लिबरेट करने के लिये भेजेंगे, तब तो आपकी बात हमारी

[श्री वी० जी० देशपांडे]

समझ में आ सकती थी लेकिन फौज का नाम लेते हुये यह डरते हैं और कहते हैं कि पुलिस ऐक्शन की बात जबान पर भी मत लाओ, तब मुझे उनकी उक्त सलाह से खुशी नहीं होती और निराशा अनुभव होती है। एक बात मैं यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि "वी आर नौट वार मौंगर्स"। हम कोई गोआ से लड़ाई छेड़ देने को तो नहीं कहते। वह तो अमरीका, इंगलैंड जैसे बड़े बड़े देश जब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये लड़ाइयां करते हैं तो उसको "वार मौंगरिंग" कहा जाता है। हम तो कहते हैं कि सरकार को वहां पर जो गोआ अधिकारियों द्वारा निहत्थे और अहिंसक सत्याग्रहियों पर और लोकल आदमियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाना चाहिये और अगर हम कहते हैं कि आप अत्याचार का मुकाबला करने के लिये वहां पर जाइये, तो ऐसा कहने वाला "वार मौंगर" नहीं है। आप सच पूछिये तो गोआ की शासन सत्ता समझौते की बात करने के लिये तैयार नहीं है, डा० सालाजार किसी भी हालत में गोआ पर से अपनी सत्ता हटाने को तैयार नहीं मालूम होते और दुनिया का कोई भी पश्चिम का साम्राज्यवादी राष्ट्र इसके बारे में बोलने के लिये तैयार नहीं है और हलांकि मैं इसको मानता हूं कि पंडित नेहरू का विश्व के रंगमंच पर बहुत बड़ा प्रभाव है लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गोआ के प्रश्न को लेकर दुनिया में जो कुछ हलचल है और संसार भर के पत्रों में जो इसके बारे में चर्चा होती है वह सत्याग्रह और उन वीर सत्याग्रहियों के ही कारण हुई है जिनको कि आप गाली देते हैं और यह आक्षेप करते हैं कि यह अहिंसा से चला नहीं रहे हैं, यह सत्याग्रह ज्यादा जानते नहीं हैं और नये आये हैं और हम बड़े पुराने सत्याग्रही हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं और हम मानते हैं कि आप लोग बड़े पुराने सत्याग्रही हैं और सत्याग्रह का आपको अनुभव है लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन में या रूस में जो आपका समर्थन हो रहा है, यह उन वीर सत्याग्रहियों के बलिदान के कारण है जो गोली खाकर वहां शहीद हो गये और जिन्होंने कि अपने देश का नाम ऊंचा किया। और हमारे देशवासियों ने सत्याग्रह का तभी आश्रय लिया है जब कि उन्होंने देखा कि समझौते की कोई आशा नहीं और वह सम्भव नहीं दीख पड़ता। आपने इन सत्याग्रहियों को गोआ में सत्याग्रह करने जाने से रोक कर इस देश का तेजोभंग किया है और जैसा कि पंडित जी न स्वयं इस बात को कहा है कि कहीं यह डैडलोक न बन जाय, मुझे भी डर है कि कहीं यह डैडलौक न बन जाय, यह एक स्थायी, स्टैटिक, सौ, पचास वर्ष तक रहने वाली चीज न बन जाय और ऐसा न होने देने के लिये मैं नहीं समझता कि आपके पास क्या उपाय है। अगर यह सत्याग्रह चलता रहता, और सत्याग्रह के कारण टैंशन कायम रहता और दुनिया के अन्दर इसके कारण बात चलती रहती तो मैं समझता हूं कि दुनिया के सामने यह प्रश्न आता लेकिन हमारी तो हालत मराठी में जो एक कहावत है उसके समान हो रही है। मां खाने को देती नहीं, और बाप भीख मांगने नहीं देता। लोगों को आप सत्याग्रह करने देते नहीं और लड़ाई करने की आप में ताकत है नहीं, समझौते की आपकी बात कोई सुनता नहीं, अब आप ही बतलाइये कि उस हालत में गोआ के लोग बेचारे क्या करें और गोआ विमोचन समिति के लोग क्या करें? गोआ के लिबरेशन के प्रश्न को लेकर इस देश में जो एक बड़ा उत्साह दृष्टिगोचर हुआ और लोगों ने अपने प्राणों को बलि दी तो उसके पीछे कोई दलगत राजनीति या किसी पार्टी के स्वार्थ साधन का भाव नहीं था और न आज है: मुझे स्मरण है कि जब हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही हुई और उसके पश्चात् मैं वहां पर गया तो देखा कि

हजारों की सभायें होती थीं और सरदार पटेल का अभिवादन किया जाता था जिन्होंने कि पुलिस ऐक्शन ले कर हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिलाया और पुलिस ऐक्शन के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा हैदराबाद स्टेट में बहुत बढ़ गयी और मुझे इस बात के लिये कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप गोआ पर कोई कड़ी कार्यवाही करते हैं और उसके कारण कांग्रेस देश में पापुलर होती है और विरोधी दल पूरी तरह वाइप आउट होते हैं और समाप्त होते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी और हम उनको उसके लिये बधाई देंगे । आज मैं आप पर आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने केवल एक पक्षीय दल की नीति के कारण इस सत्याग्रह को बन्द किया है, ऐसा मुझे से कई लोगों ने कहा है । आप कहेंगे कि यह सब कांग्रेस को बदनाम कर न के लिये कहा और किया जा रहा था लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को बदनाम करने का न किसी का उद्देश्य था और न है । जो गोली खाने के लिये जाता है वह यह नहीं समझता कि मैं बाद में अगर ऐलेक्शन में खड़ा हूंगा तो इसकी वजह से मुझे १०० या २०० वोट ज्यादा मिलेंगे । यह बात मैं मान सकता हूं कि जो इस तरह का वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण काम करेंगे उनको शायद उसका फल मिलेगा लेकिन क्या मैं पूछूं कि कि सन् १९३०, १९०७ या सन् १९४२ में जो आप जेलों में गये और अत्याचारों का मुकाबला किया तो क्या यह सब इसलिये किया था कि जेल से छूट कर आने में हमको हुकूमत मिलेगी ? यह मैं मानने को तैयार हूं कि यह सब आपके उन बलिदानों का परिणाम हो सकता है, उसी प्रकार से शायद आगे चल कर इन लोगों को भी अपने बलिदानों का फल मिलता । आज देश में विरोधी दल बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आज इस मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे जो हमारी मदद करते थे और इस सत्याग्रह की भी मदद कर रहे थे, लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि जैसा कि अब उन्होंने अपनी पालिसी घोषित की है और इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टि से न देखते हुये एक पार्टी की दृष्टि से जो पंडित जी की सरकार ने और कांग्रेस ने गोआ के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और प्रस्ताव पास किया है वह मेरी राय में भारत का मस्तक विश्व के रंगमंच पर झुकाने वाला साबित होगा ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन—पूर्व) : हमारी वैदेशिक नीति की यथार्थता का निर्णय करने के दो मापदण्ड हैं । पहिला तो यह है कि क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें प्रधानता मिल रही है और दूसरे क्या इससे विश्व का तनाव कम होने में सहायता मिली है । हमारी वैदेशिक नीति से न केवल एशिया व अफ्रीका में परिवर्तन हुये हैं अपितु यूरोप में भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है । मैं ने हाल की अपनी यात्रा में एशिया तथा यूरोप के कतिपय देशों की यात्रा की । जहां भी मैं गया वहां मैंने भारत की वैदेशिक नीति की प्रशंसा सुनी ।

सभा में श्री नेहरू ने आज पुनः दोहराया है कि शक्ति के प्रयोग से कोई समस्या हल नहीं होगी । उसकी शान्ति की नीति का विश्व की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है । रूस के पत्र 'प्रावदा' ने इस नीति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

पंडित नेहरू ने संसार को यह भी बताया कि आण्विक अस्त्रों का प्रयोग आक्रांत तथा आक्रान्ता दोनों ही देशों के लिये घातक

[डा० एस० एन० सिंह]

है। अतः इनका परित्याग किया जाये। अमेरिका तथा चीन की जेनेवा वार्ता तथा पश्चिम जर्मनी और रूस की वार्ता इसी का परिणाम है।

पंचशील के आधार पर ही रूस के प्रधान मंत्री मार्शल बुलगानिन तथा चान्सलर एडेनोर की वार्ता हुई। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने है कि संसार में सभी राष्ट्र हमारे मित्र हैं। कुछ राष्ट्र विरोधी भले ही हों,, फिर भी हमारा कोई शत्रु नहीं।

पंडित नेहरू की रूस यात्रा सही अर्थों में मित्रता की यात्रा थी, जिससे कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के निकट आये और निःसन्देह रूस की इस भव्य मैत्री की प्राप्ति, भारत के लिये कम गौरव का विषय नहीं।

इस शान्ति तथा मित्रता के वातावरण में दो बातें निःसन्देह खटकती है। वह है पाकिस्तान और गोआ। गोआ के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय निःसन्देह युक्ति-पूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण है। यदि हम आक्रमण करते हैं तो हम अपनी नीति से ही च्युत हो जायेंगे और अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेंगे। पुर्तगाल के सम्बन्ध में हम लोगों को जितने तथ्य मालूम हैं उतने विरोधी पक्ष के सदस्यों को ज्ञात नहीं—वे सत्याग्रह का समर्थन करते हैं। लेकिन सत्याग्रह के लिये साहस की आवश्यकता है, जब कि इनके नेताओं को इतना भी साहस नहीं कि वे एक महिला सत्याग्रही, जिसको गोली लग चुकी है, को उठा कर ले आयें, तब वे किस साहस से गांधी जी के पदचिन्हों पर चल सकते हैं? हमें हर प्रकार से उत्तेजित किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लेकिन हम दृढ़ हैं और अपनी नीति की इसी दृढ़ता में हमारी विजय है। हमें अपने प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति पर पूरा विश्वास है और हमें आशा है कि गोआ पर भी निकट भविष्य में ही हमारी विजय निश्चित है।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति इतनी सर्वमान्य और प्रशंसनीय है कि बहुधा उसकी त्रुटियों का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

गोआ के सम्बन्ध में भारत सरकार की वैदेशिक नीति उपयुक्त नहीं रही है। प्रधान मंत्री बहुधा यह कहा करते हैं कि एक महान् राष्ट्र के व्यक्ति होने के नाते हमारे निश्चयों में परिपक्वता होनी चाहिये, किन्तु उन्होंने स्वयं इस मामले में वह परिपक्वता नहीं दिखाई है। यह स्वाभाविक है कि भारत के निवासियों को अपने देश में गोआ का वैदेशिक उपनिवेश बहुत खटकता है और वे इसे अपनी प्रतिष्ठा तथा गौरव के प्रतिकूल समझते हैं। इसके लिये सत्याग्रह का साधन चुना गया, जिसके लिये न्यूनाधिक रूप में सभी पक्ष सहमत थे। सरकार ने भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। १५ अगस्त के सामूहिक सत्याग्रह में भी सरकार चुपचाप देखती रही। किन्तु जब इसका परिणाम सामूहिक रक्तपात तथा जनहानि हुई तो सरकार ने व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के सत्याग्रह को एक दम रोक दिया। क्या यही निश्चय की प्रौढ़ता है?

मैं सरकार के अन्तिम निश्चय से सहमत हूं। दुःख तो यह है कि निर्णय देर

में किया गया । इन मामलों में सरकार की एक नीति होनी चाहिये जिसमें सभी दलों का सहयोग होना चाहिये । लेकिन गोआ के प्रश्न पर सरकार ने प्रारम्भ से ही विरोधी रवैया बरता है ।

जो कुछ भी अब तक हुआ उसे भूल जाने के पश्चात् भी, क्या हम पूछ सकते हैं कि हम गोआ की समस्या किस प्रकार से हल करना चाहते हैं ?

हमें बताया गया है कि पुलिस कार्यवाही नहीं की जायेगी, तब भला सरकार क्या करना चाहती है ? यह कहा जाता है कि उपनिवेशवाद अपनी अन्तिम सांसें गिन रहा है तथा यह पैसिफिक चार्टर (प्रशान्त घोषणा-पत्र) तथा राष्ट्र मंडलीय चार्टर की भावना के विरुद्ध है । बांडुंग सम्मेलन में इसके विरुद्ध सभी राष्ट्र एकमत थे । अमेरिका तथा इंगलैंड ने भी इसके विरुद्ध मत दिया है, अर्थात् इस विश्वव्यापी मत का प्रभाव होगा ही और अन्ततः गोआ को घुटने टेकने पड़ेंगे ।

किन्तु इस सम्बन्ध में इतना आशावादी नहीं हूं जितना कि हमारे प्रधान मंत्री हैं । मैं मानता हूं कि सत्य तथा न्याय की अन्ततः विजय होगी और उपनिवेशवाद में इन दोनों की ही हत्या होती है । अतः इसका विनाश होना अनिवार्य है लेकिन प्रश्न यह है कि यह कब होगा । आज सैकड़ों वर्षों से उपनिवेशवाद मौजूद है । क्या हम इसकी स्वाभाविक मृत्यु के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें । क्या यह एक निष्क्रियता नहीं होगी ? प्रधान मंत्री ने कहा है कि सत्याग्रह के दर्शन पर कुछ कहना प्रधान मंत्री तथा सरकार का दायित्व नहीं है, किन्तु मेरे विचार से यह प्रश्न इतना सरल नहीं कि इसे इस प्रकार टाला जाये । जनता इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का पथ-प्रदर्शन चाहती है ।

भारत ने प्राचीन काल में केवल नीति तथा आदर्श के भुलावे में वास्तविकता से आंखें मूंद कर बहुत धोखा खाया है । यदि हमें इस गलती को फिर से नहीं दोहराना है तो हमें अपने अधिकार की रक्षा करने के लिये युद्ध का आश्रय लेने के लिये तत्पर रहना चाहिये । यदि सत्याग्रह तथा अन्य शान्तिपूर्ण तरीक़े असफल हो गये हैं तो अवश्य युद्ध करना चाहिये । क्या काश्मीर तथा हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही तथा सैनिक कार्यवाही नहीं की गई थी ? इसी लिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सत्याग्रह या शान्ति ही राष्ट्र की समस्याओं के सुलझाने का एकमात्र साधन नहीं है, आवश्यकता होने पर हमें युद्ध का आश्रय लेना ही होगा ।

सालाज़ार को अवसर देना ठीक है, किन्तु किसी विशेष परिस्थिति में युद्ध का आश्रय न लेना उचित नहीं ।

पटना में अपने भाषण के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह अपने राष्ट्रीय ध्वज की प्रतिष्ठा के लिये सैकड़ों-हज़ारों भारतीयों की मृत्यु की चिन्ता नहीं करते । प्रधान मंत्री जी अपनी ध्वजा की अत्यन्त प्रतिष्ठा करते हैं तब जब सालाजार नाम का एक व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ही नहीं प्रत्युत हमारे देश व देशवासियों को अपमानित व पददलित कर रहा है, तब सरकार उसे सबक़ क्यों नहीं सिखाती ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

लेकिन जब हमारे प्रधान मंत्री रात दिन शान्ति की पूजा करते हैं और शान्ति का सन्देश लेकर विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करते हैं। तब वे भला सालाजार को कैसे पाठ पढ़ा सकते हैं । प्रधान मंत्री जी को चाहिये कि वे समय आने पर क्रोध करें और उपयुक्त दंड दें ।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद पश्चिम): आज के विदेशी विषयों पर इस वादविवाद में मैं कुछ शब्द केवल गोआ के बारे में निवेदन करने को खड़ा हुआ हूं।

सब से पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि उन वीरों को अर्पित करता हूं जिन्होंने गोआ के सत्याग्रह में अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद मेरी श्रद्धांजलि उन बहुत से साहसी पुरुषों और नारियों के लिये है जिन्होंने अच्छी संख्या में गोआ में प्रवेश किये और चोटें खायीं। इन चोटों में बहुतों को गोलियां भी लगीं। स्वभावतः पोर्चुगाल के इस अत्याचार की नीति पर हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। परन्तु साथ ही मुझे इस सत्याग्रह से एक प्रसन्नता हुई और भविष्य की एक सुनहली रेखा मुझ को आकाश में दिखाई पड़ी। अपने राष्ट्र पिता गांधी जी के नेतृत्व में हमने देखा कितने युवक और अधिक अवस्था के लोग भी साहस से बढ़ कर देश के लिये अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हुये। जब जब उन्होंने कोई पग उठाया चारों ओर से उनकी पुकार पर सहस्रों नर-नारी देश के लिये खड़े हुये। कुछ ऐसा लगता था कि हमारे हृदय की वह लहर इधर ढीली सी हो चली थी। इस सत्याग्रह ने हमें दिखलाया कि हमारे जन समुदाय के भीतर इस समय भी साहस वीरता और त्याग की भावना मौजूद है जो राष्ट्र का मुख्य आधार हुआ करती है। इस कारण मुझ को इस सत्याग्रह आन्दोलन पर प्रसन्नता हुई और में ने उन युवकों को जो सत्याग्रह के लिये गये थे, हृदय से आशीर्वाद दिया, परन्तु आज विवाद का प्रश्न तो यह है कि सत्याग्रह जो बन्द कर दिया गया वह क्या ठीक हुआ। हमारे कई भाइयों ने इस प्रश्न को इस तरह देखा कि इसमें शासन के अधिकारियों के पैर ठंडे हो गये। इस बात को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कहा था। मुझे एक निष्पक्ष भाव से इस प्रश्न को देखते हुये ऐसा नहीं लगा। सत्याग्रह ने अपना काम किया। सत्याग्रह ने साहस की लहर फैलाई। सत्याग्रह ने संसार के सामने गोआ के प्रश्न को स्पष्ट रीति से रक्खा, यह सत्याग्रह का गहरा लाभ हुआ। उसका प्रभाव भी संसार के अन्य राष्ट्रों पर पड़ा, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिये कि सत्याग्रह एक अनुष्ठान होता है। मैं आशा करता हूं कि अनुष्ठान का अर्थ आप सब लोग समझते होंगे.....।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम): कृपया इस का अनुवाद अंग्रेजी में कर दीजिये।

श्री टंडन: अंग्रेजी में मैं उसका अनुवाद नहीं कर सकता। अनुष्ठान यज्ञ के समान होता है जो बारहों महीने नहीं चला करता वह सामयिक होता है और विशेष कार्य के लिये वह किया जाता है। सत्याग्रह भी एक अनुष्ठान है, यज्ञ है, समय से किया जाता है और समय पर उसका परिणाम सामने आता है। किसी अभिप्राय से अनुष्ठान किया जाता है, परन्तु वह कोई स्थायी कार्य नहीं होता। सत्याग्रह यहां हुआ और उसका कुछ परिणाम हुआ। हां, यह परिणाम नहीं हुआ कि गोआ आप को मिल गया हो। परन्तु उसका लाभ हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं। गोआ का प्रश्न आगे बढ़ा और संसार के सामने आया। प्रश्न यह है कि क्या यह अनुष्ठान अभी जारी रह सकता था। कुछ थोड़े दिन और भी जारी रक्खा जाना सम्भव था, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि ऐसे अनुष्ठान सदा नहीं चला करते, स्थायी नहीं होते। आपने गांधी जी के क्रम को भी देखा था कि किस प्रकार से वह चलाते थे और फिर समय पर उस अनुष्ठान को खींच भी लेते थे। यहां प्रधान मंत्री जी ने

यह तो नहीं कहा कि उन्होंने उसको चलाया, जो कुछ उन्होंने कहा वह तो अपने हृदय की सही बात कही, अर्थात् उन्होंने इस अनुष्ठान को चलाने का दायित्व कभी अपने ऊपर नहीं लिया, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यद्यपि उन्होंने स्वयं उसको नहीं चलाया, तो भी सहानुभूति कुछ न कुछ अंश में उनके हृदय में सत्याग्रहियों के प्रति थी । अन्दर सत्कार और आशीर्वाद की भावना उन में थी, यह भी स्पष्ट है । इसीलिये उनको आज यह सुनना भी पड़ा जैसा कुछ भाइयों ने कहा कि आपकी नीति में परिवर्तन हो गया है । उन्होंने स्वयं यह कहा कि हमारी नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है । मैं ने जो सुना विरोधी भाइयों की बात और प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा, उसमें मुझे कुछ बीच की बात सही लगती है । सम्भवतः जानबूझ कर प्रधान मंत्री ने नीति नहीं बदली हो परन्तु उनका पहले जो क्रम था वह आशीर्वादात्मक और सहानुभूतिपूर्ण था, उसमें अन्तर पड़ा जब सत्याग्रह उन्होंने रोका, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है । उन्होंने बताया कि उनके स्वयं मस्तिष्क में बहुत स्पष्टता नहीं थी । उन्होंने कहा कि आरम्भ में मैं बहुत स्पष्ट नहीं था कि क्या कर्तव्य है ।

वह यह समझते हैं कि उनकी नीति में अन्तर नहीं हुआ है । इधर लोगों ने यह समझा और यह आक्षेप किया कि उनकी नीति में अन्तर हुआ । मैं मान लेता हूं कि आप की बात कि अन्तर हुआ है । तो क्या नीति म अन्तर करने में सदा बुराई होती है ? जो बुद्धिमान पुरुष होता है उसको तो अपनी नीति को समयानुकूल बदलना पड़ता है । जो नीति पांच दिन पहले थी वह आज भी उसी नीति पर चलता रहे जब संघर्ष छिड़ा है, यह आवश्यक नहीं है, यह तो आप सब स्वीकार करेंगे । तो यदि उनके हृदय ने उस सत्याग्रह की नीति को उस समय स्वीकार भी किया हो चाहे बेजाने, जिस को अंग्रेज़ी में सब-कोंशस माइंड (उपचेतन मन) कहते हैं उन्होंने तो यह कहा है कि कोई अन्तर किया है परन्तु यदि उन्होंने उस नीति को अपने मन में स्पष्ट न होने के कारण कुछ दिन के लिये चलाया भी, तो फिर पीछे जब उन्होंने देखा कि अब इसको हम बन्द करें, कुछ करणों से तो इसमें न कोई उनकी झूठी बात है और न नीति की बुराई ही है । इस में न कोई उन्होंने अपराध किया है और न ही यह कोई अनीति है । मैं स्वयं यह समझता हूं कि जब गवर्नमेंट ने या शासन ने यह कहा कि अब हम यह दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, हम सब गोआ पर सील लगाते है, यह उनका अंग्रेज़ी का शब्द है, अर्थात् उन्होंने हर दायित्व को अपने ऊपर लिया और कहा कि अब हम पुर्तगाल के साथ निबटेंगे, आर्थिक रोकथाम लगाकर, अथवा और उन के मन में कई बातें हों जो उन्होंने स्पष्ट नहीं कहीं, परन्तु उन्होंने कहा कि शासन इस दायित्व को अपने ऊपर लेता है और द्वार को बन्द करता है, उनको आने नहीं देंगे और जब उनको आने नहीं देंगे तो फिर हम कैसे आपको जाने देंगे और अंग्रेज़ी में उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वह यह है कि यह एप्रोप्रियेट नहीं है कि हम आपको जाने दें तो मुझे तो यह बात नीति-पूर्ण और ठीक लगी है कि उन्हों ने द्वार बन्द करके सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली । अभी तक तो सत्याग्रहियों ने यह ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ली थी, अनुष्ठान उन्होंने किया और उनका अनुष्ठान चलने दिया गया कुछ देर तक । अब यह कहा गया है कि अनुष्ठान को बन्द किया जाये और हम स्वयं ज़िम्मे-दारी लेकर सामने आते है और हम इसका निबटारा करेंगे । मैं नहीं समझता कि क्यों गवर्नमेंट को जिस ने बहुत बड़ा दायित्व अपने

[श्री टंडन]

ऊपर लिया है, अवसर दिया न जाये। आपको चाहिये कि आप अनुष्ठान को बन्द कर दीजिये। उन्हों ने अपने ऊपर इस जिम्मेवारी को लेकर एक साहस का काम किया है और आप उन्हें अवसर दीजिये, देखिये वह क्या करते हैं। यह काम एक दो दिन में तो हल हो नहीं सकता और आप को चाहिये कि आप उनको साल छः महीने का समय दीजिये और देखिये वह क्या करते हैं। आप देखें कि उनकी कार्रवाइयों का क्या परिणाम निकलता है। उन्होंने इकोनोमिक सेंकशन लगाने की बात कही है, साधारण रीति से माल के आने जाने पर जहाजों द्वारा माल के आने जाने पर रोक लगाने की बात कही है। इन सब कार्रवाइयों के बावजूद यदि आप देखें कि कोई नतीजा नहीं होता है, तब फिर समय आयेगा जब आप उनकी टीका टिप्पणी कर सकेंगे और कह सकेंगे कि आप सफल नहीं हुये और अब हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। सत्याग्रह को उन्होंने कुछ दिन तक जारी रहने दिया और फिर उसको रोक दिया, यह अपने में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस के ऊपर हम उनको बुरा भला कहें।

मैं स्वयं यह समझता हूं कि आपके सत्याग्रह से अनुष्ठान का काम हो गया। यदि आप यह समझते थे कि इस सत्याग्रह से आप सालाज़ार के घुटने टिका देंगे तो इसकी मुझे भी कोई आशा नहीं थी। आशीर्वाद मैं ने दिया था। मैं यह आशा करता था कि सत्याग्रह का कुछ न कुछ असर जरूर होगा। भावना जागती है और सत्याग्रह ने वह भावना जगा दी और अपना काम उसने कर दिया। आपने देखा कि गांधी जी के नेतृत्व में कैसे लड़ाइयां लड़ी गईं। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में भी कितने सत्याग्रह हुये। क्या एक ही सत्याग्रह के कारण अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिये? यह नहीं हुआ। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो भाव जगाते हैं, आप के हृदय में एक तरह के, संसार के हृदय में दूसरी तरह के और फिर कुल मिला कर कुछ समय बाद एक वायुमण्डल संसार में बनता है। उस वायुमण्डल का असर होता है और तब वह अपना प्रभाव दिखाता है। यह बात कुछ समय लेती है। तो आपने एक सत्याग्रह शुरू किया, उसका अनुष्ठान समाप्त हुआ। मैं समझता हूं कि शासन ने समय पर आकर बुद्धिमानी का काम किया है कि आपके अनुष्ठान को रोक दिया, नहीं तो बहुत सम्भव था कि वह थोड़े दिन बाद अपने आप ढीला होता। उन्होंने आपको सत्याग्रह रोकने का अवसर नहीं दिया, उन्हों ने सभी का आदर रखा। उस अनुष्ठान को रोक कर के स्वयं अपने ऊपर उसका दायित्व लिया। आपको उन्होंने बरी उज़ज़िम्मा कर दिया और अपने ऊपर दायित्व ले लिया। मैं इसको एक बुद्धिमानी की बात समझता हूं। आप देखें छः महीने या साल भर उनको काम करने का अवसर दें। यह राजनीतिक प्रश्न है, फिर आपके सामने आवेगा और आप जैसे भी चाहेंगे अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

श्री जी० एच० देशपांड (नासिक—मध्य) : मैं ने विरोधी दल के नेताओं के भाषण बहुत ध्यान से सुनें। मैं समझता हूं कि सरकार ने गोआ सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो निश्चय किया है वह ठीक है। मुझे प्रसन्नता है कि महासभा तथा साम्यवादी दल के नेताओं और सदस्यों ने भी सत्याग्रह की प्रशंसा की। महासभा दल के नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री द्वारा जारी किये गये परिपत्र की बात की पर उसमें कांग्रेस सदस्यों से सत्याग्रह में भाग लेने की कोई बात नहीं कही गयी थी अतः मुझे खेद

है कि उन्होंने कैसी असंगत बात कही। कांग्रेस के अनुशासन के अन्तर्गत सभी लोगों को सत्याग्रह में भाग लेने का अधिकार था।

१५ अगस्त को हमारे ज़िले के २०० नवयुवक गोआ सत्याग्रह में गये थे। उनमें से बहुतों को भारी चोटें आईं; एक को गोलियां भी लगीं। श्री अशोक मेहता ने बताया कि जनता यह चाहती है कि हमारी सरकार स्वयं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे। ठीक है, पर जब सरकार ने कार्यवाही शुरू की तो अब लोग कहते हैं कि सरकार हमें गोआ में सत्याग्रह क्यों नहीं करने देती। कितनी विचित्र बात है? सभी मामलों के सम्बन्ध में हमारी नीति शान्तिपूर्ण रही है और हमने कभी भी युद्ध को न्यौता नहीं दिया है। गोआ का प्रश्न भारत के लिये बहुत महत्व-पूर्ण है। कुछ लोगों ने कांग्रेस के इस संकल्प का अभिप्राय यह समझा है कि हमने गोआ का मोर्चा हटा लिया पर यह कल्पना गलत है। हम तो गोआ को कल स्वतन्त्र करना चाहते हैं पर केवल कहने से यह काम पूरा नहीं होगा। आज संसार में साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद में घोर संघर्ष हो रहा है। यदि हम शान्ति का मार्ग अपनाते हैं तो उससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में नैतिकता के आधार पर हमारी मांग को बल मिलेगा। सालाज़ार की १२,००० फौजें गोआ में अधिक समय तक नहीं टिक पायेंगी जब कि हम आर्थिक कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार जब स्वयं इस समस्या को हल करने जा रही है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिये।

हिन्दू महासभा के नेता ने कहा कि कांग्रेस ने सत्याग्रह रोक लिया है क्योंकि उसे भय था कि अन्य दल इसमें प्रसिद्धि न प्राप्त कर लें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वे दलबन्दी के दृष्टिकोण से इस बात को न देखें। मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी दल के सदस्य भी गोआ की मुक्ति के सम्बन्ध में काफी आतुर हैं। आप चाहे कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगावें कि उसने सत्याग्रह रोक लिया है पर इससे गोआ की मुक्ति में सहायता मिलेगी।

एक बात और है। हमें अवसरवादी राजनीति को नहीं अपनाना चाहिये। हमें एक अच्छी परम्परा कायम करनी है। गोआ के २०,००० सैनिकों पर हम एक दिन में कब्जा कर सकते हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रश्न तो साम्राज्यवाद का है। पिछले सात आठ वर्षों में हम शान्तिपूर्ण ढंग को अपनाते आ रहे हैं। श्री वी० जी० देशपाण्डे ने अपने संशोधन में सत्याग्रह रोकने के सम्बन्ध में सरकार पर दोषारोपण किया है और साथ ही पुलिस कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में भी निन्दा की है। पर इस प्रकार क्या सत्याग्रह जारी रहने से किसी लाभ की आशा थी? मैं समझता हूं कि हमें कोई भी लाभ न होता। अब हम चाहते हैं कि संसार का ध्यान हमारे नैतिक स्तर और गोआ-समस्या की ओर आकर्षित हो किन्तु उसके लिये शान्ति की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि एक या दो वर्ष में हमें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा।

श्री जोकीम आल्वा : इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि १५ अगस्त को गोआ में पुर्तगालियों ने बर्बरता का व्यवहार किया; नवयुवकों और एक महिला को गोली का शिकार बनाया। हमारा मार्ग अहिंसा का है अन्यथा गोआ पर हम एक दिन में अधिकार कर सकते हैं। और जिस दिन भारत की सुरक्षा को गोआ की सरकार से खतरा पैदा होगा उसी दिन भारत सरकार गोआ पर कब्जा कर लेगी। हम एक मामले में एक नीति और दूसरे मामले में दूसरी नीति का अनुसरण करें, यह भी ठीक नहीं है। काश्मीर समस्या हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक वहां नियुक्त कर दिये गये

[श्री जोकीम आलवा]

हैं । क्या हम गोआ के प्रश्न को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं ? यह पर्यवेक्षक क्या कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है । तो यह समस्या हमारे सामने है । हमें स्मरण है कि डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने काश्मीर सम्बन्धी अपने आन्दोलन को बिना किसी शर्त के लौटा लिया था । क्या आप चाहते हैं कि बम्बई की भांति दिल्ली और कलकत्ता में भी शान्ति भंग हो ? यदि ऐसा होगा तो इसका परिणाम हमारे देश के लिये बहुत बुरा होगा ?

मैं अपने समाजवादी मित्रों की देशभक्ति, योग्यता, शक्ति और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं पर राज्य की नीति निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को ही है । जहां तक साम्यवादी दल का प्रश्न है, प्रधान मंत्री के आवड़ी संकल्प से उनके सीने पर सांप लौट गया है ।

"अमेरिकन एनुअल" ने गोआ के सम्बन्ध में कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा तथा कल्याण की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । हमारे पड़ौसी देश जैसे पाकिस्तान और श्री लंका भी हमें परेशान करने में गोआ की सहायता करेंगे ।

हर एक बात के लिये एक विशेष समय होता है । अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के लिये भी एक समय निश्चित किया गया था ; उसी प्रकार गोआ के लिये भी तीन वर्ष से कम का समय नहीं रखा जाना चाहिये । उसके बाद हम पुर्तगालियों से कहेंगे कि आप गोआ छोड़ दें । इंगलैंड के कुछ समाचार त्र जैसे "डेली एक्सप्रेस", "डेली टेलीग्राफ़" और "मैनचेस्टर गार्डियन" भारत के प्रधान मंत्री की बुराई करते हैं कि यह हिटलर का सा व्यवहार करते हैं पर वास्तव में हिटलर का सा व्यवहार कौन करता है ?

हम अमरीका के आभारी हैं कि वह प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये लड़ें, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने युद्ध के समय में भारत के संकट में सहायता की । पर आज अमरीका की वह आवाज कहां गई । आज अमरीका भी ब्रिटेन की भांति कूटनीति की शिक्षा ले रहा है । वह भी उत्तरी अफ्रीका मोरक्को में अपने अड्डे बना रहा है । हमें केलीफोर्निया से कोई दिलचस्पी नहीं है पर यदि अमरीका के किसी भाग पर कोई आक्रमण करेगा तो भारत उसका विरोध करेगा । हम स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये सदैव तैयार हैं ।

अहिंसा हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की शिक्षा है ; ईसाई धर्म की भी यही शिक्षा है पर व्यवहार में वह इसे कभी नहीं लाते । हम प्रेसीडेण्ट नासिर, प्रेसीडेण्ट टीटो, प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई तथा पोप के आभारी हैं जिन्होंने इसे राजनैतिक समस्या बताया है, पर पुर्तगालियों के इस कुकृत्य की निन्दा तो वैटिकन कार्डिनल या बम्बई के आर्चबिशप किसी ने भी नहीं की । यह बातें ध्यान देने की हैं ।

हमें अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना है और गोआ के सम्बन्ध में देश में अनर्गल तथा गलत प्रचार को रोकना है । इन गलत प्रचारों से बहुत हानि होती है ।

मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने बताया कि गोआ में बहुसंख्या हिन्दुओं की है । आप विचार करें कि पाण्डिचेरी की जनता फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध क्यों खड़ी हो गयी थी ? इसका कारण यह था कि वह भारतीय थे, धोती पहनते थे । पर हमारे गोआ के कैथोलिक पैण्ट और टाई पहनते हैं । वह अपने देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों को भूल गये हैं । गोआ में ईसाई धर्म का प्रचार तलवार के बल पर किया गया था । गोआ निवासी ईसाइयों तथा पुर्तगालियों

से अधिक बुद्धिमान हैं । जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा तो उनके विचार भी बदल जायेंगे । समय हमारे अनुकूल है और थोड़े ही समय में गोआ भारत के साथ मिल जायेगा ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर रक्षित—अनुसूचित जातियां) : महोदय, सबसे पहले मैं गोआ की पालिसी के बारे में बोलना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों ने गोआ सत्याग्रह आन्दोलन में सबसे अधिक भाग लिया है । सरकार की गोआ पालिसी के बारे में यहां पर बहुत से सवाल उठाये जा रहे हैं । एक सवाल यह है कि गोआ का प्रश्न सरकार कब तक हल करेंगी और वह कौन शुभ दिन होगा जिस दिन भारतीय सरकार गोआ की फासिस्ट सत्ता को उखाड़ फेंकेगी । इस तरह का सवाल पूछना आसान है लेकिन अगर हम ज़रा गम्भीरता से इस सवाल पर गौर करेंगे तो हमें समझ में आ जायेगा कि किसी भी गवर्नमेंट के लिये इस तरह की मुद्दत रख सकना और यह बता सकना कि अमुक तारीख तक यह चीज हम तय कर देंगे सम्भव नहीं है । कांग्रेस और भारत सरकार ने ठीक ही निश्चय किया है कि हम गोआ का प्रश्न शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं, वरना अगर सरकार अपने आदर्शों और सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दें और उस पर फौजी कार्यवाही कर देती है तो कुछ ही घंटों में हम गोआ पर काबू पाने में कामयाब हो जायेंगे लेकिन ऐसा करके हमने जो आज संसार के देशों में एक अपना नाम पैदा किया है और हमारी प्रैस्टिज़ बढ़ी है, उस सब को हम मिट्टी में मिला देंगे और साथ ही हमने जो आदर्श व सिद्धान्त अपनाये हैं, जिन पर अब तक चलते रहे हैं और जिनके अपनाने के लिये कि दूसरे देशों को भी सलाह दे रहे हैं, वह सब खत्म हो जायेंगे और दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रों के सामने हम अपने को लाफिंग स्टाक बना देंगे ।

एक दूसरी बात जो गोआ के सम्बन्ध में कुछ भाइयों ने कही है वह हमें उचित नहीं जान पड़ती । हमें सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार को गोआ को खरीद करके यह प्रश्न हल कर लेना चाहिये । ऊपर से देखने में यह कल्पना बड़ी अच्छी दिखाई देती है और गोआ की समस्या का हल भी बहुत आसानी से किया जाना सम्भव दिख पड़ता है लेकिन हमें यह खयाल रखना चाहिये कि सार्वभौम अधिकार खरीदा नहीं जाता । यह कोई बेचने और खरीदने की चीज़ नहीं होती है । इसमें तो कोई विवाद नहीं है पुर्तगाली हुकूमत के पास वह सार्वभौम अधिकार नहीं है । सावरैनिटी जो है वह तो हमारी है, गोआ के निवासियों की सावरैनिटी है । हम जब बोलेंगे कि हम गोआ खरीदना चाहते हैं तो और कोई देश गोआ को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं । हमारा सिद्धान्त यह है कि गोआ का भविष्य गोआ की जनता ही तय करेगी । हम जानते हैं कि गोआ की जनता भारत के साथ मिलना चाहती है लेकिन गोआ को खरीदने की बात करना मैं समझता हूं कि गोआ की जनता का अपमान करना है । मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने गोआ के सम्बन्ध में जो पालिसी इस देश के लोगों के सामने रक्खी है, वही पालिसी सही पालिसी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोगों ने उस के अनुसार अमल किया तो हम अपने मक़सद में कामयाब होंगे और गोआ स्वाधीन हो कर भारत में मिल जायेगा । हमें सब को मिल कर अपने प्रधान मंत्री के हाथ मज़बूत करने चाहियें ।

एक और प्रश्न की ओर मैं कुछ संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा और वह नैपाल से सम्बन्ध रखता है । यह बड़े दुःख का विषय

[श्री पी० एन० राजभोज]

है कि नैपाल में भारतविरोधी वातावरण बढ़ता जा रहा है । वहां पर गरीब और अनपढ़ जनता को हिन्दुस्तान के विरुद्ध भड़काया जा रहा है । सरकार को उस में गाफिल नहीं रहना चाहिये और उस गलत प्रचार को हटाने के लिये वहां पर अपना प्रचार करना चाहिये जिससे जनता के दिलों में से वह गलत भावना निकाली जा सके । यह देश हमारी सरहद पर स्थित है इस लिये हमें इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिये । भारत के शांति प्रयत्नों के कारण आज संसार के देशों में भारत का सिर ऊंचा हो रहा है और सारे देशों में भारत की उसके शांति प्रयत्नों के लिये सराहना हो रही है ।

मेरा ख्याल है कि हमारे प्रधान मंत्री जो यूरोप और रूस की यात्रा कर के आये हैं उसके बारे में जो फिल्में तैयार की गई हैं वह नैपाल के लोगों के कोने कोने में दिखाई जानी जरूरी हैं । नेपाल की जनता को तब पता लगेगा कि भारत का ध्येय आक्रमणकारी नहीं है, भारत सब देशों का भला ही चाहता है ।

नेपाल में नया नेतृत्व पैदा करने की जरूरत है, ऐसा नेतृत्व जो कि नेपाल की प्रजा का हित अपने सामने रखेगा । नेपाल को हम हर तरह से मदद देना चाहते हैं और देते भी हैं । कोसी भरण योजना भी उनको ही फलप्रद होगी । हमारे सलाहकार वहां बैठे हैं, हमारी मिलिटरी मिशन भी वहां के लोगों को सहायता दे रहा है । फिर भी नेपाल के जो नेता हैं उनमें से अधिकतर लोग भारत के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं । मेरी समझ में नेपाल के राज कुटुम्ब के लोग इस कार्रवाई में सहायता देते हैं । राणाशाही के लोग भारत के विरुद्ध प्रचार करते हैं । राणाशाही का उच्चाटन अभी तक वहां नहीं हुआ है । पुराने ज़माने के लोग भारत का विरोध करते हैं और दूसरे राष्ट्र भी इसी लिये उनकी सहायता कर रहे हैं और वे सहायता ले रहे हैं । भारत सरकार को उन कार्रवाइयों को बन्द कराने का प्रयत्न करना चाहिये । नेपाल की सुरक्षा हिन्दुस्तान की सुरक्षा के लिये ज़रूरी है

नेपाल के बारे में मेरे तीन सुझाव हैं । एक भारत की तरक्की का प्रचार करना । हमारी जो विकास योजना है सामूहिक विकास योजना है उनकी फिल्में हमें वहां दिखानी चाहियें । दूसरी बात यह है कि नेपाल का इतिहास, नेपाल की संस्कृति वगैरह के अध्ययन से नेपाल के लोगों की मनोवृत्ति का हमें अच्छी तरह से पता लगेगा । तीसरी बात यह है कि हमारे जो विख्यात कवि और लेखक हैं उनको नेपाल में जाना चाहिये । नेपाल की भाषा और हिन्दी भाषा में कैसा सम्बन्ध है, हमारा और नेपाल का सांस्कृतिक जीवन कैसा है इस बात का ज्ञान यह कवि लोग नेपाल की जनता को करा सकेंगे ।

अन्त में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । जो हमारी नीति है वह सभी के लिये अच्छी है और उसी नीति को हम सब को अपनाना चाहिये और उसके मुताबिक़ हम अमल करना चाहिये । इसी से हमारे देश का भला होगा और इसी नीति को अपनाकर हम आगे बढ़ सकेंगे । इस लिये जो गोआ के बारे में कहा गया है कि सत्याग्रह को समाप्त कर दिया जाये मैं उसको उचित समझता हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बम्बई में १६ तारीख को मैं कार में बैठ कर जा रहा था । उस वक्त मेरी मोटर के पहियों की हवा लोगों ने निकाल डाली । मेरे पास एक खद्दर की टोपी थी वह टोपी भी उतार ली गई । इससे मुझे बहुत

दुख हुआ कि जैसा व्यवहार किया गया है वह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सत्याग्रह को चला कर हमारे देश का अहित ही हो रहा है। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि सत्याग्रह को बन्द कर दिया जाये और जब वक्त आयेगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पहला शख्स हूंगा जो कि मरने के लिये जाऊंगा। मैं दूसरों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे भी इस वक्त इसे बन्द कर दें और कांग्रेस के जो आदेश हैं उनके मुताबिक़ वे अमल करें। साथ ही मैं बम्बई के जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं श्री मुरारजी देसाई उनकी भी तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने बहुत साहस से काम किया है और मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सारे सूबों में उन जैसे चीफ़ मिनिस्टर होने चाहियें।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल--पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर) : मैं शहीदों के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। गोआ सत्याग्रह के सम्बन्ध म सरकार की नीति स्पष्ट हो गई, यदि हम इस निश्चय पर सितम्बर के बदले अगस्त को ही पहुंच जाते तो १५ अगस्त की खूनखराबी न होती, परन्तु जब भारत के अन्दर ही निहत्थे विद्यार्थियों के हत्याकांड जैसी घटनायें भी जब हो कर ही रहती हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है।

अब आगे गोआ वासियों को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने का सरकार का क्या रवैया होगा यह प्रश्न सब के मन में उठना स्वाभाविक ही है। अतः सरकार की नीति गोपनीय होते हुये भी जन साधारण के मन की अधीरता कम करने के लिये, उसके बारे में सरकार के कुछ संकेत तो देना ही चाहिये।

मैं सुनती हूं कि मद्यनिषेध इत्यादि कई असुविधाओं में बंधने के डर से गोआवासी भारत में विलीन होना नहीं चाहते। अतः जैसा कि प्रधान मंत्री कह भी चुके हैं, भारत सरकार भी उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध चलने को बाध्य नहीं करेंगे। भारतवासियों ने गोआवासियों को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिये सत्याग्रह किया न कि उन्हें बंधन में डालने के लिये। गोआ पर अधिकार जमाने से पहले तो हमें लाहौर लेना चाहिये जो कि आदिकाल से हमारा था और जिसे हमारे हाथ से गये इतना थोड़ा समय हुआ है।

पाकिस्तान की उलझन बढ़ती ही जा रही है। विस्थापितों की सम्पत्ति के बारे में भी हमारी कोई नहीं सुनता। विभाजन एक वह भूल हुई है जिसका फल हमें न जाने कब तक भोगना होगा। हमारी स्वतन्त्रता संघर्ष की जीत में एक वह हार है जो गोआ जैसे प्रश्नों के समय अपना परिणाम दिखाती है। भारत और काश्मीर की जनता अब काश्मीर समझौते पर आशायें लगाये हुये है। प्रश्न यह है कि हमें क्या क्या देना पड़ेगा और क्या हमारे पास रह पायेगा ? हमारी शान्ति स्थापना की नीति ने हमें यशस्वी बनाया है। क्या हमारे पास केवल यश ही रह जायगा ?

चीन और तिब्बत के साथ जो संधि की गई है वह सह-अस्तित्व के आधार पर ही की गई है। आशा है नेपाल, बर्मा इत्यादि पड़ौसी देशों पर इस संधि का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और तिब्बत भारत के बीच के व्यापार की सुविधाओं में कोई कमी न आकर वे पूर्ववत् रहेंगी।

युद्ध की तैयारी का तो हमारे देश में कोई प्रश्न ही नहीं उठता हमें न तो किसी पर आक्रमण ही करना है और न किसी के विनाश हेतु विदेशी अस्त्र ही लेने हैं। जो हमारे पास हैं या हम बना सकते हैं वही हमारे लिये पर्याप्त होने चाहियें।

[श्रीमती कमलेंदुमति शाह]

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि हमारी विदेशों से ऋण लेने की नीति भी हमारे लिये अहितकर है। ऋण लेकर उन्नति करने के बदले बिना ऋण के उस उन्नति में कुछ विलम्ब हो जाना श्रेयस्कर होगा।

विदेशों से आने वाले माल पर भी हमें ज़रा विचार करना चाहिये। भारत ४० हज़ार मन घी जैसी वस्तुओं का विदेशों से आयात भी अनुचित है। इस विषय में भी ३–४ वर्ष पहले की नीति बर्ती जानी चाहिये थी, जब भारत ने अमरीका से गेहूं का आदान अस्वीकार कर दिया था। हमें विदेशों से उतना ही लेना चाहिये जितना हमें उनको उसके बदले में निर्यात कर सकें नहीं तो इस प्रकार के उपहार और ऋण हमें मानसिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी न बना कर, निर्बल ही बनायेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगर—उत्तर) : गोआ नीति और वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो रही है। हमारे एक मित्र ने बम्बई के मुख्य मंत्री तथा उनकी गोआ नीति के सम्बन्ध में कुछ अनुचित बातें भी कही हैं। यह ठीक नहीं है। हमारी सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय नीति पिछले वर्षों से बहुत ठीक ढंग से चल रही है। हमारे प्रधान मंत्री की नीति विश्व शान्ति का समर्थन करती है। कोरिया युद्ध के आरम्भ होने के समय से एक अन्तर्राष्ट्रीय खिचाव पैदा हो गया था। हमारे प्रधान मंत्री के प्रयत्नों से ही कोरिया की अस्थायी सन्धि और इण्डोचीन युद्ध की अस्थायी सन्धि हुई। फारमोसा के झगड़े को निबटाने के लिये भी हमारे प्रधान मंत्री बहुत हद तक सफल हो चुके हैं। इस लिए स्पष्ट है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के कारण विश्वशान्ति को काफी सहायता मिली है। आज सभी देश आपसी समझौते द्वारा झगड़ों को तय करते हैं। हमारी नीति के कारण ही हमारे देश में चाऊ एन लाई, मार्शल टीटो तथा मिश्र के प्रधान मंत्री आदि भ्रमण करने आये। हमारी इसी नीति के परिणामस्वरूप मार्च, १९५५ में बांडुंग सम्मेलन हुआ। इसमें एशिया और अफ्रीका के २९ राष्ट्र शामिल हुये और इसमें यूरोप की साम्राज्यवादी नीति पर चर्चा की गयी। उस के बाद गत जुलाई में यरोप में चार बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। हमारे प्रधान मंत्री चार बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन कराने में बहुत सहायक सिद्ध हुये थे। उन राष्ट्रों का सम्मेलन काफी सफल रहा। इसी से हमारी वैदेशिक नीति की सफलता प्रगट है। यह किसी प्रकार की गोपनीयता की समर्थक नहीं है, तथा विश्वशान्ति, सत्य एवं अहिंसा के महान आदर्शों के अनुरूप है।

एक महत्वपूर्ण काम जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है, वह है भारत तथा चीन में स्थायी मित्रता स्थापित करना। संसार के दो विशाल पुरातन संस्कृति वाले देश एक दूसरे के मित्र हो गये हैं, और इसी मित्रता में विश्वशान्ति तथा उन्नति का बीज निहित है। क्योंकि चीन के प्रधान मंत्री तथा भारत के प्रधान मंत्री ने पंचशील की स्थापना की जिसमें पारस्परिक वार्ता, समझौता तथा सम्पर्क के आधार पर विरोधी पक्षों में समझौता कराने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी स्वीकार कर लिया है और वे इसी के आधार पर अपनी समस्यायें सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी नीति को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई है।

कई क्षेत्रों में यह मांग की गई है कि हमारी वैदेशिक नीति को अधिक क्रियात्मक होना चाहिये, किन्तु हम संसार को विश्वशांति का पाठ पढ़ाते हुये गोआ में युद्ध नहीं कर सकते—गोआ के सम्बन्ध में हमारी नीति—व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को ध्यान में रख कर नितांत उचित है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बहस के शुरू में मैं ने दुनिया की तरफ़, दुनिया के सवालों की तरफ़, कुछ ध्यान दिलाया था और यह भी बताया था कि उसमें हमारा क्या हिस्सा रहा है और है, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे सामने पूरा नक्शा रहे। हम एक ज़िम्मेदार संस्था है—एक ज़िम्मेदार जमायत है और इस लिये ज़रा तराजू बराबर आंखों के सामने रहना चाहिये। अगर कोई एक सवाल—वह कितना ही ज़रूरी और आवश्यक क्यों न हो—ही हमारे सामने रहे और हम उसी में फंस जाते हैं और औरों को भूल जाते हैं, तो तराजू एक तरफ़ झुक जाता है और वह क़दम सही भी हो, तो और गलत पड़ जाते हैं। इसलिये यह ज़रूरी था। लेकिन एक और बात मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं आप सब, यहां के मेम्बरान, जो कुछ यहां कहते हैं, हम सब उसको बग़ौर सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इस कमरे के बाहर भी जाती है और बाहर दुनिया में भी गूंजती है। इसलिये वे इस बात को देखें कि अगर हम सब दुनिया को—दुनिया के सब सवालों को—भूल गये और एक परेशानी में लिपट गये, तो गालिबन दुनिया की निगाहों में उसका माक़ूल असर नहीं होगा। लेकिन इस के मानी यह नहीं है कि जिस सवाल पर हम ज्यादा गौर करें, वह ज़रूरी नहीं है—वह तो है ही। बहर-सूरत आज की बहस ज्यादातर गोआ के मसले पर हुई।

कुछ मैं भी उसके बारे में अर्ज़ करूंगा। अक्सर जब यहां विदेशी नीति पर बातचीत हुई है, कुछ बरस हुये, और मैं ने अपनी गवर्नमेंट की जो नीति थी पेश की, दो पहले उस पर कुछ ऐतराज़ होता था। दो तरह के ऐतराज़ होते थे, या दो मे ज्यादा, उन मेम्बरान के जो इस मेज़ के उस पार बैठते हैं। ऐतराज़ होता था कि यह क्या एक बीच की नीति है, न इधर न उधर। कुछ तो हमें कहते थे कि कमर कस के, तलवार बांध के, हम एक गिरोह में खड़े हो जायें और दूसरे गिरोह का मुकाबला करें, दूसरे कहते थे कि हम कमर कसकर और तलवार बांध कर दूसरी तरफ़ खड़े हो जायें, यह बीच की क्या नीति है, यह तो बुज़दिली की बात है, यह तो निकम्मी बात है। गर्ज़े कि इस तरह की टीका टिप्पणी उस तरफ़ से चन्द साहिबान बराबर करते थे। मैं यहां बैठा हुआ सोच रहा था कि आज उस किस्म की आवाज़ कोई उठी नहीं, बल्कि जो कुछ ज़िक्र हुआ हमारी दुनिया की नीति का, वह तारीफ़ ही का हुआ। मैं सोचता था कि शायद आज का जोशो खरोश जो गोआ के बारे में है वह भी ज़रा ठंडे दिल से सोचने पर कुछ दिन बाद ठंडा हो जायेगा और लोग महसूस करेंगे कि यही रास्ता था और यह मुनासिब फैसला हुआ। यह कैसे कहूं कि जो बात हम करते हैं वह हमेशा सही होती है। ज़ाहिर है ग़लती हो सकती है, हुई है। मेरा ख्याल है कि जो इस समय हमने गोआ के बारे में फैसला किया वह ठीक था और आवश्यक था। इसमें तरह तरह के पेच उठते हैं, जैसे कुछ तो राजनीति के पेच, और कुछ राजनीति से अलग निकल जाते हैं जब आप सत्याग्रह का चर्चा करते हैं।

अब जहां तक सत्याग्रह का सवाल है, गवर्नमेंट का उसमें बहैसियत गवर्नमेंट के पड़ना कठिन है। आप ग़ौर करें, गवर्नमेंट

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का सत्याग्रह करना एक बिल्कुल बेमानी चीज़ है। सत्याग्रह के मानी हैं कि एक आदमी अपनी हिम्मत से पहाड़ का मक़ाबला करे, एक हकूमत का मुक़ाबला करे, एक ताक़त का मुक़ाबला करे, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद एक ताक़त है तो यह कैसे हो सकता है कि वह एक आदमी को भेज दे या दस आदमियों को भेज दे और कहे कि तुम मुक़ाबला करो, और खुद पीछे बैठ कर उसको देखे। यह बात मेरे दिमाग़ में नहीं आती। यह और बात है कि कोई संस्था करे या कोई व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करे। लेकिन गवर्नमेंट सत्याग्रह नहीं कर सकती यह मैं आपसे बहुत अदब से कहूंगा, जैसा कि मैं ने शुरू में कहा।

बाज़ साहिबान ने कहा कि हम उससे डर गये और इसलिये अलग हो गये। इसकी निस्बत मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूंगा। लेकिन इस बहस के दौरान में और बातें कही गयीं, किस्से कहानियों का ज़िक्र हुआ, जिनका इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं था, लेकिन जिनसे यक़ीनन सुनने या पढ़ने वालों का दिमाग पर कुछ असर हो सकता है, कुछ गलतफ़हमी हो सकती है। तो मैं इस पेच में पड़ गया कि मैं क़िस्से कहानियों में पड़ूं या असली मसले पर कुछ कहूं। लेकिन कुछ न कुछ मुझे कहना ही चाहिये ताकि गलतफ़हमी न रहे।

एक तो श्री अशोक मेहता ने और औरों ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि हमारी नीति एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये, एक नैशनल पालिसी होनी चाहिये। इसके मानी क्या हैं यह आप सोचें। यह तो मैं मानता हूं कि जहां तक हो सके बाहरी मामलों में हमारी नीति एक हो। लेकिन सवाल है कि हम एक नीति कैसे बनावें? मुझे यह स्वीकार है कि हम सलाह मशविरा करें। यह मैं ने पहले भी कहा था। कभी कभी किया भी, कम हुआ, ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक नीति कैसे हो जब कि उस नीति की जो बुनियाद है उसी में मुख़ालिफ़ हो। तो यह सवाल जो एक नीति का उठता है यह कैसे उठ सकता है। इस तरह का सवाल अमरीका में उठता है जहां कि दो बड़े दल हैं जिनमें बुनियादी तौर से बहुत ज्यादा फ़र्क़ नहीं है। तो वहां कमोबेश एक नीति हो जाती है, और वहां का विधान भी ऐसा है कि अगर एक नीति न हो तो दिक्क़त होती है। इंगलैंड में उतना ज्यादा अमल इस पर नहीं हुआ। कभी कभी होने की कोशिश की गयी। लेकिन बहर सूरत मुझे स्वीकार है। जहां तक मैं उसके मानी समझता हूं वे यह हैं कि हमें कोई भी विदेशी नीति अपनी पार्टी के लाभ के लिये नहीं चलानी चाहिये, हमें उसमें देश का लाभ सोचना चाहिये और उसमें जहां तक मुमकिन हो सब पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिये। अगर यह मुमकिन हो सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी ज़िम्मेदारी होती है और वह अपनी उस ज़िम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती, और कोई नीति ऐसी नहीं हो सकती कि चार आने इधर से लिये और चार आने उधर से लिये और एक चौखूंटी या चारपाई की तरह की नीति बना ली। इस तरह की नीति नहीं हो सकती, वह एक चीज़ होनी चाहिये जिसके टुकड़े एक दूसरे में मिलते रहें। मैं मानता हूं कि सलाह मशविरे से अक्सर रोशनी पड़ती है। मैं तो बहुत खुशी से सलाह मशविरा करूं, लेकिन इस गोआ के मामले में कुछ ख़ास वाक़यात हुये नहीं तो और भी सलाह की जाती। कुछ आखिरी चन्द दिनों में वाक़यात तेजी से चलने लगे।

श्री चटर्जी ने शायद बयान किया कि किस तरह से मैं ने एक वक्त में एक बात कही,

और दूसरे वक्त में दूसरी, और फिर मे पैर ठंडे हो गये और दिल बैठने लगा और इसलिये मैं दूसरी तरफ़ देखने लगा। वाक़या यह है कि इस हाल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे, शायद दो एक हों मुझे मालूम नहीं, जिनका पिछले दो तीन बरस में गोआ के मामले से इतना सम्बन्ध रहा हो जितना कि मेरा। बाज़ साहिबान जो कि इस वक्त जोशो ख़रोश दिखाते हैं, वह महीने, दो महीने, तीन महीने से इस मामले में दिलचस्पी लेने लगे हैं।

टंडन जी ने कहा, औरों ने भी कहा, कि अब इस फैसले से गवर्नमेंट ने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली है। यह बात सही भी है और सही नहीं भी है। सही इस माने में है कि गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी ली है, और सही नहीं है इस मानी में कि यह तो पहले भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। यह कोई नई ज़िम्मेदारी तो नहीं है। क्या कभी गवर्नमेंट यह कह सकती थी कि चूंकि वहां किसी समिति ने या कमेटी ने ज़िम्मेदारी ले ली है इसलिये हम उस ज़िम्मेदारी से बरी हो गये। हमेशा इस मामले में गवनमेंट की पूरी ज़िम्मेदारी थी। चुनांचे पिछले कम से कम दो बरस में शायद ही कोई दो चार दिन गये हों जब कि हमने अपने साथियों से गोआ के मामले में सलाह मशविरा न किया हो, या उन लोगों से जिनका सम्बन्ध इस मामले से था। बम्बई सरकार का तो इससे सम्बन्ध था ही, और भी गोआ के लोगों की कमेटियों वगैरह का जिनका इससे ताल्लुक़ था उनसे भी हमारा सम्बन्ध रहा। उनसे हमने सलाह मशविरे किये। हम उनसे साफ कह देते थे कि बाज़ बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि गवनमेंट ऐसी बातें नहीं कर सकती, बाज़ बातें जो कि हम कर सकते हैं हम करेंगे। गर्ज़ कि हमारा उन लोगों से क़रीब क़रीब बराबर ताल्लुक़ रहा। और मैं यह तो नहीं कह सकता कि उन्होंने हमारी हर एक बात मानी, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उन्होंने हमारी अक्सर बातें मानी।

फिर यह सिलसिला पिछले अगस्त से है ज़रा पहले कुछ बदलने सा लगा। शायद तीन महीने हुये डा० लंकासुन्दरम मेरे पास आये थे और उन्हों ने मुझसे कहा था कि वे कन्वेन्शन्स करने वाले हैं, यहां पर बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ते में। इस बारे में उन्होंने मेरी राय पूछी और यह पूछा कि क्या इनमें कांग्रेस वाले शरीक़ हो सकते थे या नहीं। मैं ने उनसे कहा था कि जहां तक मेरा ताल्लुक़ है मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं मालूम होती, लेकिन मैं मशविरा करके बतला दूंगा और मैं ने मशविरा करके उनसे कहला दिया कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है अगर कोई व्यक्तिगत रूप से इन कन्वेन्शन्स में शामिल हो। चुनांचे कुछ लोग उनमें शरीक़ हुये। और वे कन्वेन्शन अलग अलग शहरों में धूमधाम से हुये।

फिर एक दफ़ा डा० लंकासुन्दरम् ने मुझ से पूछा। सवाल यह था कि क्या कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर भी इस सत्याग्रह में शरीक़ हों, और क्या कांग्रेस वालों को उसमें शरीक़ होने की इजाज़त मिलेगी। इस पर मैं ने कहा कि मामला पेचीदा है, मैं कुछ नहीं कह सकता, कांग्रेस के प्रेसीडेंट इसका जवाब दें।

और फिर बाद में कांग्रेस के प्रेसीडेंट ने कहा था, चूंकि उनसे पूछा गया था कि जो सत्याग्रह करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जायेगा, यहां तक बात पहुंची थी। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा और क्या बात थी जो चटर्जी समझ गये थे।

एक बात श्री एच० एन० मुकर्जी ने कही थी या किस ने कही थी, मैं समझता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हूं कि शायद श्री अशोक मेहता ने कहा था कि मेरी नीति यहां दिल्ली में एक थी गोआ के बारे में और बम्बई के मुख्य मंत्री श्री मुरारजी देसाई की नीति दूसरी थी और उसम एचातानी होती थी । मैं बिल्कुल सफ़ाई से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बुनियादी तौर से बिल्कुल ग़लत ख्याल है और कम से कम सौ मर्तबा उनसे इस बारे में मशविरा हुआ होगा, मिल कर या खत के ज़रिये या टेलीफोन के ज़रिये और ज़रा भर भी फर्क उनकी राय और मेरी राय में इस पिछले साल या डेढ़ साल में नहीं रहा ।

एक और दूसरी बात मैं यहां पर साफ़ कर दूं । मैं ने पहले भी कहा था, लेकिन लोग शायद उसे समझे नहीं । यहां पर यह इशारा किया गया है कि मेरे ऊपर इस फ़ैसले के करने में कोई दबाव पड़ा, मैं अर्ज़ करता हूं कि दबाव तो बहुत दूर है, किसी मुल्क ने या किसी शख्स ने किसी मुल्क की तरफ़ से इशारे से भी दबाव नहीं डाला, सीधे तौर पर तो छोड़ दीजिये, इशारे से या किसी और तरह से दबाव या और किसी किस्म की बात नहीं हुई । अखबार वाले जो लिखते हैं, उसे आप भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं और अगर अख़बारों के लिखने के ऊपर कोई बड़े काम हों, तो शायद दुनिया चौपट हो जाये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने अपनी स्पीच में कुछ सुलहनामों और ट्रीटीज़ का ज़िक्र किया और कुछ उसका जिक्र किया जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जब भारत में आये थे और जो उन्होंने एक प्रैस कान्फ्रेंस मे कहा था, मुझे बिलकुल नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा था और आसानी से मैं उसे देख नहीं सकता । मैं यह साफ़ कर दूं कि मुझे किसी क़िस्म का ट्रीटी का इल्म नहीं है जो हमारे रास्ते में आती हो । मैं ने पहली भी इसे सफाई से कहा था कि हम किसी ट्रीटी के पाबन्द नहीं हैं और और मुल्क जो ट्रीटी करें, हम उसके पाबन्द नहीं है, वह चीज़ हमारे सामने बिलकुल नहीं आती है ।

एक और बात पर ज़ोर दिया गया कि यहां कनाडा के प्रधान मंत्री श्री लुइस सेंट लारेंट आये थे और यहां पर उनसे गोआ और नाटो के बारे में कुछ सवाल किये गये और यहां पर उन्होंने जो गोआ और नाटो के बारे में कहा था, वहां जाकर उन्होंने उससे इन्कार किया । यह बात बिलकुल ग़लत है कि उन्होंने उससे इन्कार किया । मैं चाहता हूं कि सब लोग बहुत सफ़ाई से इसको समझ लें और मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि इस तरह की बात एक ऐसे बुजुर्ग आदमी के लिये कही जाये, खाली बुजुर्ग ही नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स जिनकी कि सच्चाई की मैं कम से कम दिल से आदर करता हूं और उनकी तरफ़ से जो शुभकामनायें हिन्दुस्तान के लिये भेजी जाती हैं और उनके जो विचार हमारे देश के निस्बत हैं और उनसे बार बार हमें यूनाइटेड नेशंस में हमारे कामों में हर समय मदद मिली है, ऐसे शख्स के लिये यह कहना और समझना कि जो बातें वे यहां कह गये हैं, यहां से जाकर वह उनसे मुकर जायेंगे या इन्कार कर जायेंगे, सही नहीं है और मुनासिब नहीं है और ऐसा कहना इनके साथ नाइंसाफ़ी करना होगा । यहां प्रेस कान्फ्रेंस में कुछ सवाल किये गये जिनके कि उन्होंने जवाबात दिये और वहां जाने पर जो कुछ उन्होंने कहा, उसमें बहुत फ़र्क़ नहीं था, खाली कुछ ज्यादा प्रीसाइस्ली उन्होंने बताया कि नाटो क्या चीज़ है । इसी सिलसिले में श्री एच० एन० मुकर्जी ने एक सवाल किया था और यह अक्सर

सवाल आता है कि हमारे यहां से मलाया के अंग्रेज़ों के लिये फौजी सामान भेजा जाया करता है या हिन्दुस्तान की तरफ़ से जाने देते हैं, इसका भी जवाब बार बार दिया जा चुका है कि फौजी सामान यहां से नहीं जाता है, लेकिन कोई भी मुल्क हो, हर एक के साथ समझौते होते हैं और सुलहनामे होते हैं और उनके जहाज़ हमारे मुल्क में चलते हैं और हमारे जहाज़ उनके मुल्क में चलते हैं, इस तरह का समझौता मुल्कों में आपस में होता है । गो कि हमारे जहाज़ इतने ज्यादा नहीं हैं लेकिन तो भी काफ़ी तौर पर हमारे जहाज़ यूरोप के मुल्कों में हर महीने जाते हैं, चाहे वह हमारे सिविल के हों या ऐयर फोर्स के हों, वह तो म्युचुअल एग्रीमेंट रहता है कि वह एक दूसरे के देश में आ जा सकें लेकिन उसके साथ शर्त यह रहती है कि उसमें हम फौजी सामान न भेजें और फौजी सामान नहीं भेजते हैं । हां, यह ज़रूर है कि उनमें छुट्टी पर जाने वाले लोग भेजे जाते हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह बदली पर जाते हैं, उनके कुछ लोग, उनके सिपाही इधर उधर जिनको आना जाना होता है और उनके खानदान आते जाते हैं, लेकिन वे फौजी हैसियत से नहीं जाते, तो ऐसे लोग आते जाते हैं लेकिन फौजी सामान नहीं जाता और न फौजी वर्दी में लोग जाते हैं, तो यह बात होती है । चूंकि उन्होंने मलाया का ज़िक्र किया है इसलिये मैं श्री एच० एन० मुकर्जी और उनके साथियों को इतना याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चन्द महीनों से मलाया में कुछ नई बातें हुई हैं । मलाया में और सिंगापुर दोनों में चुनाव हुये हैं और वहां की चुनी हुई लोगों की हुकूमतें वहां पर काम कर रही हैं, यह मैं ने माना कि उन हुकूमतों को पूरा अधिकार नहीं है और वह सोलह आने आज़ाद नहीं हैं लेकिन मुझे इसमें कोई शक़ नहीं है कि साल दो वर्ष में बहुत जल्द पूरी तौर पर आज़ाद हो जायेंगी । बहरसूरत बहुत कुछ अधिकार उनके हाथ में है, और मैं समझता हूं कि हलके हलके एक पुरानी शिकायत और जो शिकायत वहां पर अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के फैलने की थी, वह भी मुझे आशा है, हट जायेगी ।

एक और बात कही गई थी कि आखिरी वक्त में बम्बई के मुख्य मंत्री ने बेलगांव में ट्रान्स्पोर्ट रोक दिया या नहीं दिया । इसके लिये सफ़ाई से यह बात कही जा चुकी है कि बम्बई के मुख्य मंत्री जी को उसका पता भी नहीं था और न किसी और को था । एक मामूली कायदा है कि जो वहां की बसेज़ जातीं थीं, वह मुसाफिरों की नहीं थी । अब पुलिस का क़ायदा है उसकी तो उसे पाबन्दी करनी है । वैसे मैं आपको बतलाऊं कि पहले जब एक, दो, या तीन आदमी इस तरह से पहले सत्याग्रह करने जाते थे तो उनमें बैठ कर चले गये लेकिन जब एक साथ सैकड़ों आये, सत्याग्रहियों के काफ़िले आये और उन्होंने जाब्ते से उनमें जाने के लिये जगह मांगी तब पुलिस ने अपने बड़े अफ़सरों से पूछा कि क्या करना चाहिये और पुलिस के अफ़सरान की हिदायत के मुताबिक़ मुक़ामी पुलिस ने अमल किया । पहले तो जब यह लोग, एक या दो आते थे तो ड्राइवर उनको बैठा लेते थे, लेकिन यह तो सैकड़ों इकट्ठे आये थे और इसलिये यह सवाल पैदा हुआ कि जो क़ायदा बनाया हुआ है उसे हम कैसे तोड़ें । इसके लिये कोई नया क़ायदा या क़ानून नहीं बनाया गया और गवर्नमेंट ने कोई नया हुक्म नहीं निकाला और बग़ैर गवर्नमेंट को मालूम हुये वहां के पुलिस हैडक्वार्टर ने मुक़ामी पुलिस को अहकाम जारी किये कि यह क़ायदा है और इसकी पाबन्दी की जानी चाहिये, और चुनांचे वह चीज़ की गई । अब आप ग़ौर फ़रमायें कि अगर बम्बई की गवर्नमेंट उस क़ायदे को हटा देती और उनको

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जाने देती तो उसके मानी यह होते कि बम्बई की गवर्नमेंट सत्याग्रह करवा रही है, और कोई दूसरे मानी नहीं होते । अब यह सवाल नहीं है कि सत्याग्रह अच्छा है या बुरा है, लेकिन यह एक बेमानी बात है कि बम्बई की गवर्नमेंट या भारत सरकार वहां जाकर लोगों को सत्याग्रह करा रही है । अरे साहब, गवर्नमेंट क्या बेवकूफ़ हो गई है कि लोगों को पकड़ पकड़ कर वहां भेज कर उनसे सत्याग्रह करवाये, तो यह तो एक अजीब तमाशा हो जाता है अगर वह ऐसा करती है । यह ग़ौर करने की बात है ।

अब जितनी बहस हुई, उसमें आप ग़ौर करें तो पायेंगे कि बाज़ साहबों ने बहुत साफ़ साफ़ कहा कि पुलिस ऐक्शन या फ़ौजी कार्यवाही होनी चाहिये थी या होनी चाहिये, बाज़ साहबों ने कहा कि हम यह नहीं चाहते हैं कि फौजी कार्यवाही हो लेकिन अगर ज़रूरत हो तो वह हो । अब बात तो यह है कि अक्सर लोग जो सत्याग्रह का नाम इस वक्त ले रहे हैं, मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने सत्याग्रह के बहुत माने शायद नहीं समझे हैं कि सत्याग्रह क्या चीज़ है । यह दो चीज़ें साथ साथ नहीं चलतीं । मैं यह नहीं कहता कि किसी मामूली ढंग से हिन्दुस्तान को फौजी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । मैं कोई पैसिमिस्ट नहीं हूं और मैं यह नहीं कहता कि हिंसा हमेशा के लिये हटा दी जाये । महात्मा जी तक ने कहा था कि हिंसा करना कायरता, बुज़दिली और गुलामी की अपेक्षा अच्छा है । वह तो एक मुक़ाबला हो जाता है कि कौन ज्यादा बदतर है लेकिन इस मौक़े पर सवाल यह है कि बलिहाज़ हमारी सारी नीति के बलिहाज़ हमारी नीति के हिन्दुस्तान में और बाहर क्या उचित है और क्या मुनासिब है और किस से लाभ होगा ?

अब शुरू से ही हम ने एक नीति रखी है, हिन्दुस्तान के अन्दर और बाहर, कि शान्ति से मसले हल करने चाहिये । अगर हम उस नीति के ख़िलाफ़ खुद चले जायें तो इलावा इसके कि हम ऐन झूठे क़रार दे दिये जायें दुनिया के सामने और लोग कहें जैसे कि बहुत से लोगों ने पहले कहा भी है, अब तो वे चुप हो गये हैं, कि हम चालबाज़ हैं, हम धोखेबाज़ हैं, हम एक बात कहते हैं और दूसरी बात करते हैं, और क्या हो सकता है ? अगर यह बात साबित हो जाये कि हमारे कोई उसूल नहीं और हमारे कोई सिद्धान्त नहीं हैं, जिस बात में हम उस वक्त फायदा देखते हैं वही करते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलेगा । हमारी जो हैसियत इस वक्त दुनिया में ऊंची है, वह इस लिये है कि हमारे लफ्ज़ों में वज़न है, हम जो कहते हैं और जो हमारे उसूल हैं उनकी क़द्र की जाती है । अब आप कहें कि हम एक दम से आपके कहने पर उस पालिसी से फिर जायें और दुनिया को यह कहने का मौक़ा दें कि यह धोखेबाज़ हैं, जिस बात में फायदा होता है वही कर लेते हैं, करने को तो लम्बी लम्बी बातें करते हैं और जब उनको अमल में लाते हैं तो जिधर फायदा होता है उधर ही चल पड़ते हैं और वक्त आने पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, और इसका क्या नतीजा निकल सकता है । मैं चाहता हूं कि यह बात साफ़ हो जानी चाहिये कि हम क्या करेंगे, किस रास्ते पर हम चलेंगे, चाहे वह रास्ता अच्छा हो या बुरा, लेकिन हम को उस रास्ते पर चलना ही होगा और यह एक बुनियादी बात है जिसको हर एक को साफ़ तौर से समझ लेना चाहिये क्योंकि हम कहें कुछ और करें कुछ और, यह दोनों बातें आपस में मिलती नहीं हैं ।

एक बात हमारे भाई देशपांडे जी ने इधर से कही कि अकसर लोग, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जो सत्याग्रह करने गये उनका यह विचार था या उनसे यह कहा गया था

कि उनके पीछे हिन्दुस्तान की फौज आयेगी, तो आप देखें जब ऐसी बात होती है तो सत्याग्रह का सिलसिला ही बदल जाता है। सत्याग्रह क्या है? यह एक मुक़ाबला है, एक इन्सान की आत्मा की क़ुव्वत का एक बड़ी ताक़त के ख़िलाफ़, वह न सिर्फ़ दुश्मन को भगाता है और या इस बात के लिये भी तैयार रहता है कि उसका सिर कट जाये, जो कुछ भी हो, यह एक ऐसी चीज़ है जिस का असर बहुत ज़बर्दस्त होता है। यह उसके सिद्धान्त का असर होता है कि लोगों का दिल बढ़ता है, दुश्मन का दिल ठंडा होता है। खैर, जो भी हो, जब लोग यह जानते हैं कि उनके पीछे फौजें आ रही हैं तो सारा नक्शा ही बदल जाता है, वह सत्याग्रह नहीं रहता है। इस तरह का सत्याग्रह वह असर पैदा नहीं कर सकता है, वह हिम्मत नहीं दिखा सकता है जो कि इसे दिखानी चाहिये। अब यह बात बिल्कुल साफ़ होनी चाहिये कि हम इस मसले को शान्तिमय तरीक़ों से तय करेंगे या किसी और तरीक़े से। यह एक मोटी बात है जो कि तय हो जानी चाहिये। जसे मैं ने आपसे कहा यह बात नहीं है कि मैं कोई हमेशा के लिये शान्तिमय रास्ते पर ही चलता रहूंगा। अगर हमारे मुल्क पर हमला हुआ तो यक़ीनी तौर पर हमको उसका जवाब देना पड़ेगा और यही वजह है कि हम ने फौज रखी है। अगर ऐसी बात न हो तो हम फौज को ही खत्म कर दें। लेकिन साथ ही साथ यह बात ज़रूर है और हम ने कहा है कि हम अपनी फौजों का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि हम पर कोई हमला न करे, जब तक कोई और लड़ाई हमारे ख़िलाफ़ न छेड़े। यह बात हम ने पाकिस्तान से कही है और दुनिया से भी कही है। यही सलाह हम ने औरों को भी दी है और अब दुनिया में यह बात तसलीम होती जाती है कि लोग लड़कर मसलों को हल न करें।

श्री चटर्जी ने कहा है कि गोआ की लड़ाई क्या है, यह तो एक दिन में या दो दिन में खत्म हो जायेगी, यह तो चन्द घंटों की बात है। यह बात सही हो सकती है कि अगर लड़ाई हो तो वह एक, दो या तीन दिन में खत्म हो सकती है चाहे उनके पास १२,००० सिपाही हों या २४,०००, इससे कोई ज्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता है। एक बात ज़रूर हो सकती है कि जिन लोगों की छाती पर वे लोग बैठे हैं उनको वह और सतायें, और कोई फौजी ताकत इस्तेमाल करने से फर्क नहीं पड़ता है। यह कहा गया है कि यह छोटी सी लड़ाई होगी और वह छोटा सा मुल्क है, इसलिये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कि यह एक उसूल की बात है एक सिद्धांत की बात है। अगर आपकी बात को तसलीम किया जाता है तो इसका मतलब तो यह होगा कि जो बड़े बड़े देश हैं दुनिया के, वे उन देशों को जो कि उनके मुकाबले में छोटे हैं, उनको यह हक है कि वह उनको दबा लें। यह एक गलत बात है। एक दफा अगर आप तसलीम कर लेते हैं कि हम मसले को हल करने के लिये अपनी फौजें दौड़ा सकते हैं तब आप अगर दूसरे मुल्क भी ऐसा ही करें तो उनको इन्कार नहीं कर सकते हैं। यह एक उसूली बात है।

हमारे श्री अशोक मेहता ने मिसाल दी, या इशारा किया, एक बार तो फारमोसा, ताईवान के बारे में और दूसरी बार गोआ के बारे में। उन्हों ने कहा कि हम गोआ में तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं और फारमोसा के बारे में हमारी क्या राय है। फारमोसा तो दूर नहीं है, मुबारिक हो उनको सैल्फ डिटर्मिनेशन का हक। कौन लोग इस बात से राज़ी नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि जो फारमोसा का मसला है वह

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

शान्तिमय तरीक़ों से हल होना चाहिये, लड़ाई से नहीं, और यही मैं ने कहा था। दूसरे यह कि फारमोसा तो दूर है, जो दो टापू हैं मत्सु और क्युमोय उनकी निसबत मैं ने यह कहा था और अकसर लोगों ने इसको स्वीकार किया कि वे चीन के ही हैं लेकिन फिर भी वह मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो जो मोटी बात है हमें उसको अपने दिमाग़ में साफ़ रखना है और वह यह कि गोआ का मसला हमें शान्तिमय तरीक़ों से हल करना है और कोई फौजी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। यह बात साफ हो जानी चाहिये और इसके बारे में कोई ग़लत फहमी नहीं रहनी चाहिये। जिन उसूलों और सिद्धान्तों को आपने अपनाया है उनको आप न छोड़े। जिन बुनियादों के ऊपर आपने सारी इमारत बनाई है, जिन के ऊपर आपने काम किये हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति तय की है, अगर आप उन बुनियादी उसूलों को छोड़ देते हैं तो सारी इमारत ही गिर जाती है। लेकिन उसूलों को अलग रख कर आप इस बात पर ग़ौर करें कि आपको आख़िरकार क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। आप एक अपरचुनिस्ट तरीक़े से देखें। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप इस पर ग़ौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें फौजें दौड़ा देने से कोई फायदा नहीं होगा, काफ़ी नुक़सान ही होगा और दूर दूर तक नुक़सान पहुंचते हैं, इस के। चुनांचे न हमें इससे कोई फायदा हो और न कोई और बात हो, खाली एक जोश और ग़ुस्से में आकर कोई बात कर दें, तो यह तो बहुत दूर अन्देशी की और समझ की बात नहीं है।

उधर एक मैम्बर साहब बैठे हुये हैं, उन्हों ने दो चार बार फरमाया कि गवर्नमेंट की या मेरी पालिसी में कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई देती है, कोई दानिशमन्दी दिखाई नहीं देती है, कोई बुज़ुर्गी नहीं है। जो कुछ मैच्योरिटी का तर्जुमा है वह मैं नहीं जानता हूं। अब मैं क्या कहूं। साहब नाबालिग़ समझ लीजिये मुझे, और मैं क्या कहूं ?

एक बात मैं और कहूंगा। श्री एच० एन० मुकर्जी ने कुछ यह कहा था मेरी निसबत कि कुछ मेरा जनता से है, मैन आफ़ दी पीपल जैसे मुझे कहा है। इसके माने तो यह नहीं है कि मैं ग़लती न करूं या मैं उनको गलत न समझूं। यह बात तो है। लेकिन कम से कम मेरा जो विचार है इस मामले में वह मैं आपको बता देना चाहता हूं। बावजूद इसके कि जो बात हम ने कही और जब शुरू शुरू में जब हमारा फैसला शाया हुआ तब कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ और मान लीजिये कि हमारा कसूर था। टंडन जी ने कहा कि जो मैं ने कहा और जो दूसरे साहब ने कहा, उन दोनों के बीच की बात हो। वह बीच का रास्ता हो सकता है इस माने में, इस माने में नहीं, जहां तक मेरा खयाल है, हम ने कोई राय बहुत तबदील नहीं की, हालांकि एक मौक़े पर छोटी तबदीली भी बड़ी मालूम होती है। यह बात मैं मानता हूं। लेकिन बात यह है कि हमारी राय ने नहीं लेकिन वाक़यात ने और अख़बारों ने और अक़सर लोगों के बयानात ने इस क़दर एक हवा पैदा की थी, मुल्क में, ज़ोरों की, कि उसके बाद कोई ऐसी बात हम ने कही, तो उस हवा के खिलाफ पड़ी, इसलिये लोगों को आश्चर्य हुआ न कि हमारी पहली बात के खिलाफ। खैर वह बात नहीं है। तो मैं यह कहूंगा कि उनको आश्चर्य हुआ और कुछ लोगों को धक्का भी लगा। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने ज्यादा ठंडे दिल से सोचा तो उन्होंने पाया कि यह फैसला ठीक था, यह फैसला सही था।

मैं यह भी कहूंगा कि अक्सर साहबान ने भी यह बात कहीं, जो कि उन पार्टीज़ के सदस्य

हैं, जो कि उधर बैठी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक में यह नहीं कहेंगे---बातचीत में कहेंगे ।

श्री बी० जी० देशपांडे : क्या इधर के लोग कहेंगे कि पब्लिक में नहीं कहेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं ।

जो बात मैं कह रहा था वह यह है कि लोगों ने जितना ठंडे दिल से इस बारे में ग़ौर किया, उतना ही अच्छी तरह उन्होंने समझा कि बात ठीक थी । मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि फ़र्ज़ कीजिये कि हम लोग--यह गवर्नमेंट--वहीं पर रहते जहां पहले थे, यानी हम ज़रा ढील दे देते कि दो चार बीस आदमी कभी कभी जा कर सत्याग्रह करें और कोशिश करें, तो उसका क्या नतीजा होता ? वे लोग क्या करते, किस ढंग से करते और कब तक करते, ये कई सवाल हमारे सामने आते । क्या किसी सूरत में या किन्हीं हालात में हमारी फौज भी उनके पीछे जाये, यह सवाल भी पैदा होता । अभी टंडन जी ने बहुत अच्छी तरह सत्याग्रह के एक दो पहलुओं को हमारे सामने रखा । इस बारे में मैं आप को एक फौजी मिसाल देता हूं । आप बन्दूक ले कर चलें और उसकी सब नालियां चला दें, तो फिर बन्दूक ज़रा कार-आमद नहीं होती है, जब तक कि वह फिर से न भरी जाय । गरज़कि महज़ हवाई बातों से कुछ नहीं होता है । ये ज़िम्मेदारी के सवाल हैं । इन पर हम को ग़ौर करना है । इस बारे में महज़ जोश-खरोश दिखाने से यह मसला हल नहीं होगा । श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा कि "मैं शर्म के मारे गल गया" । मुझे तो यह ज्यादती मालूम होती है । मैं उन से क्या अर्ज़ करूं सिवा इसके कि वह बहुत नाज़ुक दिमाग़ होंगे ?

यह भी बार बार कहा गया है कि हम एक चुनौती दें---एक अल्टीमेटम दें, एक टारगेट मुक़र्रर कर दें और एक तारीख़ मुक़र्रर कर दें कि इस तारीख़ तक यह कर दो । आप के सामने इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े सवाल है, एशिया के, तैवान के, इंडो-चाइना के, जर्मनी के और मराको के---चारों तरफ़ सवाल ही सवाल हैं । मुझे मालूम नहीं कि कहीं पर भी इस क़िस्म का अल्टीमेटम दिया गया है । और कौन किस को दे ? फिर अल्टीमेटम के मानी क्या हैं ? घूम फिर कर हम वहीं पहुंचते हैं कि अगर वे लोग अल्टीमेटम को नहीं माने, तो फिर फौज भेज दीजिये । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है । सत्याग्रह का पर्दा सामने खड़ा किया जाता है और उसके पीछे फौजी कार्यवाही और पुलिस एक्शन की बात होती है । और फिर यह भी सवाल उठता है कि सत्याग्रह है क्या ? मैं ने और जगह भी कहा है कि सत्याग्रह एक डायनामिक विचार है, जिसकी अभी तक पूरी खोज भी नहीं हुई है । वह कहां तक जाता है और कहां तक नहीं जाता है ? कम से कम मैं तो नहीं कह सकता कि वह कहां तक जा सकता है और कहां तक जायगा । मैं कहने वाला कौन हूं ? लेकिन इस वक्त मैं यह कह सकता हूं कि कम से कम इस समय वह मुनासिब नहीं है और इस समय इस को चलाना एक ग़लती होगी, क्योंकि इससे मुल्क को नुक़सान पहुंचेगा ।

मैं यह भी नहीं कह सकता हूं---हालांकि मैं जानता हूं---कि इन वाक़यात का गोआ के रहने वालों पर क्या असर होगा ? वह असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है । बुरा इस माने में कि चूंकि इस सिलसिले में वे लोग कुछ बहुत ज्यादा सीखे हुये नहीं है, इस लिये डर कर वे दब भी सकते हैं । अगर ऐसा हो जाये, तो हमारे लिये यह मुनासिब बात नहीं होगी ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री अशोक मेहता ने बताया---और उन्होंने ठीक कहा है---कि वहां पर इतनी ज्यादा फौज है और वे लोग थोड़े से आदमी हैं, इस लिये हमारा यह समझना कहां तक मुनासिब है कि वे इन हालात में सत्याग्रह करेंगे । लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि श्री अशोक मेहता के शहर में भी गोआ के बहुत से लोग रहते हैं और वे भी हाथ-पैर हिला सकते हैं । कोई वजह नहीं है कि वे हाथ-पैर न हिलायें । एक लाख के क़रीब वे लोग हैं । श्री अशोक मेहता उन को हिलायें, उनकी पीठ ठोकें ताकि वे भी कुछ काम करें ।

मैं बहुत अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस वक्त हमारे इस फ़ैसले का असर अच्छा हुआ है---बुनियादी तौर से अच्छा हुआ है और गोआ के रहने वालों के लिये भी अच्छा हुआ है, क्योंकि उन के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी हुई थीं, जिन्हें हम छुड़ा नहीं सकते थे ।

यहां पर मुझ से सवाल किया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, जब कि सौ दो सौ आदमी जेल में पड़े हुये हैं और और मुल्कों में भेजे जाते हैं और बेनिश किये जाते हैं । बात सही है, लेकिन मैं इसका क्या जवाब दूं सिवा इस के कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सिवा रंज का इज़हार करने के और शिक़ायत करने के । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं, जो मुझे पसन्द नहीं हैं, जो बहुत नागवार गुज़रती हैं, लेकिन मैं उन के बारे में क्या कर सकता हूं ? घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि वहां पर अपनी फौजें ले जाओ । आप पहले इस बात का फैसला करें कि आप इस मसले को फौजी तरीक़े से हल करेंगे या नहीं और अगर आप यह फैसला करें कि यहां पर फौजी तरीक़े इस्तेमाल करना नामुनासिब है---और उनसे नुक़सान भी हो सकता है---, तो आप को फौरन दूसरे ढंग से सोचना पड़ता है ।

आप यह भी ख्याल कीजिये कि श्री सालाज़ार और उनकी हकूमत की जो नीति है, उनके जो तरीक़े हैं, उनको सामने रख कर ऐसी हकूमत और ऐसे शख्स के खिलाफ़ सत्याग्रह कहां तक कामयाब हो सकता है । इस लिये बहुत अदब से मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि हम ने यह जो प्रस्ताव पास किया था, वह बहुत सोच समझ कर पास किया था और मैं फिर कहूंगा कि हमारी पहली नीति में और इस नीति में कोई फ़र्क़ नहीं है,---हां उन्नीस और बीस का फ़र्क़ हो सकता है, इम्फ़ैसिस का फ़र्क़ हो सकता है । जहां पहले हम ढील देते थे, वहां बाद में हम ने सोचा कि इस ढील को रोक दिया जाय । वाक़या यह है कि लोगों के दिमाग़ में कुछ ज्यादा फर्क़ मालूम हुआ और अगर आप कुछ कहना चाहें, तो आप को हक है कहने का । आप पूछ सकते हैं कि हम ने पहले ढील क्यों दी । बहरसूरत पहले जो कुछ भी ग़लती हुई हो, इस वक्त तो यही एक मुनासिब क़दम था और इस को न लेना एक ग़लती होती और एक कमज़ोरी होती । श्री चटर्जी ने कहा कि यह हमारी कमज़ोरी थी, हमारी कायरता थी और हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वहां पर एक फौज भेज दें । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा फैसला करने के लिये मुझे से कहीं ज्यादा दिमाग़ी हिम्मत की ज़रूरत थी ।

अगर आप कहें, तो कुछ अंग्रेज़ी भाषा में कह दूं ?

***आज्ञा हो तो कुछ शब्द अंग्रेजी में कहूं ।**

श्रीमान्, विरोधी दल के सदस्यों के भाषण इतने जोशीले और ज़ोरदार थे कि

---

*श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेज़ी में दिये गये भाषण का अनुवाद यहां से आरम्भ होता है ।

कहीं कहीं मैं उनके कहने का अभिप्राय नहीं समझ सका। वास्तव में, मुझे इस बात का संदेह हुआ कि क्या उन्हें आजकल की वस्तुस्थिति पर खीज और क्रोध व्यक्त करने के सिवा और कुछ नहीं कहना है; क्योंकि उन्होंने आजकल की स्थिति पर क्रोध और अन्यमनस्कता व्यक्त की है। अन्ततः बात यों है कि इस युग में लफ्फाज़ी और शब्दाडम्बर से किसी भी समस्या को नहीं समझा जा सकता चूंकि अधिक शब्दावली में सार बहुत कम होता है। कुछ एक भाषणों को सुनकर मुझे ऐसा मालूम दिया कि वक्ता यथार्थ से कोसों दूर है। उनके भाषण में ज़ोर था और कहीं कहीं उन के तर्क प्रभावपूर्ण भी थे किन्तु वे सब यथार्थता और समस्या से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। आखिर मैं ने इस समस्या का पूरा पूरा अध्ययन किया है। यह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कि हमने अपनी नीति बदल दी या नहीं, अथवा हमने ऐसा किया या नहीं। सब से बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी कौनसी नीति है जो सही है और जिसे अपनाया जाये। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि हमने कोई सही नीति अपनाई है तो वह यही है—और यही हमारे लिये सही नीति है, भले ही इससे कोई परिवर्तन हुआ हो या न हुआ हो। मान लीजिये हमारी नीति ग़लत है तो वह यही है: इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हमने उसे बदला है या नहीं। इतना मैं निवेदन करूं कि परिस्थितियां जिस प्रकार बनने लगीं, हम उस ढील को और देर तक नहीं चलने दे सकते क्योंकि वह वांछनीय नहीं थी, और चूंकि वह पहले से चल रही थी इसलिये हमें उसे उखाड़ देना पड़ा।

सब से पहली बात जो स्पष्ट रूप में समझने की है वह यह है कि कोई भी सरकार सत्याग्रह नहीं कर सकती। यह दूसरी बात है कि व्यक्तिगत रूप में मैं सरकार से अलग हो कर ऐसा करूं किन्तु सरकार के नाते सत्याग्रह की चर्चा करना बेहूदा है क्योंकि भौतिक रूप में सत्याग्रह में दो शक्तियों का परस्पर संघर्ष नहीं होता किन्तु मनुष्य की आत्मा भौतिक जगत से टक्कर लेती है और उस से अलग हो जाती है, चाहे कुछ भी परिणाम हों। यदि ऐसे सत्याग्रही की पुश्त पर सरकार हो तो उस के सत्याग्रह में व्यक्ति की आत्मा की टक्कर का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि वैसी स्थिति में वह सरकार एक, दस या हज़ार व्यक्तियों से सत्याग्रह कराके स्थिति का अनुचित लाभ उठाती है। कोई भी सरकार अपने आपको बदनाम किये बिना ऐसा काम नहीं करा सकती। यही कारण है कि कोई भी सरकार सत्याग्रह नहीं कर सकती। हां, ज्यादा-से-ज्यादा यह हो सकता है कि कोई भी सरकार, यदि वह ऐसा करना चाहे, दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे सकती है—भले ही उनका विवेक या और कोई बात उन्हें ऐसा करने को बाध्य करे। यह भी हो सकता है कि सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे, उनके काम पर आंख मीचे और उनके किये पर कोई कार्यवाही न करे। तो इस मामले में बिल्कुल प्रारम्भ से ही म स्थितियों का अवलोकन करता रहा हूं, और इधर १५-१६ महीनों से मैं ने विशेष रूप से अपने साथियों, बम्बई के लोगों, गोआ की संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों से खूब बातचीत की। मैं उनके घनिष्ठ सम्पर्क में रहा हूं, प्रायः उनकी कई बातों से असहमत हुआ हूं, उनको और अन्य लोगों को अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण समझाता रहा हू और इस बड़े निर्णय पर ज़ोर देता रहा हूं कि यह सब काम शान्तिपूर्ण ढंग से होना चाहिये; सामूहिक सत्याग्रह या सामूहिक प्रवेश नहीं होना चाहिये क्योंकि जब भी आप सामूहिक सत्याग्रह या सामूहिक प्रवेश की बात करें, आप को यह सोचना होगा कि उसके बाद क्या होगा। कितनी फ़िज़ूल बात है कि आप

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किसी दिन सामूहिक प्रवेश करें और उसके बाद हाथ पर हाथ धरे बठे ; और यदि एक के बाद दूसरा प्रवेश करता जाये तो ऐसे सामूहिक प्रवेश का क्या परिणाम होगा, यह कदाचित आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं स्वयं मैं व्यक्ति के रूप में, न कि प्रधान मंत्री के रूप में, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकता हूं अथवा कुछ एक व्यक्ति इस प्रकार सत्याग्रह कर सकते हैं । तो इस प्रकार इस मामले के साथ मेरा सम्बन्ध था, यहां तक कि १५ अगस्त पहुंचने में आठ-दस दिन रहे जब मैं ने ऐसी घटनायें होती देखीं जो मेरी आशाओं के बिल्कुल प्रतिकूल थीं । मैं किसी को इस का दोष नहीं दे रहा क्योंकि उन घटनाओं के लिये विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं था । इस प्रकार की घटनायें हुईं और यह एक ऐसा मामला था जिस से भारत भर में लोगों की भावनायें जागृत हुईं । खैर, एक दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं का घटित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं । श्री चटर्जी के शब्दों में ही मैं भी यही कहूंगा कि यह प्रसन्नता का विषय था कि इस ध्येय के लिये इतने लोग हर प्रकार के खतरों, गोलियों आदि का मुक़ाबला करने को तैयार थे । उनका यह क़दम सही रहा हो या ग़लत, इससे हमारा कोई मतलब नहीं किन्तु था यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय । इस बात की हमें बहुत चिन्ता हुई कि हम क्या करें और क्या न करें, और सच पूछा जाय तो हमने सन्देह में रहते हुये ही इन मामलों को ऐसे ही बढ़ने दिया । आखिर १५ अगस्त आ पहुंचा । उसके बाद भी मैं ने कोई निश्चयपूण बात नहीं कही । सीतापुर और एक और जगह पर मैं ने भाषण दिये । परन्तु मैं ने ठीक ठीक और निश्चित रूप से नहीं कहा था कि क्या करना चाहिये । यह बड़ा गम्भीर मामला है लेकिन मैं सभा को बता दूं कि उस समय मैं स्पष्ट रूप से यह समझ रहा था कि भविष्य में चाहे जो भी नीति अपनाई जाय इस समय इस नीति पर अमल नहीं होना चाहिये । मैं ने महसूस किया कि हमें यह बन्द कर देना चाहिये, और सारी स्थिति पर फिर से विचार करके यह निर्णय करना चाहिये कि भविष्य में क्या किया जाय । इसलिये ये निर्णय स्पष्ट रूप से किये गये ।

मैं सभा को यह बता दूं कि कभी भी हमारी मंशा यह नहीं थी कि इस विषय पर दल के या कांग्रेस के दृष्टिकोण से विचार किया जाये । यह सच है कि मैं ने कांग्रेस में अपने प्रमुख साथियों से परामर्श किया जो कि स्वाभाविक ही था । ऐसा हुआ कि वे किसी और काम से यहां आये हुये थे । हम ने उन से परामर्श किया और एक प्रस्ताव पास किया । यह सच है । यह स्वाभाविक भी था और आकस्मिक भी क्योंकि वे संयोगवश यहां थे ।

इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने कहा कि एक राष्ट्रीय वैदेशिक नीति होनी चाहिये । मैं राष्ट्रीय नीति बनाने के सम्बन्ध में उन का सुझाव स्वीकार करना पसन्द करता हूं । परन्तु इस का ठीक ठीक अर्थ क्या है ? यदि इस का अर्थ यह है कि महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में संसद् में विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श किया जाये तो मैं निश्चय ही यह स्वीकार करना पसन्द करूंगा । परन्तु सदा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी समस्यायें अचानक ही नहीं आती हैं । यह तो रोज़ की बात है, प्रति दिन घटनायें होती हैं । कई बार बड़ी समस्यायें भी आ जाती हैं ।

विदेश नीति के सम्बन्ध में विरोधी दलों के माननीय सदस्य कुछ समय पहले दो विभिन्न दृष्टिकोणों से सरकार की आलोचना किया करते थे । परन्तु दोनों दृष्टिकोण रखने वाले सदस्य किसी गुट में शामिल न होने की हमारी नीति की आलोचना करते

थे । उन में से एक दल वालों का विचार था कि हमें एक गुट में शामिल होना चाहिये और दूसरे दल वाले कहते थे कि हमें दूसरे गुट में शामिल होना चाहिये । अब वह आलोचना नहीं की जाती ; शायद इसलिये कि सभी इस बात को मानते हैं कि हमारी यह नीति सफल हुई है । सच तो यह है कि यह नीति सफल रही भी है ।

श्री अशोक मेहता ने यह बात ठीक ही कही कि इस नीति की सफलता का श्रेय केवल कांग्रेस को ही नहीं है । यह ठीक है । इस सफलता के कई कारण हैं । निश्चय ही कांग्रेस और कई दूसरे दल । वास्तविकता तो यह है कि यह नीति इसलिये सफल हुई कि ठीक नीति यही थी । जो बात उचित और ठीक हो वह अन्ततोगत्वा सारी दुनिया को ठीक ही लगा करती है ।

परन्तु मेरी भी एक कठिनाई है, जैसा कि मैं ने कहा, परामर्श करना तो ठीक है परन्तु कोई नीति, कोई महत्वपूर्ण नीति कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर नहीं बनती । यह सम्पूर्ण होनी चाहिये । ऐसा नहीं हो सकता कि सभी दलों की थोड़ी थोड़ी बातें लेकर एक नीति बना ली जाये । वैसी नीति तो नीति कहे जाने योग्य नहीं होगी । उसे काम चलाऊ भले ही कह लें । जब आधारभूत बातों पर मतभेद हों तो सम्पूर्ण नीति बना सकना कठिन हो जाता है ।

श्री अशोक मेहता मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं एक ऐसी बात का उल्लेख करने लगा हूं जिस से मुझे बड़ा धक्का पहुंचा है । उन के दल ने या उन के दल के कुछ सदस्यों ने काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसा रवैया अपनाया है और ऐसा प्रचार किया है जिस पर मुझे हैरानी हुई है । मैं किसी नीति के बारे में यह नहीं कह रहा हूं कि वह उचित है । परन्तु मैं उन से यह अवश्य कहूंगा कि जो लोग माने हुये विरोधी हैं उन से मेल जोल रखना, ऐसे लोगों से सहयोग करना जोकि भारत के विरोधी ही नहीं बल्कि विरोधियों से भी कुछ अधिक बुरे हैं, मुझे बड़ी असाधारण और अजीब बात लगी । मुझे इस में सन्देह नहीं कि यह काम ठीक उद्देश्य से ही किया गया और कोई बुरी बात करने की नियत से नहीं किया गया । परन्तु सच यह है कि एक ऐसे मामले में, जिस का हमारे लिये असीम महत्व है, इस काम के बड़े ग़लत परिणाम हुये हैं । इसी लिये मैं निवेदन करता हूं कि यदि हम देश में अन्य मामलों में गोआ हो या कोई और समस्या, सावधानी से काम नहीं लेंगे तो हम ग़लत परिणामों पर पहुंचेंगे । मेरा विचार है कि मैं हिन्दी में अपने भाषण में कह चुका हूं कि गोआ के सम्बन्ध में फैसला हम ने किसी देश या शक्ति के इशारे पर बिल्कुल नहीं किया है ।

सन्धियों के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं । मेरा विचार है कि श्री एच० एन० मुकर्जी ने उन की चर्चा की । हम किसी सन्धि द्वारा बिल्कुल भी बाध्य नहीं हैं । सच तो यह है कि भारत के साथ कोई सन्धि नहीं हुई है । दूसरे देशों—ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच नयी या पुरानी सन्धियां हैं । यह उन की बात है, हमारी नहीं । उन्होंने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात की । मुझे पता नहीं कि यह क्या बात थी । मुझे कुछ याद नहीं और न मैं ने इस सम्बन्ध में कोई समाचार देखा है । मेरा विचार है कि इस का अधिक महत्व नहीं है ।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि हम जान बूझ कर उन के दल के धैर्य और सद्भावना को ग़लत समझ रहे हैं और उन के दल को बदनाम कर रहे हैं । उन्होंने इस बात पर असन्तोष प्रकट किया है ।

एक माननीय सदस्य : बदनाम कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरा विचार है कि उन्होंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था और मैं भी इसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कि उन्होंने किस बात की ओर संकेत किया था। मैं किसी दल या व्यक्ति को बदनाम नहीं करना चाहता। मैं उन से यह कहूंगा कि उन का दल या दूसरे विरोधी दल सरकार के बारे में नरम शब्दों का प्रयोग नहीं करते और जब मैं कहता हूं कि उन की कई नीतियां क्रान्तिविरोधी हैं तो उन्हें भी कुछ अधिक सहनशीलता से काम लेना चाहिये। जब मैं यह कहता हूं कि यह बदनाम करने वाली बात नहीं है, खरी सच्चाई है। मैं कई विरोधी दलों—लगभग सभी—को क्रान्तिविरोधी समझता हूं। इसी लिये मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि सच यही है।

श्री कामत : यदि हम क्रान्तिविरोधी हैं तो कांग्रेस प्रतिक्रियावादी है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: परन्तु यह कोई नहीं जानता कि श्री कामत क्या हैं। (**अन्तर्बाधा**) बातें तो चाहे इसके बारे में कर लीजिये या उसके बारे में कर लीजिये। बातों का बड़ा भारी अर्थ होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। परन्तु मैं कहता हूं कि इसी प्रकार की बातों को दृढ़ नीति कह दिया जाता है क्योंकि बाहर से देखने में यह भाषा या कार्यवाही के दृष्टिकोण से बड़ी तीखी नीति दिखाई पड़ती है। परन्तु यह निश्चित है कि ऐसी नीति सदा सोच समझ की नीति नहीं होती। मैं आशा करता हूं कि हमारा राष्ट्र अनुभवी राष्ट्र है। मैं अनुभवी हूं या नहीं, मुझे आशा है कि हमारा राष्ट्र अवश्य है और पिछले कुछ वर्षों में ही हम ने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया है। तथाकथित तीखापन अपना कर अपनी शक्ति दिखाने की नीति से देश में या देश से बाहर किसी को हमारे सम्बन्ध में भ्रम नहीं हो सकता। लोग जिस कसौटी पर दूसरे देशों को कसते हैं वह बिल्कुल ही भिन्न है। शायद हम में से कुछ अभी तक पूरी तरह यह नहीं समझे हैं कि भारत एक आज़ाद देश है। यह बड़ी अजीब सी बात है। सोचने और काम करने के पुराने ढर्रे से निकलना कितना मुश्किल है? दुनियां बदल चुकी है। आप अभी सैनिक और पुलिस कार्यवाही की बात करते हैं जबकि पिछले छे या सात साल में दुनिया बदल गयी है। हम अणुबम में प्रविष्ट ही हुये हैं जिस का कि सैनिक और अन्य कार्यवाहियों के लिये बड़ा महत्व है। इस के और सैकड़ों पहलू हैं। और मैं उन सब की चर्चा नहीं कर सकता। तो क्या हम इन सब बातों को भूल कर लच्छेदार बातों और निन्दा में ही लग जायें और इस बात की परवाह न करते हुये कि हमारे राष्ट्र की नीति अन्तर्राष्ट्रीय नीति है, जोश में आकर बोलने लग जायें? मेरा निवेदन है कि ऐसा करने का मतलब यह है कि हमें अनुभव नहीं है, हम अभी परिपक्व नहीं हुये हैं। हम ने कई समस्याओं का सामना किया है, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में हमें कुछ सफलता मिली है। और सारी दुनिया में यह धारणा बन गयी है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में हम बुद्धिमत्ता, धैर्य और शक्ति से काम लेते हैं। यह शक्ति सैनिक शक्ति नहीं —और बड़े देशों के मुक़ाबले में हमारे पास सैनिक शक्ति नहीं है—और न यह आर्थिक शक्ति है। यह तो किसी और ही प्रकार की शक्ति है। यह जो प्रतिष्ठा हमें मिली है बड़ी मूल्यवान है और मेरा निवेदन है कि हम इस बात को ध्यान में रखें और इसी के अनुसार सब काम करें।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कई भारतीय सत्याग्रही गोआ में कैद हैं और उन पर

मुक़दमा चलाया जा रहा है। क्या उन्हें रिहा कराने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

दूसरी बात यह है कि मैं ने सुना है कि लंका और पाकिस्तान गोआ में पुर्तगाल को बड़ी सहायता दे रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसे मालूम करने की चेष्टा की जा रही है ?

तीसरी बात यह है कि ऐसे समाचार सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान काश्मीर को हासिल करने के लिये सत्याग्रह कर रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं। इस में सन्देह नहीं कि इस तीसरी बात का उत्तर यही दिया जायेगा कि "देखें ऊंट किस करवट बैठता है" परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का उत्तर क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इस समय तो मेरा उत्तर यही है: "इस की अवहेलना कीजिये और इसे कोई महत्व न दीजिये।"

पहला प्रश्न बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में है। मैं नहीं समझता कि हम पुर्तगाल सरकार से इन लोगों को रिहा करने के लिये कैसे कह सकते हैं। वहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, या ऐसा कह लीजिये कि हमारी पुर्तगाल से बातचीत भी नहीं है परन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध है हम ने उसे अलग सा कर दिया है। हम ने अपने कुछ मित्रों —गोआ में कुछ ईसाई पादरियों— को वहां बन्दियों की देखभाल के लिये नियुक्त किया है। हमें यह समाचार मिला है कि वे यथासम्भव और ईमानदारी से यह काम कर रहे हैं।

दूसरा प्रश्न पाकिस्तान और लंका द्वारा गोआ की सहायता किये जाने का है। जहां तक मेरा विचार है यह सच नहीं है कि लंका से किसी प्रकार की सहायता गोआ को पहुंच रही है। मुझे इस का बिल्कुल भी पता नहीं, सच तो यह है कि मुझे उस का विश्वास भी नहीं है। पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं व्यापार और दूसरी बातों, माल के आने जाने के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं नहीं कह सकता परन्तु सम्भव है कि गोआ वालों को पाकिस्तान से किसी हद तक माल पहुंच रहा हो।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रस्ताव के स्थान पर तीन प्रस्ताव—श्री रघुरामैय्या, श्री वी०जी० देशपांडे और श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा—रखे गये हैं। मैं विरोधी दलों के प्रस्ताव को पहले सभा के सामने रखूंगा। जहां तक श्री वी० जी० देशपांडे के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं उस का एक भाग नियम विरुद्ध ठहरा रहा हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे: कौन सा भाग ?

अध्यक्ष महोदय: जिस में कुछ ऐसी बातें अनावश्यक रूप से लायी गयी हैं जिन का इस सभा से कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात् "परन्तु अ० भा० कांग्रेस कमेटी के संकल्प के बाद....."इन शब्दों से लेकर अन्त तक। यह बिल्कुल असंगत है और सभा का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुख्यतः उन का प्रस्ताव श्री चटर्जी के प्रस्ताव जैसा ही है।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं इस के सभा के मतदान के लिये रखे जाने पर ज़ोर नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: तो मैं इसे सभा के सामने नहीं रखूंगा।

इस के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० सी० चटर्जी का प्रस्ताव सभा के सामने मतदान के लिये रखा गया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २६, विपक्ष में १५६।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :

"यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा अनुसरित वैदेशिक नीति का अनुमोदन करती है जिसके फलस्वरूप कई देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो गया है, जिससे विश्व शान्ति के कार्य में सहायता मिली है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मूल प्रस्ताव पर मत लेने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वह समाप्त हो गया है ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।